राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का छवा दिवस [संख्या ५

बुधवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(उद्योग, मुद्रण, सहकारी, पंचायत, सार्वजनिक निर्माण, शक्ति, आयुर्वेद, जन-सम्पर्क, वित्त, शिक्षा एवं विकास-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामकिशन।

अल्ट्रा मैरीन ब्लू का कोटा, भरतपुर

६१. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर में किसी को अल्ट्रा-मैरीन ब्लू का कोटा दिया गया है? यदि हां, तो किसको और कितना?

(२) उक्त कोटा से पेन्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ है और इसकी खपत कहां हुई है?

(३) पेन्ट बनाने वाले उक्त कारखाने की तस्दीक किस अधिकारी ने की है?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां, नेशनल पेन्ट मैन्यूफैक्चरर्स कं०, भरतपुर को ६६ ड्रम नील (अल्ट्रामैरीन ब्लू) का कोटा दिया गया था।

(२) अभी तक यह कोटा इस्तेमाल नहीं हुआ है। पार्टी के पास पड़ा है।

(३) जिला उद्योग अधिकारी, भरतपुर ने तस्दीक की थी।

श्री रामकिशन : यह कोटा कब दिया गया था?

श्री हरिश्चन्द्र : इसको तो कई साल हो गये। मेरा ख्याल है कि ६१ की बात है।

Page No. 2

(श्री हरिश्चन्द्र)

श्री रामकिशन : ६१ से कोटा दिया गया तो फिर वह माल कहां है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसके पास पड़ा हुआ है।

श्री रामकिशन : प्रोडक्शन के लिए दिया गया था या उसको डालने के लिए दिया गया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्रोडक्शन के लिए दिया गया था।

श्री रामकिशन : कैसे तस्दीक करते हैं कि माल पड़ा हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : डी. आई. ओ. से कहा गया कि जांच कर रिपोर्ट करे।

श्री रामकिशन : आपके पास रिपोर्ट आ गई कि माल पड़ा हुआ मिला ?

श्री हरिश्चन्द्र : ६६ ड्रम्स पड़े हुए हैं, उसी पर मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर प्रेस के कर्मचारियों को सुविधायें

६२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर प्रेस के कर्मचारियों को वर्दी एवं स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी क्या क्या सुविधायें दी हुई हैं ? अगर नहीं दी हुई हैं, तो क्या फैक्ट्री कानून के अन्तर्गत ये सुविधायें देना आवश्यक नहीं है ?

उप-मंत्री, मुद्रण (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति नियमानुसार बीकानेर प्रेस के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य उपचार की सभी सुविधायें दी जाती हैं। फैक्ट्री कानून के अनुसार वर्दी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि जिस प्रकार से एम्प्लॉईज़ इन्श्योरेन्स स्कीम के तहत जो व्यवस्था बीकानेर डिस्पेन्सरी में चालू है, चूंकि उनके वेतन में से ही कटता है वह उनको कैश में ही पेमेन्ट किया जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसा संभव नहीं हो सकता है।

प्रश्न संख्या ६३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६५

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।

Page No. 3

कोटा जिले में भूमि बन्धक बैंक

६६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Cooperatives be pleased to reply:—

(1) How many branches of the Land Mortgage Bank are operating in Kota District and at what places ?

(2) How much business has been conducted by these banks respectively tehsil-wise ?

(3) Is it a fact that none of these banks covers the areas of Ram-Ganj Mandi and Sangod Tehsils ? If so, why ?

(4) What arrangement the Government propose to make for these areas (Ram Ganj Mandi and Sangod) in the future ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) कोटा जिले में भूमि बन्धक बैंकों की कोई शाखा नहीं है। दो प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक कोटा व बारां में कार्य कर रहे हैं।

(२) कोटा सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि० ने ३१-१-६४ तक निम्न कार्य किया है :—

नाम तहसील	ऋण वितरण
१. लाडपुरा	६१,५००) रु०
२. दीगोद	१,६५,२६०) रु०
३. पीपलदा	१४,५००) रु०
कुल योग	३,०१,२६०) रु०

बारां सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि० ने ३१-१-६४ तक निम्न कार्य किया है :—

१. बारां	१,८६,३७०) रु०
२. अटरू	११,७१,१७५) रु०
३. मांगरोल	८१,७२५) रु०
४. किशनगंज	१६,४१५) रु०
कुल योग	४,०१,६८५) रु०

(३) सही है। तहसील रामगंज मंडी तथा सांगोद से दीर्घकालीन ऋण की काश्तकारों द्वारा मांग होने पर इस क्षेत्र को कोटा सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि० के कार्यक्षेत्र में लिये जाने के लिए बैंक के उपनियमों में संशोधन कराये जाने के लिए दिनांक ४-१-६४ को उक्त बैंक की विशेष साधारण सभा में प्रस्ताव पारित हुआ और उपनियमों में संशोधन के पत्रादि रजिस्ट्रेशन हेतु बैंक ने सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा दिनांक २३-१-६४ को खण्डीय उप-रजिस्ट्रार को भिजवा दिये हैं।

(४) उपनियमों में कार्य-क्षेत्र बढ़ाये जाने सम्बन्धी संशोधन रजिस्टर होने के पश्चात् यह क्षेत्र कोटा सहकारी भूमि बन्धक बैंक के कार्य-क्षेत्र में आ जावेंगे।

श्री जुझारसिंह : कब तक आ जाने की संभावना है ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि संशोधन कम्पलीट होने पर रूल्स बनें और आ जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : कुंवर श्री महेन्द्रसिंह।

पंचायत समिति, सुल्तानपुर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

६७. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया]: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अगस्त सन् १९६२ में पंचायत समिति, सुल्तानपुर द्वारा ११ अध्यापकों की नई नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो शिड्यूल्ड कास्ट के कितने अध्यापक लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) नियमानुसार ११ में से कितने अध्यापक शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जाने चाहिये थे ।

(३) कुल कितने व्यक्तियों ने नौकरी के लिए एप्लाई किया था जिसमें शिड्यूल्डकास्ट के कितने थे ।

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां । शिड्यूल्ड कास्ट के किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की गई क्योंकि वे योग्य नहीं समझे गये ।

(२ १ अध्यापक लिया जाना चाहिये था किन्तु अल्पकालिक नियुक्ति होने से शिड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं किया गया । इसके अलावा पहले शिड्यूल्ड कास्ट के ८ अध्यापक कार्य कर रहे थे ।

(३) कुल २७ प्रत्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के २ उम्मीदवार थे ।

श्री हरिप्रदास शर्मा : यहां शिड्यूल्ड कास्ट को लेना क्यों नहीं आवश्यक समझा गया था, जब कि सरकार ने प्राथमिकता दे दी है ?

श्री भीखाभाई : जो सूचना आई है उसके अनुसार बताता हूं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : योग्यता का काइटेरिया क्या है ?

श्री भीखाभाई : मेट्रिक होता है । सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है तो परमानेन्ट लिया जाता है । विकास अधिकारी को ६ महीने के लिये टेम्पोरेरी पोस्ट भरने का अधिकार है । परमानेन्ट होता नहीं । परमानेन्ट के अगेन्स्ट यह वेकेन्सी है । वैसे वहां की पंचायत समिति में १२॥ प्रतिशत के अनुसार एक ही अध्यापक की कमी है । जो टेम्पोरेरी लोग गये थे उनमें से जिनको योग्य पाया होगा लिया गया होगा । कोई गड़बड़ होगी तो आगे के लिए हिदायत जारी की जायगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या वह मेट्रिक पास नहीं था ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : विकास अधिकारी ने लिये हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं । एप्लीकेशन्स आईं शिड्यूल्ड कास्ट की, लेकिन एक को भी प्राथमिकता नहीं दी ।

श्री भीखाभाई : मैंने इसको स्वीकार किया है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भविष्य में ऐसा पक्षपात न हो और शिड्यूल्ड कास्ट के लिए रियायत दी जाय ।

श्री भीखाभाई : मैं आपसे ज्यादा समर्थक हूं इसका।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : विधान सभा में मंत्री बनने के लिए समर्थक हों तो वह बात हो सकती है, लेकिन प्रेक्टिकल रूप में शिड्यूल्ड कास्ट की रक्षा करेंगे तो हम मानेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : सरकार की तरफ से प्रबन्ध है १२॥ प्रतिशत लेने का। पर यह तो कम से कम है। इसका अर्थ यह नहीं कि अधिक नहीं लिया जावे। सरकार क्या इस पर दुबारा विचार करेगी ?

श्री भीखाभाई : मैं आपके अर्थ का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों को उसका पालन करना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पर ऐसा होता नहीं है, इसके लिये क्या करेंगे ?

श्री भीखाभाई : १२॥ प्रतिशत तो कम्पलसरी है, बाकी डिस्क्रीशनरी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कम्पलसरी में भी कमी है, इसके लिये क्या कर रहे हैं आप ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

चित्तौड़गढ़-बूंदी सड़क

६८. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या चित्तौड़गढ़ से बूंदी जाने वाली सड़क को डामर रोड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो कहां से कहां तक और वह कितने समय में बन जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि चित्तौड़ से बूंदी रोड जो बेंगू तक काफी समय पहले बनी थी अब बहुत खराब हो गई है ? यदि हां, तो क्या उसकी मरम्मत के लिये रकम निर्धारित है ?

(३) क्या यह सही है कि इस रोड को गांव बलदरका, तहसील गंगरार के बीच से निकालने से उस गांव के व्यक्तियों को श्राम कष्ट होता है ? यदि हां, तो क्या इसको गांव के ऊपर की ओर से निकाले जाने का सरकार का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) बूंदी जिले में पड़ने वाले भाग में डामर करा दिया गया है। भीलवाड़ा डिविज़न में २८ मीलों का डामर किया जाना विचाराधीन है तथा चित्तौड़गढ़ डिविज़न में मील ८६ से ८८ तथा १०० से १०१ में डामर करा दिया है; बाकी कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) सड़क की हालत साधारण है। रिपेयर ग्रान्ट से ज्यों ज्यों रकम उपलब्ध होती है मरम्मत कराई जाती है।

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : बलगरका गांव के बारे में आपने क्या निर्णय लिया ?

Page No. 6

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये आप बता दें, हम ठीक करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इस सड़क का निर्माण कब करवाया गया था, कौनसे साल में ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जानकारी अभी तो मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बूंदी इलाके में कहां तक हो गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक पहाड़ की घाटी तक चढ़ते हैं ।

पुराने उद्योगों को बढ़ावा

६९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ का कांच पर मीनाकारी का काम, डूंगरपुर का पारे व पत्थर का काम, बीकानेर का तपक का काम जैसे कई उद्योग राजस्थान की ऊंचे दर्जे की कला माने जाते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह कला तेजी से लुप्त होती जा रही है और इन कामों को करने वाले बहुत थोड़े कारीगर रह गये हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन उद्योगों का रिवाइवल किया जाय तो टयूरिस्ट लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में इनकी खरीद हो सकती है और नष्ट होती हुई अमूल्य कला की भी रक्षा हो जायेगी ?

(४) यदि हां, तो लघु उद्योग विभाग इसे बढ़ावा देने के लिये क्या कर रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) परिस्थिति अनुसार इस कार्य के कारीगर पहले ही बहुत थोड़े थे और आज नये कारीगर यह काम आर्थिक दृष्टि से कम मुनाफे का होने से हाथ में नहीं लेते हैं ।

(३) हां, ऐसी वस्तुएं समय समय पर बिक्री के लिये विदेशों में भेजी जाती है, इसकी खपत मर्यादित होती है ।

(४) ऐसी कलात्मक वस्तुओं के निर्माण एवं बिक्री के लिये उद्योग विभाग द्वारा 'ऋण तकनीकी एवं अन्य आवश्यक सहायताएं दी जाती हैं ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले । राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित विक्रय केन्द्रों द्वारा कलात्मक वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था की जाती है।

(बीच में रुक रुक कर पढे जाने के कारण)

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं टाइप हुआ है तो दुबारा टाइप करवा लिया जावे ।

श्री हरिश्चन्द्र : टाइप तो ठीक है ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : लाइट कम है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बताया कि कलाकारों को इन्डस्ट्री विभाग की ओर से

Page No. 7

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

ऋण दिया जाता है। जिन कलाओं के बारे में मैंने पूछा है क्या उनको भी कोई सहायता दी गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जानकारी इस समय तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास जानकारी है और आप दिलाना चाहते हैं उनको तो सरकार की ओर से हर तरह का प्रोत्साहन दिया जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह काम मेरा है या इन्डस्ट्रीज़ विभाग का ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसका तो है ही। कई ऐसे स्थान भी हैं जहां के लिये हम आपकी सहायता ले सकते हैं। आपकी सहायता लेना बुरी बात तो नहीं है। हम तो सहायता मांगते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दूसरी बात आपने यह फरमाई कि उनकी खपत मर्यादित है। यह किस आधार पर आपने जाना ? आपने उनको डिस्प्ले कहीं किया क्या, एम्पोरियम में रखा क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें इतनी लागत लग जाती है कि ऑर्डिनरिली खपत होना कठिन हो जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने ट्राई की क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो जांच करने का प्रश्न है। जनरल बात कही है मैंने तो। लेबर चार्जेज़ ज्यादा पड़ते हैं। फिर भी एक्सपोर्ट मार्केट में जा सकता है तो भेजने की कोशिश जरूर की जावे, यह हम भी चाहते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने जनरल बात नहीं पूछी। पर्टिक्यूलर आइटम्स के नाम लेकर पूछा है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की नामी कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं; इसके लिये इन्डस्ट्री विभाग को भी पता लगा है या नहीं ? इनका उसने कोई सर्वे भी किया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी जानकारी तो नहीं है; पर सर्वे जरूर हुआ है, यह पता है।

श्री मथुरादास माथुर : इनका सर्वे हुआ है और हमारे विभाग ने किया है।

श्री रामकिशन : किन किन कलाओं का किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : हरेक डिस्ट्रिक्ट में कॉटेज इन्डस्ट्री का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट में क्या क्या महत्व है, इसका सर्वे किया है और १६ डिस्ट्रिक्टों की रिपोर्ट तो तैयार भी हो गई है।

श्री रामकिशन : इसमें किन किन कलाओं का जिक्र आया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जैसे चांदी का काम होता हो, बादले का हो, चमड़े का है, छपाने का है, रंगने का है; जो जो पुरानी

(श्री मथुरादास माथुर)

कलाएं हैं करीब करीब सब का सर्वे होकर रिपोर्ट बनी है ।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सर्वे जब किया है तो डिटेल जो मैंने पूछी है वह बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर ; अलग से प्रश्न मुझे पूछ लीजिये। वैसे मैं सुझाव देता हूं आप उन रिपोर्टों को पढ़ लें । आपको काफी उत्तर मिल जावेगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इन कलाओं में एक दो कलाकार ही कुछ में बचे हैं। तो इन कलाओं को जीवित रखने की दृष्टि से क्या इनके शिक्षण का प्रबन्ध भी सरकार की ओर से किया जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने माननीय सदस्यता को आश्वासन दिया है कि ऐसे कामों में जहां मदद देने की जरूरत होगी सरकार मददेगी। अगर आपके पास और कोई उपाय हों, सुझाव हों तो बताइये। उनका सरकार स्वागत करेगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कितनी बार मैं कहती जाऊं। मैंने काफी कहा है। क्या इनके बारे में आश्वासन दिया जावेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : दिया है न।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आवाज स्पष्ट नहीं होने से सुनाई नहीं देता।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : आपको तो सबसे ज्यादा आश्वासन मिला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रानी साहिबा पूछ रही हैं, राजा साहब जवाब दे रहे हैं; दाल भात में मूसरचन्द आप क्यों खड़े हो गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तीन तीन मिनिस्टर खड़े हो गये, फिर भी पूरा जवाब नहीं दे पाये।

श्री रामकिशन (वैर) : १८ ही मिनिस्टर एक साथ खड़े हो जावें तो जवाब नहीं दे पावेंगे; प्रश्न ही लाजवाब है।

प्रश्न संख्या ७०

श्री अध्यक्ष : श्री मजलीस खां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७१

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल सेन्टर ।

सड़क व पुलिया निर्माण कार्य, खानपुर

७२. **श्री प्रभुलाल सेन्टर** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रभुलाल सेन्टर)

(१) खानपुर अरन्या वाया सारोला सड़क कब पूरी हो जावेगी ?

(२) खानपुर कनवास सड़क वाया दही खेड़ा का कार्य कब से शुरू करने का इरादा है

(३) मालता के पास नदी में पुलिया बनवाने की क्या कोई योजना है ? यदि है, तो कब तक काम शुरू हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) आशा है चतुर्थ योजना तक। (२) आशा है वर्ष ६५–६६ तक। (३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

बिजली का सर्वे, पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय

७३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि विद्युत् बोर्ड की ओर से पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय का सर्वे हो चुका है ?

(२) यदि हां, तो सर्वे के पश्चात् क्या कार्यवाही इस विषय में चल रही है ?

(३) क्या यह सही है कि सर्वे द्वारा विद्युत् बोर्ड का यह निश्चय हुआ है कि इलाका तहसील सिकराय में बिजली का अधिक उपयोग हो सकता है और काश्तकारान को अधिक लाभ हो सकता है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष १९६३–६४ पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय को बिजली सप्लाई कर सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) सर्वे के पश्चात् यह योजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हुई है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया(निवाई): गये साल आश्वासन दिया था कि दस मील में पड़ने वाले कुओं को बिजली दी जावेगी ; इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : इसका सर्वे कराया गया था। पर लाभ के दृष्टिकोण से फाइनेन्शियल रिटर्न उतना नहीं मिलने से इसे रोका है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : रिटर्न का दृष्टिकोण क्या है ? तीन मील तक तो पांच कुओं को भी बिजली देने का आपका प्रावधान है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तीन मील का नहीं, एक मील का है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : यह तो एक मील भी नहीं है।

जिन गांवों में वहां से होकर बिजली गई है उसमें से दी जा सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें जरूर देंगे।

श्री लक्ष्मणप्रासद पटेल : यह कब तक दे देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं दूंगा जरूर।

आयुर्वेदिक औषधालय, पचेरी बड़ी

७४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि पचेरी बड़ी, जिला झुंझनू में आयुर्वेदिक औषधालय है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) इस औषधालय में औसतन रोज कितने मरीज आते हैं और दवाई कितने रुपये माहवार की दी जाती हैं ?

(३) क्या यह भी सच है कि इसके आस पास कोई सरकारी दवाखाना नहीं है। जिससे मरीज यहां ज्यादा आते हैं व दवाओं की सदा कमी रहती है ?

(४) क्या सरकार इन सब कारणों को देखते हुए इस औषधालय को 'ए' श्रेणी का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। पचेरी बड़ी, जिला झुंझनू में एक आयुर्वेदिक औषधालय है और वह राजस्थान निर्माण के पहले से चल रहा है।

(२) इस औषधालय में दैनिक रोगी संख्या ३२ है और इस औषधालय को ३२५.६६ नये पैसे की औषधि इस वर्ष दी गई है।

(३) पचेरी बड़ी पंचायत समिति बुहाना में स्थित है और इस पंचायत समिति के क्षेत्र में निम्न ६ औषधालय हैं:(१)मिर्र (२)डूंगलो खुर्द (३) बालोट (४) घड़ा आंकला (५) सांगा (६) पुहानिया। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि इस औषधालय के आसपास कोई औषधालय नहीं है। हां, तीन चार मील की दूरी में औषधालय नहीं है। रोगी संख्या ३२ और दवाइयां ३२५.६६ नये पैसे की भेजी गई हैं, इसलिए औषधियों की कमी की शिकायत निराधार है।

(४) रोगी संख्या को देखते हुए और पचेरी की जनसंख्या को देखते हुए चालू औषधालय पर्याप्त हैं और संकटकालीन परि-स्थिति के कारण इस वर्ष औषधालय का उच्चस्तरीयकरण करना सम्भव नहीं है। आवश्यक मांग के अनुसार औषधियां मार्च के अन्त तक और भेजी जा सकेंगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या वहां से दवाइयों की ज्यादा मांग नहीं आती है ?

श्री दौलतराम सारण : जब मांग आती है तो औषधियां भेज दी जाती हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या ऐसा नहीं है कि बिना वैद्य के मांगे ही औषधि भेजी जाय ?

श्री दौलतराम सारण : जो वैद्य वहां काम करते हैं वे आवश्यकतानुसार पहले से मांग-पत्र भेज देते हैं। उस मांग-पत्र के अनु-सार औषधिया भेज दी जाती हैं।

Page No. 11

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इन्डेन्ट बनाकर वे भेज देते हैं कि अमुक प्रकार की दवाइयां भेजी जायं, उसकी जगह दूसरी प्रकार की दवाइयां भेज दी जाती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यथा-संभव वे ही औषधियां भेजी जाती हैं।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में शोध एवं संदर्भ शाखा

७५. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में शोध एवं संदर्भ शाखा है ?

(२) यदि हां, तो गत वर्ष में कौन कौन सा शोध-कार्य उनके हाथ में था और उसकी अब क्या प्रगति है ?

(३) क्या सन् ६३ में कोई नया शोध कार्य शुरू किया गया है ?

(४) क्या इस शाखा ने विभिन्न पहलुओं पर जनता की रुचि, योजना के प्रति चेतना आदि जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ?

सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां।

(२) कोई शोध कार्य नहीं किया गया। संदर्भ के रूप में राजस्थान के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गयी है। इस विषय की ७५ फाइलें अब तक तैयार की गयी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों की कतरनों की ३३ फाइलें विषयवार और तैयार की गयी हैं, जिनमें अब तक लगभग ३० हजार कतरनें संकलित हो गयी हैं। इस सामग्री की सहायता जब आवश्यक होती है लेख आदि तैयार करने के लिए ली जाती है। इस शाखा ने 'राजस्थान वार्षिकी' निकालने की भी योजना बनाई है और इसके लिए आरम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

(३) शोध-कार्य का, जैसा कि ऊपर बताया गया, प्रश्न नहीं उठता।

(४) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

खेडली-हिण्डौन सड़क

७६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि खेडली से हिन्डौन जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा अभी नहीं बन पाया है जिसके कारण बरसात मे बसें रुक जाती है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस पर काफी ट्रैफिक रहता है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) दो पुलियों को छोड़कर सड़क पूर्ण हो चुकी है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) जी हां।

(३) सड़क पूर्ण हो चुकी है। एक पुलिया का कार्य इस योजना में स्वीकृत कर दिया है, बाकी बाणगंगा नदी के पुल का कार्य योजना में स्वीकृत है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह आप कैसे कह रहे हैं कि वह सड़क पूरी हो चुकी? अभी तक यह चार मील का टुकड़ा यों का यों पड़ा है।

श्री श्रवणलाल : आप कहते हैं कि कार्य सड़क का पूरा हो गया है। यह जो चार मील का टुकड़ा है; न उस पर गिट्टी पड़ी है और कुछ जैसी रेत है वह वैसी की वैसी ही है। आप किस आधार पर कहते हैं कि सड़क तैयार है?

श्री हरिश्चन्द्र : खेड़ली से हिन्डौन तक के लिए कह रहे हैं आप?

श्री श्रवणलाल : जी हां, यह ४ मील का टुकड़ा जैसा था वैसा का वैसा पड़ा हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र : जैसी मेरे पास सूचना है, दो पुलियाओं को छोड़कर बाकी सब बन चुकी है। हो सकता है वह पुलियाओं के साथ जगह छोड़ दी गई हो।

श्री श्रवणलाल : पुलियाओं पर तो थोड़ा बहुत काम हुआ भी है। किन्तु यह जो चार मील का टुकड़ा है वह बिल्कुल नहीं बना है।

श्री रामकिशन : प्रश्न यह है कि खेड़ली से जो सड़क हिन्डौन जाती है उसका चार मील का टुकड़ा है; न उस पर गिट्टी पड़ी है, न पत्थर पड़े हैं, यह-चार मील का टुकड़ा पन्द्रह साल से वैसा पड़ा हुआ है; न मिट्टी न गिट्टी है, न पत्थर ही पड़े हुए हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : पुलियाओं के अ ' वा अगर चार मील का टुकड़ा पड़ा है तो I shall inquire into it.

पंचायत समिति, धौलपुर के सदस्य पर कर्जे क बकाया रकम

७७. **श्री रामकिशन (वैर)** :क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि धौलपुर पंचायत समिति के सदस्य, श्री गोपीचन्द के जिम्मे समिति के कर्ज की रकम बकाया है? यदि हां, तो यह कर्ज कब दिया गया है और किस किस कार्य के लिये कितना कितना और कितने कितने वर्षों के लिये दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इस कर्जे की वसूली के लिये कभी कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कितनी वसूली हुई है?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। वसूली के लिये नोटिस दिये गये हैं, पर अभी तक वसूली नहीं हो पाई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

Page No. 13

श्री रामकिशन : आपने जो सूची दी है उसमें आपने एक ही कर्ज बताया है; क्या इसके अलावा और कोई कर्जा नहीं है ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास एक हजार की ही जानकारी है।

श्री रामकिशन : मैंने प्रश्न किया कि इस एक सरपंच ने अलग अलग कितने कर्जे लिये ?

श्री भीखाभाई : आपने गोपीचन्द के लिये व्यक्तिगत पूछा है। पंचायत समिति से और विकास कार्यों के लिये कर्जा हो सकता ,है लेकिन मेरे पास तो एक ही की सूचना है।

श्री रामकिशन : मैंने इसके लिए अलग अलग कर्जे की जानकारी चाही है कि कितने प्रकार के कर्जे इसने लिये और बाकी कितने हैं ? क्या दूसरे कर्ज इसने लिये नहीं ?

श्री भीखाभाई : एक ही कर्जे की जानकारी है, जो सूची में बता दी गई है।

इसके अलावा एक जानकारी है ७६०) रूपया फर्टीलाइज़र का बकाया निकलता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो ७६०) रूपया बकाया की कह रहे हैं, क्या उसका उल्लेख इस सूची में नहीं है ?

श्री भीखाभाई : नहीं है। लेकिन मैंने, जो कर्जा लिया वह बता दिया। तारीख बता दी, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है।

श्री रामकिशन : जो सारी जानकारी चाही गई वह सूची में दर्ज क्यों नहीं की गई ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत समिति द्वारा जो लोन देने का नियम है, जिस आदमी में लोन की रकम बाकी है उसको दूसरा लोन न दिया जाय; जब उसमें बाकी है तो और रकम देने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशन : प्रश्न का जवाब पूरा नहीं दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : समिति से शायद एक कर्जा ही मिला है।

श्री भीखाभाई : शायद माननीय सदस्य की उन पर नाराजी मालूम देती है।

श्री अध्यक्ष : इनकी नाराजगी से यदि जन-हित होता हो तो वह बहुत ठीक है।

श्री रामकिशन . मेरी नाराजगी का सवाल नहीं है। मैंने सवाल ऐसे ही पूछे हैं अब की मर्तबा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऐसे मामलों में नाराजगी अवश्य होनी चाहिये। गबन का मामला है,। माननीय मन्त्री महोदय शायद हमदर्दी रखते हैं ?

श्री भीखाभाई : यह गबन का सवाल कतई नहीं है। सरपंच को जो एक हजार रुपया दिया गया वह भी किश्तों में दिया गया, वह वसूल हो रहा है; इसलिये गबन का प्रश्न ही नहीं है।

श्री रामकिशन : मैंने पूछा है भिन्न भिन्न कर्जे कितने कितने के दिये गये ?

श्री भीखाभाई : यह सूचना मेरे पास नहीं है कर्जा ज्यादा है तो उसकी सूचना दे दूंगा ।

नादौती गुढ़ाचन्द्र तक बिजली की लाइन

७८. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार, जो बिजली की लाइन तहसील दौसा के भांडारेज ग्राम में गई है उसको तहसील नादौती गुढ़ाचन्द्र जी तक बढ़ा देने का बिचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) अभी ऐसा विचार नहीं है ।

(२) क्योंकि पहिले ५,००० की जन-संख्या के गांवों तक बिजली पहुंचाई जा रही है । धनाभाव के कारण सब गांवों में बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती ।

प्रश्न संख्या ७६

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल सेन्टर ।

खानपुर-चांदखेड़ी कस्बे को बिजली

८०. **श्री प्रभुलाल सेन्टर** (खानपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) खानपुर चांदखेड़ी कस्बे की आबादी ५००० होने पर भी वहां बिजली न दिये जाने का क्या कारण है ?

(२) उक्त कस्बे को कब तक बिजली मिलने की सम्भावना है?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) चांदखेड़ी व खानपुर की आबादी मिलाकर ५,००० से अधिक है; पर अभी बिजली लगाने की योजना नहीं बनाई गई है ।

(२) जी नहीं।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति द्वारा ४०,००० रुपये जमा करने का प्रस्ताव पास हो चुका है और मैं समझता हूं कि खानपुर के पास ही एक छोटा सा गांव है जो कि बिल्कुल मिल चुका है और ५००० से उसकी ज्यादा आबादी है; इसलिए मैं समझता हूं कि बिजली जल्दी मिलनी चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने ऐसा सुना अध्यक्ष महोदय, कि ४०,०००) रुपया गांव वाले देना चाहते हैं?

श्री प्रभुलाल सेन्टर : जी हां, पंचायत समिति ४०,०००) रूपया कर्ज देने के लिए तैयार है और प्रस्ताव पास हो चुका है और जिला परिषद से एप्रूव हो चुका है ...

श्री हरिश्चन्द्र : बहुत अच्छी बात है। उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : धन्यवाद तो है, लेकिन बिजली भी तो जल्दी मिलनी चाहिए।

श्री रामकिशन (वैर) : वे तो बिजली की मांग कर रहे हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं।

प्रश्न संख्या ८१

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८२

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

जीरा व तिलहन पर सेल्स टैक्स

८३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान प्रान्त में जीरा व तिलहन पर कितना सेल्स टैक्स है?

(२) क्या कोई भी लाइसेन्सदार प्रान्त के लाइसेन्स से जीरा व तिलहन खरीद कर प्रान्त के बाहर अपनी घरू बिक्री के लिये भेजे तो खरीददार लाइसेन्सदार को टैक्स देगा या डिक्लेरेशन फॉर्म लेगा या टैक्स देगा? यदि टैक्स देगा, तो कितने प्रति शत?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राजस्थान राज्य में जीरे व तिलहन पर बिक्री कर की साधारण दर क्रमश: ६ व २ प्रतिशत है।

(२) यदि कोई पंजीकृत व्यापारी किसी अन्य पंजीकृत व्यापारी से राज्य के बाहर घरू बिक्री के लिये भेजने के उद्देश्य से जीरा या तिलहन खरीदता है तो खरीददार व्यापारी को बिक्री कर निम्न प्रकार देना पड़ेगा:—

(१) २ प्रतिशत बिक्रीकर तिलहन व जीरे पर; अगर वह तद्नुसार ऐसा कोई घोषणापत्र नहीं देता है।

(२) ६ प्रतिशत कर जीरे पर और २ प्रतिशत कर तिलहन पर; अगर ऐसा कोई घोषणापत्र नहीं देता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यह सच है कि काश्तकार जो जीरा तिलहन मन्डी में ले जाते हैं उनसे भी सेल्स टैक्स लेते हैं?

श्री परसराम मदेरणा: काश्तकारों से किसी प्रकार का सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जाता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जो अपने क्षेत्र से बाहर काश्तकार बेचने के लिए ले जाते हैं क्या उनसे भी टैक्स लिया जाता है?

श्री परसराम मदेरणा : उनसे टैक्स वसूल करने का कोई नियम ही नहीं है।

श्री दलपतसिंह : क्या कारण है कि आबूरोड से जो जीरा और तिलहन उंझा

(श्री दलपतसिंह)

मण्डी में जाता है तो हजारों रूपया काश्तकारों से टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई है। माननीय सदस्य ने कल ही मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अब क्योंकि टैक्स इवेड करने की गरज से जो ट्रक्स वाले हैं कि काश्तकारों को बैसा लेते हैं उससे काश्तकार तो नहीं हो जाते और उनसे कहलवा देते हैं कि यह हमारा है और हम काश्तकार हैं। ऐसा सिर्फ वे टैक्स को इवेड करने के लिए करते हैं। अगर काश्तकार खुद बेचने के लिए जाता है तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता है।

श्री दलपतसिंह : मुझे इसकी तो खुशी है कि इस तरह का टैक्स उनसे नही लिया जायगा, परन्तु यदि कोई ऐसा टैक्स लास्ट ईयर किसी काश्तकार से वसूल हुआ है और उसको आपकी जानकारी में दिया जायगा तो मुझे आशा है कि उसके उचित कार्यवाही आपकी ओर से की जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : जरूर।

श्री दलपतसिंह : और पैसा वापिस काश्तकार को दे दिया जयेगा।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : यदि जांच से मालूम होगा कि ज्यादती हुई है तो पैसा वापिस हो जायगा।

श्री दलपतसिंह : लेकिन किसी कानून के अनुसार काश्तकारों के ऊपर ज्यादती की क्योंकि एक एक काश्तकार हजार हजार रुपया देना पड़ा है और दिक्कत उठानी पड़ी है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर असेसिंग आंथोरिटी ने रोंगफुल असेसमेन्ट किया है तो उसके लिए दो रास्ते आपके पास हैं; पहला रास्ता तो यह है कि आप रिफण्ड मांग सकते हैं और असेसिंग आंथोरिट और अपील में भी अपीलेट ऑथोरिटी से किसी प्रकार की बोनाफाइड हुई है तो that can be rectifed by the appellate authority also.

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, अपीलेट बोडी भी होती है, लेकिन पहले तो हमारे यहां के काश्तकार इतने अनपढ़ और इग्नोरेन्ट हैं कि कब वे अपील करेंगे। एक मामूली अधिकारी की मिस्टेक से उन लोगों को हजारों रूपया देना पड़ा है तो बी० डी० ओ० या कोई और ऑथोरिटी इस प्रकार का सर्टीफिकेट दे दे या ऐसी ही कोई सुविधा हो तो ज्यादा उचित रहें, वर्ना पैसा देने से तो उनको बहुत नुकसान होता है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर माननीय सदस्य मुझे कोई पर्टीकुलर इन्सटासेज़ दें तो मै इन्क्वायरी करा लूंगा और उसको हम ही रेक्टीफाई कर देंगे और हम आँथोरिटी से करा देंगे कि इस तरह की मिस्टेक है। अगर हम सेटिस्फाई हो जायेंगे कि रांगफुल असेसमेन्ट है तो उसके रेक्टीफाइ कर देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस नियम में खामी मालूम पड़ती है जिसमें डिस्क्रिशन उसके ऊपर छोड़ा गया है कि यह माल काश्तकारों का है या व्यापारी का है। तो बहरहाल मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि उस नियम में कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न करें ताकि यह डिस्क्रिशन वहां पर न रहकर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

काश्तकारों को अपनी पंचायत से या किसी से ऐसा सार्टिफिकेट मिल जाये तो उनको वह इन्टरवीन न करें, वर्ना यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आधार बन जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : लॉ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अध्यक्ष महोदय। काश्तकार यदि बेचता है तो न तो वह परचेज़ है और न वह सेल है। तो वह काश्तकार पर टैक्स नहीं है। प्रश्न यह रहता है कि काश्तकार खुद बेचता है या नहीं ? अगर असेसिंग ऑथोरिटी सेटिस्फाइड है कि ये काश्तकार हैं तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर असेसिंह ऑथोरिटी सेटिस्फाइड है और उसने कह दिया कि नहीं यह तो व्यापारी का माल है तो उसको कौन रोक सकता है उस समय ? अब अगर उनको रोकने का अधिकार मिल गया तो बहुत गड़बड़ हो जायेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) अध्यक्ष महोदय, जीरे के अलावा गुड़ यदि कोई काश्तकार अपने घर में बनाकर भेली दो भेली बेचे तो उस पर भी टैक्स लिया जाता है। इसने तो हमारे काश्तकारों को परेशान कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि काश्तकार के ऊपर तो किसी तरह का टैक्स है ही नहीं within the State और आउट-साइड स्टेट अगर काश्तकार बेचता है तो कोई टैक्स नहीं है। यह प्रश्न दूसरा है कि एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को भेजता है तो उससे लिया जायेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी, कानून की जहां तक बात है कानून इस मामले में बिलकुल साफ है। लेकिन कुछ इस किस्म के वाकयात सामने आये थे कि जिनमें कोई सेठ साहब कोई चीज खरीद कर और गाड़ी के ऊपर काश्तकार को बैठा कर माल बेच रहे थे, टैक्स का इवेज़न कर रहे थे। उस समय ऐसा एक केस पकड़ा गया था और मुमकिन है कि उसकी देखा देखी कुछ ऐसे जेनुइन केसेज़ भी हों कि जैसा माननीय सदस्यों ने जाहिर किया है कि वाकई कुछ काश्तकार ले जा रहे थे बेचने के लिए उनसे भी टैक्स लिया गया है। लेकिन इस किस्म की मिसाल अगर सामने हो तो सरकार उसको ठीक कर देगी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह अर्ज करूंगा कि इसके दूसरे आस्पेक्ट को भी वे देख लें कि कोई व्यापारी इस तरीके से खरीद कर टैक्स को इवेड करने के लिए किसी काश्तकार को बैठा दे और उससे यह कहला दे कि मैं अपना माल ले जा रहा हूं तो इसको भी वेरीफाई कराने की जरूरत है और यह वैरीफिकेशन इसलिए रखा है कि टैक्स इवेड न हो। अगर उसमें कोई गलती रह गई है तो सरकार ठीक करने के लिए उसे तैयार है। लेकिन माननीय सदस्य गवर्नमेन्ट से कोऑपरेट करें कि टैक्स जितना हो वह इवेड न हो।

श्री दलपतसिंह : यह ठीक है। लेकिन जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने कहा कि यह तो रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स में ही ऐसा है। तो हमारा फर्ज हो जाता है कि इसके लिए कुछ न कुछ करें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह उन्होंने कहा तो गलत है। रूल्स बिलकुल साफ हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अकलेरा की जांच कर लें, दो दो मेली गुड़ के ऊपर भी टैक्स लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह सही है कि कानून में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि कल्टीवेटर्स से टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : ता० २०-६-६४ को हाट में ५० गाड़ी गुड़ की आई थीं उनसे टैक्स वसूल किया गया, इस कारण से ३०-४० गाड़ियां वापिस चली गईं खानपुर, जिला झालावाड़ में। वहां पर इन्सपेक्टर का कहना है कि पहली बिक्री पर टैक्स लगेगा इसलिए इन लोगों को देना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि काश्तकार से टैक्स वसूल नहीं किया जायगा तो सवाल यह है कि क्या कानून में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा उल्लेख है कि काश्तकार से टैक्स वसूल नहीं किया जायगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : वह 'सैल' की परिभाषा में नहीं आता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहीं नहीं लिखा है कि कल्टीवेटर से नहीं लेते हैं और नॉन कल्टीवेटर से लेते हैं—उसमें तो सिर्फ यह लिखा है कि जो सैल और पर्चेज करेगा उससे लिया जायगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर दूं कि सैल्स टैक्स किससे लिया जाता है तो काश्तकार तो खरीदता नहीं है, वह तो बेचता है। बेचने वाले से टैक्स नहीं लेते हैं। वह खरीददार पर लगाया जाता है इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : कलेक्शन तो बेचने वाले से ही होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टैक्स वसूल किया जायगा पर्चेज़र से, लेकिन एसेसमेंट तो होगा जो बेचता है उससे।

श्री बालकृष्ण कौल : एसेसमेंट जो किया जाता है वह रजिस्टर्ड डीलर से किया जाता है और काश्तकार रजिस्टर्ड डीलर होता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आदमी सेल करता है उससे आप वसूल करेंगे और सेल करने वाला रजिस्टर्ड डीलर नहीं हो और हो सकता है कि छोटे काश्तकार को राहत देने का सवाल हो, लेकिन सवाल यह आता है कि कोई बड़ा हजार बीघे का फार्म लेकर कल्टीवेशन करता है और अपनी प्रोड्यूस का सेल करता है तो क्या सेल्स टैक्स की तारीफ में आयेगा ? क्या आप उससे टैक्स वसूल नहीं करेंगे और उसका आप एसेसमेंट नहीं करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, टैक्स जो है वह रजिस्टर्ड डीलर से लिया जाता है या केजुअल डीलर से लिया जाता है।

Page No. 19

(श्री बालकृष्ण कौल)

काश्तकार यदि रजिस्टर्ड डीलर हो जायगा तो उससे भी लिया जायगा। कोई काश्तकार अगर रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो वह अपनी प्रोड्यूस को बेच सकता है। वहां पर सेल्स टैक्स नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो काश्तकार सेल करता है उसको भी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेन्स लेना पड़ेगा? वह माल बेचता है तो क्या उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेन्स लेना पड़ेगा?

श्री परसराम मदेरणा : टैक्स जो लिया जाता है वह टर्न ओवर पर लिया जाता है और सेक्शन २ (टी) का प्रोवीज़ो है उस प्रोवीज़ो के अनुसार काश्तकार जो है वह इस तरह के टर्नओवर से एक्स्क्लूडेड है टैक्स से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या है वह पढ़ दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पढ़ता हूं "(t) Provided that the proceeds of the sale by a person of agricultural or horticultural produce, grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner, usufructuary mortgagee, tenant or otherwise, or poultry or dairy products from fowls or animals kept by him shall be excluded from his turnover."

श्री अध्यक्ष : इस परिभाषा में गुड़ आता है कि नहीं? यहां पर गुड़ की समस्या है कि दो भेली गुड़ बेचने पर भी सेल्स टैक्स लगता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लॉ डिपार्टमेंट से एग्ज़ामिन करा लें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : वहां पर गुड़ बेचने आते हैं........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस डेफिनिशन में गुड़ नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : जो समस्या मंत्री महोदय के सामने आ गई है उसको ध्यान में रखते हुए जैसा उचित समझेंगे हिदायत जारी करा देंगे।

श्री श्रवणलाल।

महुआ व मंडावर में बिजली

८४. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने महुआ व मंडावर में बिजली लगाने की योजना बनाई है?

(२) यदि हां, तो वह कब आरम्भ होगी? यदि नहीं बनाई है, तो कब तक योजना बनाई जावेगी?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) महुआ में बिजली लगाने का प्रोग्राम है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) टैक्निकल स्क्रूटिनी और रूट सर्वे होने के बाद काम प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री श्रवणलाल : सर्वे कब कराया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो गया रूट सर्वे।

श्री श्रवणलाल : क्या ६ फरवरी के पहले आपने आश्वासन दिया था कि चुनावों के पहले वह हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : महुआ के तो गांव गांव में बिजली लगा दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

ग्राम कसार के लिए आयुर्वेदिक औषधालय

८५. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (टीगोद) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के लोगों ने कसार ग्राम में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की मांग की है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम वाले औषधालय के लिए पक्का मकान डॉक्टर के रहने के लिए व कुछ आर्थिक सहायता भी देने को तैयार है ? यदि हां, तो फिर वहां पर औषधालय क्यों नहीं खोला जाता ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी हां, ग्राम वाले भवन को सुविधा देने को तैयार थे। अतः वहां पर औषधालय दिनांक १६-१-६४ से खोल दिया गया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सुनने में नहीं आया।

श्री दौलतराम सारण : खोल दिया है अस्पताल।

प्रश्न संख्या ८६

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

कनेरा को बिजली

८८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कनेरा (निम्बाहेड़ा) में बिजली अठाना (जावद एम० पी०) से पहुँचाई जाने की स्कीम है जो वहां से सात मील दूर है ? यदि नहीं, तो फिर कनेरा को बिजली कहां से दी जायगी ?

श्री विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : कनेरा को बिजली देने की अभी कोई योजना नहं है।

श्री अब्दुलजब्बार : जब कि मध्यप्रदेश के एक छोटे से गांव अढ़ाना में बिजली आ गई है जो कि कनेरा से केवल ४-६ मील पड़ता है, वहां से एक्स्टेन्शन कर दें तो सरकार इसमें क्या आपत्ति महसूस करती है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपत्ति की कोई बात नहीं है। पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है, पैसा नहीं है अभी।

श्री अब्दुलजब्बार : योजना में तो है, लेकिन पैसे की कमी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : (बैठे बैठे) योजना में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

चित्तौड़-बूंदी सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

८६. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़-गढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चितौड़ से बूंदी सड़क पर कितने किसानों की जमीन सड़क बनाने के काम में ली गई और कितने किसानों को मुआवजा चुकाया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इतना लम्बा है कि इसकी इन्फोर्मेशन अभी तक नहीं आ सकी है। मैं इसके लिए कम से कम १५ दिन की मोहलत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कमेटी बन रही है, उसमें जल्दी करें।

श्री हरिश्चन्द्र : हां, उसमें तो जल्दी होगी।

श्री अध्यक्ष:—श्री जुझारसिंह।

चरनोट हेतु हस्तांतरित भूमि

६०. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Panchayat Minister please reply:—

(1) Is it a fact that Khasra Nos. 224, 225, 227, 439, 446, 447, 455, 453, 462, 456, etc. measuring about 500 bighas of land have been transferred to Panchayat Barodiya of Tehsil Jhalrapatan (District Jhalawar) by the tehsil authorities for grazing purposes and the Panchayat and Collector informed about it ?

(2) Is it a fact that the Forest Department claiming it to be their land have started the plantation on this land and the Panchayat has been deprived of their grazing facilities by the Forest Department ?

(3) Is it a fact that the demarcation of Forest and Revenue and Panchayat areas are not clear and over-lapping at many places ?

(श्री जुझारसिंह)

(4) What action will Government take to avoid this duplication in future ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) कहीं कहीं ऐसा है ।

(४) ऐसे स्थानों पर सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, आइटम (२) में यह कहा गया है कि संभावना हो सकती है, जब कि मैंने डेफिनिट नम्बर दिये हैं और यह कहा है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट इस पर प्लान्टेशन कर रहा है; तो इनका फर्ज था कि उसकी डेफिनिट जानकारी करते और वहां से पूछते कि यह सच है । "संभावना हो सकती है", It is a fact.

बावजूद इसके कि पंचायत को लैण्ड दी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसको फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने बिना किसी से पूछे ले लिया है और उस पर प्लान्टेशन कर रहे हैं और गांव वालों को जमीन से डिसपज़ेस कर दिया है । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह संभावना कैसी है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि 'जी हां' । उसके बाद I am soryr; मैं एक शब्द भूल गया हूं, 'जी हां' के बाद यह है कि 'संभावना हो सकती है ।'

इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, "क्या यह सही है कि वन विभाग ने इस भूमि पर अपना दावा बताते हुए वृक्षारोपण प्रारम्भ कर दिया है ।" इसका उत्तर मैंने अफर्मेटिव में दिया है । दूसरा भाग है "तथा वन विभाग ने पंचायत को चरनोट की सुविधाओं से वंचित कर दिया है ?" उसकी संभावना हो सकती है । इसमें बहुत से डिस्प्यूटेड सवाल है । जो खसरा नम्बर बताये गये हैं उन खसरा नम्बर से, जो राजस्व विभाग ने दिये हैं मेल नहीं खाते हैं वन विभाग से इस । पर झगड़ा चल रहा है । डिस्प्यूटेड नम्बर्स दिये हैं और एक्शन इस बात पर लिया जा रहा है कि उसको.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): ग्रेजिंग लैण्ड लगी हुई है और पंचायत में आ गई है तो वन विभाग वाले कुछ नहीं कर सकते हैं ?

श्री जुझारसिंह डिस्प्यूटेड नम्बर्स हैं तो पंचायत को क्यों दिया गया है ? डिस्प्यूट खत्म होने के बाद राजस्व विभाग दे सकता था ।

श्री भीखाभाई : राजस्व विभाग ने जो नम्बर दिया है तो राजस्व और फोरेस्ट विभाग के नम्बरों में झगड़ा है, पंचायत समिति का झगडा नहीं है । जब तक झगड़ा होता है और वह नम्बर खारिज नहीं होता है और मान लें कि फोरेस्ट में दर्ज है और उन्होंने अपना बना दिया तो यह झगड़ा चल रहा है और उसका निराकरण नहीं हुआ है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इस प्रकार का झगड़ा राजस्थान में

Page No. 23

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

व्यापक है और एक जगह ही नहीं करीब करीब सभी जगह पर है । रेवेन्यू विभाग जमीन अलॉट करता है और वन विभाग उसको न मानते हुए नये प्लान्टेशन करने के लिये किसानों को बेदखल कर देता है । यह एक जगह नहीं कई जगह है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, दो विभागों का झगड़ा इस प्रकार का है और उससे साधारण नागरिकों को दिक्कत पहुँचे और एक डिपार्टमेन्ट लॉ अपने हैंड में लेकर कार्य-वाही शुरू कर दे, यह उचित नहीं है । वन विभाग कहता है कि यह जमीन हमारी है, कब्जा नहीं लेने देंगे । बोई हुई फसल में हस्तक्षेप किया जाता है । मैं समझता हूं, आज गवर्नमेन्ट को पोज़िशन उस तरह की नहीं है जैसाकि सन् ४६ में इन्टेरिम गर्वनमेंट कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बनी थी उसकी थी । सुखाड़ियाजी की गर्वनमेंन्ट में दो विभाग यदि आपस में लड़ते हैं तो झगड़ा आपस में उनको निपटाना चाहिये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : झगड़ा राजस्व और वन मंत्रियों के आपस का है ।

श्रीरामानन्द अग्रवाल : आपसी या पार्टी का झगड़ा जनता तक नही ले जाना चाहिये; पार्टी का झगड़ा पार्टी में ही होना चाहिये, साधारण लोगों को क्यों लड़ाते हैं ?

श्री भीखाभाई : सीमाओं का झगड़ा लम्बे अर्से से चल रहा है । इसके निरा-करण का आदेश कलेक्टर को दे दिया है । जो झगड़ा उप-मन्त्री और वन मन्त्री के बीच या राजस्व मन्त्री और वन मन्त्री के बीच आप बताते हैं ऐसा नहीं है, वह गलत है । मैं कहता हूँ कि कलेक्टर को आदेश दे दिये हैं । सेक्रेटेरियट में रेवेन्यू ए और रेवेन्यू बी में एक ही जगह डील होता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले एक डिपार्टमेन्ट ऑर्डर देकर एक्शन ले ले, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंन्ट को तब तक कोई एक्शन नहीं लेना चाहिये जब तक कि पहले वाले डिपार्टमेन्ट के ऑर्डर को ऊपर से खारिज नहीं करवा दे या तय नहीं कर दें । रेवेन्यू विभाग ने पंचायतों को जमीन दे दी, उसको रेवेन्यू विभाग वापिस नहीं ले ले तब तक वन विभाग उस पर कार्यवाही प्लान्टेशन की नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है, यह गवर्नमेन्ट है या क्या है ? पोपाबाई का राज्य बना रखा है ?

श्री भीखाभाई : Sir, I take very serious objection to this. I have admitted the situation which he has said. But even the revenue maps are not true and they are being corrected and procedure has already been laid down in accordance with the recommendations of the Forest Enquiry Commitee. As such, I take very serious objection. The hon'ble, Member should be disciplined in the House.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : Hon. Minister is repuested kindly to reply to part (a) of this question.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : डेमोक्रेसी में सब चीज चलती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि........

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह बोल रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : जो नम्बर किसी डिपार्टमेन्ट ने पंचायत को ट्रान्सफर कर दिया है उस जमीन को जब तक डिस्प्यूट बिट्वीन फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट एण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में तय नहीं हो जाता है तब तक फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ऐसी जमीन या चरागाह पर से किसी को डिस्पजेस नहीं करेगा, क्या मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन देने को तैयार हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि स्टेप्स लिये गये हैं। वन विभाग से निकालने के लिये प्रस्ताव पंचायत समिति को पास करना है, वह पास हो गया है। जिला परिषद् को अधिकार दे दिया है, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्लाइजेशन के अन्तर्गत। एक जमीन जो काबिल काश्त है उसका अधिकार कलेक्टर लेवल पर करने का हो रहा है। ऊपर का सवाल नहीं रहता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसमें कलेक्टर के अधिकार का सवाल नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन बड़ोदिया गांव के बारे में है, उसका आप क्या जवाब देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक शिक्षा विभाग का प्रश्न था अध्यापकों की बकाया रकम के विषय में। उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में समय लगेगा इसलिए उसके बारे में तारीख बाद में निर्धारित की जायेगी, ताकि तब तक जवाब मिल सके।

प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

न्यूज़ एजेन्सीज़

२०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राज्य में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी न्यूज़ एजेन्सीज़ हैं ?

(२) क्या वर्ष ६२-६३ में किसी न्यूज़ एजेन्सी को अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किस २ ऐजेन्सी को, किसकी सिफारिश पर और कितना ?

उत्तर

(१) चार।

(२) १९६२-६३ में किसी न्यू ज़एजेन्सी को अनुदान नहीं दिया गया। हां, जिनकी सेवाएं प्राप्त की गयीं उनकी सेवाओं का पारिश्रमिक निम्न दर पर दिया गया :—

१. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया १५००) मा०

२. हिन्दुस्तान समाचार ४००) मा०

३. नीयर एण्ड फार ईस्ट न्यूज़ सर्विस १००) मा०

४. चौथी एजेन्सी इंडियन न्यूज़ एण्ड फीचर एलाएन्स से नियमित संबंध जुलाई १९६३ से ही हुआ है १५००) मा०

Page No. 25

(जन-सम्पर्क मंत्री)

५. यूनाइटेड न्यूज़ इंडिया-इन्होंने अपना टेलीप्रिंटर परीक्षण के रूप में लगा दिया है। परन्तु कोई पारश्रमिक नहीं दिया जाता है।

चित्तड़गढ़ जिले को चम्बल से बिजली

२१. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल डेम की बिजली चित्तौड़गढ़ जिले के उन गांवों को भी कृषि कार्य अथवा अन्य कार्य के लिये मिलेगी जो कि बिजली स्टेशन, सब-स्टेशन अथवा ट्रान्सफोर्मर से तीन मील के एरिया के अन्दर आती है। यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह भी सही है कि राज्य में ५,००० से कम की आबादी वाले गांवों को भी बिजली दी गई है ? यदि हां, तो कहां २ और कितने गांवों को ?

उत्तर

(१) जी हां। अगर योजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो और आवश्यक धन-राशि उपलब्ध हो। अभी तक कार्यक्रम निश्चित नहीं है।

(२) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

भूमि का मुआवजा, नगर-पहाड़ी सड़क

२२. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगर-पहाड़ी सड़क में कितने काश्तकारों की भूमि एक्वायर की गई ?

(२) उनमें से अब तक कितनों को मुआवजा दिया जा चुका है ?

(३) कितनों को मुआवजा देना बाकी है और कब तक दे दिया जावेगा ? तहसील-वाइज़ तथा ग्राम-वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

१. २५५ काश्तकारों की।

२. जो व्यक्ति इत्तलायाबी के बावजूद उपस्थित नहीं हुए उन लोगों की रकम वापिस जमा खजाने में करवा दी गई है; बाकी सभी को मुआवजा दिया जा चुका है।

३. १८८.२५ रु० देना शेष है सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र आने पर।

४. सूची प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

अनुसूचित जातियों के लिए कॉलोनी बनाने हेतु धन-राशि

२३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 26

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा सन् १९६० में ग्राम पंचायत विजयनगर ६० जी. बी. तथा भौमपुरा को अनुसूचित जातियों के लिये कॉलोनी बनाने हेतु धन-राशि दी गई थी ?

(२) यदि हां, तो कितनी राशि प्रथम किश्त के रूप में पंचायत वार कब २ दी गई थी ?

(३) उपरोक्त कार्य के लिये उपरोक्त पंचायतों को दूसरी किश्त कब २ दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉलोनी आज तक निर्मित नहीं हुई है तथा ६० जी. बी. पंचायत में तो यह राशि सरपंच के व्यक्तिगत उपयोग में आ रही है ? यदि हां, तो दूसरी किश्त ऐसी दशा में दिये जाने का क्या कारण है ? यह रकम पंचायतों से आज तक रिकवर क्यों नहीं कर ली गई ?

(५) क्या इस सम्बन्ध में कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हुआ है ? यदि हां, तो ऑडिट ऑब्जेक्शन की प्रति सदन की मेज पर रखें। ऑडिट ऑब्जेक्शन के बाद क्या एक्शन लिया गया है ?

उत्तर

१. जी हां।

२. सूची सलग्न है।

३. दूसरी किश्त केवल ग्राम पंचायत भौमपुरा को दिनांक १९-९-६० को दी गई।

४. ग्राम पंचायत विजयनगर व भौमपुरा द्वारा बनाई जाने वाली कोलोनी में क्रमशः ३ व ८ मकान बने हैं; इसलिये ही ग्राम-पंचायत भौमपुरा को दूसरी किश्त की रकम दी गई। ग्राम पंचायत ६० जी. बी. को जो धनराशि दी गई थी वह उक्त पंचायत की की रोकड़ में जमा है। इस पंचायत को दूसरी किश्त की कोई रकम नहीं दी गई। भौमपुरा व ६० जी. बी. पंचायतों से वसूली की कार्यवाही चालू है। विजयनगर पंचायत से वसूली की कार्यवाही अब आरम्भ की जा रही है।

५. जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

आडिट आक्षेप के बाद :—

१—ग्राम पंचायत विजयनगर को खर्चे का हिसाब प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया तथा नियमानुसार अब वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

२—ग्राम पंचायत भौमपुरा व ६० जी. बी. से पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत वसूली करने के लिये लिखा गया।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

पाली जिले की पंचायतों के विरुद्ध गबन की शिकायतें

२४. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले में किन किन पंचायतों की कितनी कितनी शिकायतें गबन की व अनियमित कार्यवाही करने की जिलाधीश के

(श्री तेजाराम गहलोत)

पास सन् १६५६ से दिसम्बर, १६६३ तक आई ?

(२) उक्त शिकायतों में से जिलाधीश ने किन किन की कब कब जांच की व करवाई व अपनी सिफारिश के साथ राज्य सरकार को भेजी व कब ?

(३) राज्य सरकार ने किन किन शिकायतों का मुकम्मिल फैसला कर दिया है व किन किन का फैसला नहीं हुआ है ?

(४) ऐसी किन किन पंचायतों के मुकदमें राज्य सरकार ने बावजूद जिलाधीश की सिफारिश के भी अपने निर्णय से रोक रखे हैं व उनके क्या कारण है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) संलग्न सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(३) संलग्न सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(४) संलग्न सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी एवं पंचों के विरुद्ध चल रहे केसेज़

२५. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितने सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी तथा पंचों के विरुद्ध इन्क्वायरी या केस चल रहे हैं ? उसकी सूची दीजिये।

(२) क्या इन्क्वायरी या केस के अन्तर्गत किसी सरपंच, पंच, प्रधान या विकास अधिकारी को सस्पेन्ड किया गया या हटाया गया ? यदि हां, तो उसकी सूची दीजिये।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) यह सूची भी संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

कृषि फार्म, पंचायत समिति, मालपुरा

२६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मालपुरा का अपना कृषि फार्म है ? यदि हां, तो कितने एकड़ का है ? इसको कब से चलाया जा रहा रहा है ?

(२) इस फार्म पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च किया जा चुका है और कितनी आमदनी इस फार्म से होती है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) सन् ६२-६३ में इस फार्म में कितने एकड़ में क्या २ फसलें बोई गईं और उनसे किस २ प्रकार का कितना २ अनाज पैदा किया गया ?

उत्तर

(१) जी हां। उक्त फार्म ११० एकड़ का है। यह फार्म १-१-५८ से चलाया जा रहा है। पंचायत समिति को २-१०-५६ को हस्तान्तरित किया गया था।

(२) अब तक ७०,६३६ रु० का खर्चा व २०,१७७ रु० की आय हुई है।

(३) सूची सलंग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

अपूर्ण कार्य–पंचायत समिति सांगोद तथा चेचट

२७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५९ से पूर्व की पंचायतों अथवा विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये भवन तथा सड़क के कितने कार्य पंचायत समिति सांगोद तथा चेचट में अपूर्ण रह गये है तथा इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा किस अनुपात में अर्थात् सरकार तथा जनता के बीच ?

(२) सरकार द्वारा इन कार्यों को पूरा कराने तथा इन परियोजनाओं में जनता की रुचि पुनर्जीवित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं।

उत्तर

(१) कोई भी कार्य अधूरा नहीं है।

(२) जनता द्वारा विकास कार्यों में बराबर रुची ली जा रही है।

(८.५५ म० पू०)

राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरणा) विधेयक, १९६३

(८.४४ म० पू०)

(प्रवर समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति)

श्री मथुरादास माथुर और श्री भीमसिंह ने राजस्थान पुलिस (इन्साइटमेन्ट टू डिसअफेक्शन) बिल के सम्बन्ध में जो प्रवर समिति है उससे अपना इस्तीफा दिया है, उनके स्थान पर श्री निरन्जननाथ आचार्य और श्री मोतीलाल चौधरी प्रवर समिति के सदस्य नियुक्त किये गये हैं। श्री निरन्जननाथ आचार्य इस प्रवर समिति के चेयरमेन होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): क्या इन्होंने नोन-कोऑपरेशन की वजह से इस्तीफे दिये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : नहीं, पोर्टफोलियो बदल गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कितने मेम्बर हैं जिनके पोर्टफोलियो बदले हैं ?

श्री अध्यक्ष : उदयपुर की घटना के सम्बन्ध में उप-गृह मन्त्री वक्तव्य देंगे।

(८.५८ म० पू०)

बापू बाजार (उदयपुर) में स्थित गेलार्ड होटल में एक व्यक्ति की मृत्यु संबंधी शासकीय वक्तव्य

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मकड़ी नाम का एक तांगे वाला उदयपुर में है। वह तारीख ६ फरवरी को ७॥ बजे सायंकाल इस होटल में अपने एक साथी चुन्नीलाल के साथ गया और होटल में अपस्टेयर्स पर अपने साथी के साथ बैठा। जब वह वहां गया तब वह पूरी तरह से नशे शराब में था·······

श्री जोधसिंह (गिरवा) : कौनसे होटल में महोदय ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप और हम जानते हैं। यह गेलार्ड होटल में है, बापू बाजार उदयपुर में।

श्री जोधसिंह : गेलार्ड होटल नहीं है वहां।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह आप बाद में कह देना कि है या नहीं। G.A.L. A.R.D. Hotel; इसको कैसे भी बोला जाय। मैं अर्ज कर रहा था कि ऊपर बैठने के बाद नशे शराब में उसने शरारती, नोइज़ो एटमोस्फियर पैदा किया। सौभाग्य से होटल के नीचे एक सब-इन्सपेक्टर प्रोबेशनर थे, वे भी बैठे हुए थे। जब हल्ला हुआ तो एक इन्द्रजीतसिंह·······

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह इन्सपेक्टर नशे में थे या होश में ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसा ही था। उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। वहां ज्यादा बोइस्टरस यह मकड़ी तांगे वाला हो गया। उसके बाद नीचे के आदमी और इकट्ठे हो गये और कोशिश की कि उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाय, लेकिन ज्यादा बोइस्टरस होने के कारण जब वह नीचे उतर रहा था तब गिर गया। गिर जाने पर हैड इन्जरी लगी, हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जूरिस्ट द्वारा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होने का प्रश्न उपस्थित हुआ, लेकिन दूसरे दिन उसका देहान्त हो गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से उसकी मृत्यु कोमा की वजह से और फिर शराब भयंकर रूप से पी चुका था उससे पोइज़निंग से मृत्यु होना तय पाया गया। सेक्शन ७४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक पुलिस ने डिटेल्ड इन्क्वायरी इस सम्बन्ध में की और कई गवाहन—उसके दोस्त अर्थात् मकड़ी तांगेवाले के दोस्त, दूसरे तांगेवाले सूर्यप्रकाश, अच्छे मियां, सुदामा, सोहनलाल आदि सब के बयान हुए। इसमें होटल कीपर मोतीलाल, रामचन्द्र कुक और वहां के बेयरा होटल के, सब के बयान होने पर यह बिल्कुल सिद्ध हुआ कि मकड़ी तांगे-वाला नीचे उतरा, गिरा, हैड इन्जरी लगी, कोमा और इन्टोसीकेशन से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस उपस्थित, जिस वाका जगह हुआ, वहां नहीं थी; सब इन्सपेक्टर वहां था वह प्रोबेशनर था·······

श्री जोधसिंह : बयान किसका हुआ ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बयान मेरा हो रहा, है आपका नहीं। इसमें आगे

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

और पीछे कहीं पुलिस का हाथ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो दोषारोपण लगाया गया है मृत्यु के बारे में वह निराधार और तथ्य हीन है !

(६.०० म० पू०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि एस. आई. ऊपर गया था और उसने उस आदमी को, उस मकड़ी तांगे वाले को गिरफ्तार किया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिल्कुल निराधार है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उसका डॉक्टरी हुआ, कितने घंटे के बाद करवाया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरे दिन डॉक्टरी मुआयना हो गया । जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन कराया गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जिस दिन वह गिर गया था उस दिन उसे सीधा इलाज-व्यवस्था के लिए अस्पताल पहुँचाया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसे अस्पताल पहुंचाया गया । जूरिस्ट द्वारा एग्ज़ामिन कराने का इन्तजाम किया गया। दूसरे दिन मर गया और उसका पोस्ट मॉर्टम हुआ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब वह अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसके इन्डोर पेशेन्ट के टिकट वगैरह लिखे गये या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह दूसरा प्रश्न है कि इन्डोर पेशेन्ट का टिकट लिखा गया या नहीं । He was admitted in the Hospital.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोमा में मरा है, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन लिये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता । 'Coma' means unconsciousness. From the time he was injured he was under coma. It was a head injury.

उसके ब्लड फ्लो नहीं हुआ था। मालूम होता है कि ब्लड अन्दर ही रह गया। वह कोमा में मरा है, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हो सकता था । डाइंग डिक्लेरेशन होश में होता है ?

श्री जोधसिंह : यह मसला जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जानकारी छिपाई जा रही है। मसला इस प्रकार का है कि छः तारीख को वह व्यक्ति शराब पी रहा था । वह एस. आई. वहां पहुंचा-वह एस. आई. गेलार्ड में बैठा रहता है और लड़कियों के साथ ऐश करता है·······

श्री अध्यक्ष : क्या कोई मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, १७४ सी आर. पी. सी. की इन्क्वायरी हुई। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मजिस्टीरियल इन्क्वायरी का प्रश्न पैदा नहीं होता है क्योंकि उसके अनन्य मित्र, अच्छे अच्छे तांगे वालों के बयान, होटल कीपर के बयान, बेराज़ के बयान हुए हैं; वॉल्युमिनस एवीडेन्स ली गई है। इसके अलावा मेडीकल एक्सपर्ट के बयान, पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट है कि वह कोमा में मरा है। उसका भेजा खुल गया था और वह कोमा में मरा है—नशे शराब में एग्रेवेटेड होने से। एस. आई. और पुलिस उसके आगे पीछे कहीं नहीं रही। एक समझदार आदमी उसको समझाने के लिए गया है। वह बोएट्रस तांगे वाला नीचे गिर गया था और, भेजा फट जाने से कोमा की हालत में मरा है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : इस पर अब बहस नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ........

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह एस. आई. वहां क्यों गया था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.......

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि जब शराब पीना होटल में मना है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न शराब का नहीं है। उसने शराब पी या नहीं—यह प्रश्न नहीं है। जो वाकया हुआ उसके बारे में जानकारी दे दी। अब शहर में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इसमें आशंका है तो वह पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है, मजिस्टीरियल जांच के लिए कह सकता है। सदन में दोनों तरफ से तथ्य रखे जायं तो उससे मामला स्पष्ट नहीं हो सकता; और उन पर कोई कयास लगाना उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस पर बहस की जाय.......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : There is evidence......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, तथ्य यह खड़ा होता है कि उसने होटल में शराब पी या वह शराब पीकर आया ? अगर उसने शराब होटल में पी तो होटल में शराब पीना अलाउड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य सारी जानकारी देना चाहते हैं उनको तथ्यों की क्या जानकारी है वह सदन के सामने आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है। Order please. सदन में दोनों तरफ से

Page No. 32

(श्री अध्यक्ष)

तथ्य रखे जायं तो उन पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। सरकार ने अपनी जानकारी के अनुसार वक्तव्य दिया है। अगर किसी व्यक्ति को या सदस्य को इससे संतोष न हो तो इसका दूसरा कानूनी तरीका है। कुछ तथ्य इधर से आयें और कुछ उधर से आयें और उन पर बहस हो, यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री जोधसिंह : मन्त्री महोदय को जानकारी पूरी नहीं है। मैं एम. एल. ए. हूं, मैं पूरे तथ्य जानता हूँ। इसलिए इसकी जांच कराई जाय। मन्त्री महोदय को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं वहां पर मौजूद था, मैंने कलेक्टर को टेलीफोन किया है, एस. पी. को टेलीफोन किया है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय....

अनेक माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानकारी....

अनेक माननीय सदस्य : Sit down.

श्री अध्यक्ष : Order please.

माननीय सदस्य, इस तरह वक्तव्य देने से समस्या हल नहीं हो सकती। कानून आपके सामने है, अगर किसी को कोई आपत्ति है या इस घटना के सम्बन्ध में विशेष जानकारी है और उनकी जानकारी सरकारी तथ्यों के साथ मेल नहीं खाती है तो वे मजिस्ट्रेट के सामने वक्तव्य दे सकते हैं, जुडिशियल मशीनरी को मूव कर सकते हैं, केस को दुबारा मूव कर सकते हैं। यह कोई वे नहीं है कि सदन के अन्दर बात उठाई जाय, क्योंकि यहां निराकरण नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। इसलिए उसके किसी सम्बन्धी को आपत्ति है, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं....

श्री जोधसिंह : वह अकेला व्यक्ति था। उसके कोई सम्बन्धी नहीं हैं उसके बीवी-बच्चे परेशानी पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर किसी को विशेष जानकारी है तो वे स्वयं मूव कर सकते हैं। इसके लिए अदालतें खुली हैं। वे इसीलिए हैं कि निर्णय किये जायं, अगर किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती हुई हो तो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सदन को पूरी जानकारी मिले ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन के सदस्य इच्छुक हैं कि इसकी पूरी जानकारी की जाय।

श्री जोधसिंह : जो जानकारी है उसको छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं कह चुका हूँ, अनवेरीफाइड फेक्ट्स सामने आयें और उन पर यहां वातावरण बने, यह अनुचित बात है। लीगल प्रोसीजर को एक्स्प्लोइट नहीं किया गया, उसका फायदा नहीं उठाया गया और यहां पर छः तारीख की घटना को अनायास,

(श्री अध्यक्ष)

उठाया जाय और उस पर बहस की जाय, मैं इसको अनुचित समझता हूँ। इसलिए सरकार की तरफ से जो तथ्य आये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर किसी सदस्य को उनसे संतोष नहीं है तो अदालत से जांच करा सकते हैं, कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये जो फेक्ट्स रखे हैं उनको चैलेंज किया गया कोर्ट में और मामला दिया गया तो सदन की प्रोसीडिंग्ज़ को सम्मन किया गया और गवर्नमेंट ने जो फेक्ट्स रखे हैं वे गवर्नमेंट के डेफीनिट स्टेन्ड बन जाते हैं और इनसे किसी गलत आदमी को प्रोटेक्शन मिल सकता है। सदन में जो तथ्य आये हैं वे गलत तथ्य नहीं हो सकते। मैं निवेदन करूंगा कि यह आपकी व्यवस्था है वह शिरोधार्य है, लेकिन कभी कभी सदन को सही जानकारी और कुछ विशेष तथ्य पूरे न मिलें, इसलिए उस स्थान के जो माननीय सदस्य हैं और उनको जो जानकारी है, मैं समझता हूँ कि वे सदन के सामने आयें और उन पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो तो ज़्यादा उचित रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये तथ्य नितान्त सत्य हैं और जो तथय रखे हैं वे सत्य हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी के अनुसार।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने स्वयं ने जानकारी की है, पोइन्ट यह है; या पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी करने का प्रश्न नहीं उठता। यह आशा नहीं की जा सकती कि मंत्री महोदय हर मामले में स्वयं जानकारी करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर एसर्ट नहीं करना चाहिए।

(६.८ म०पू०)

राणा प्रताप सागर डेम के मजदूरों द्वारा हड़ताल करने सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राणा प्रताप सागर बांध पर मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के लगभग ५००० मजदूर २१ फरवरी, १९६४ से हड़ताल पर हैं। वे विभागीय मजदूरों को भी काम पर जाने से रोक रहे हैं। मजदूरों की मुख्य मांगें हैं;

(१) वेतन में वृद्धि, तथा (२) साप्ताहिक अवकाश का पेमेन्ट।

कम्पनी का यह मत रहा है कि मजदूर न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत नहीं आते; अतः साप्ताहिक अवकाश के पेमेन्ट का सवाल नहीं उठता। इस सम्बन्ध में मिनियम वेजेज़ इन्सपेक्टर भीलवाड़ा ने एस. डी. एम. बेंगू के समक्ष क्लेम (टेस्ट केस के रूप में) फाइल कर है। जहां तक वेतन वृद्धि का सवाल है, यह विवाद समझौता वार्ता में ले लिया गया है तथा समझौते के प्रयत्न जारी हैं। अभी हड़ताल चल रही है। समझौता अधिकारी ने समझौता कार्यवाही प्रारम्भ करने के पश्चात् श्रमिकों को सलाह दी है कि वे हड़ताल वापस ले लें।

Page No. 34

(श्री भीखाभाई)

कल ही मैंने एवं सिंचाई मंत्री ने मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के डाइरेक्टर से भी इस सम्बन्ध में बातचीत की। कम्पनी के डाइरेक्टर ने इस सम्बन्ध में समझौता करने का प्रयत्न करने के लिए दो दिन का समय मांगा है। यदि फिर भी आपस में समझौता न हुआ तो मामला औद्योगिक अदालत के सुपुर्द कर दिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, पांच हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। इस प्रकार की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति वहां पैदा हो गई है और राणाप्रताप सागर डेम का काम बन्द है। मोर्डन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी है वह निश्चित रूप से एक्ट का उल्लंघन करती है, मिनिमम वेजेज़ एक्ट का उल्लंघन करती है। यह मोर्डन कन्स्ट्रक्शन जब मजदूरों को काम देना करती है तो ढाई रुपया देती है, दो रुपया देती है; लेकिन उसके बाद जब मजदूरों में कॉम्पीटीशन पैदा हो जाता है और अधिक मजदूर प्राप्त होने लगते हैं तो उन्हें केवल एक रुपया देती है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू नहीं होता, यह गलत है। वह एक्ट वहां लागू होता है!

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह कहा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कम्पनी का यह कहना बेबुनियाद है। कॉंसीलियेशन की कार्यवाही चल रही है। मजदूरों का यह दृढ़ निश्चय है कि जब तक मामला तय नहीं हो जायगा तब तक वे किसी हालत में काम पर नहीं जायेंगे। मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी कॉन्सीलियेशन की कार्यवाही करें। एक सप्ताह हो गया, लेकिन कॉन्सीलियेशन की कार्यवाही को नहीं किया। वहां पर दुर्लक्षपूर्ण स्थिति जारी रहेगी, इसलिये मैं सूचित कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार को यह कार्यवाही करनी चाहिए ताकि मजदूर इस सम्बन्ध में अगली कार्यवाही कर सकें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): अध्यक्ष महोदय, वहां के मजदूरों की बड़ी सोचनीय स्थिति है। इतना ही नहीं वहां पर साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है, न टाइम की पाबन्दी है, वे दस दस घंटे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में वे जो डिमान्ड करते हैं तो उनका पेमेन्ट रोक दिया जाता है। उनके बच्चों को भूखा मरना पड़ता है। इसके अलावा रहने की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था इस कम्पनी द्वारा नहीं की गई है। मैं इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और खासतौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां ऐसी अवस्था चल रही है कि मजदूरों को अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा है। कम्पनी द्वारा कानून की अवहेलना हो रही है। कम्पनी के डाइरेक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, लेबर लॉज़ को लागू करने के लिए सरकार के हाथ में केवल कॉन्सीलियेशन करने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि सख्त से सख्त कदम सरकार को उठाना चाहिए जिससे वहां लेबर अनरेस्ट नहीं हो। कानून के अन्दर लीगल सेक्शन है कि उन पर केस चलाया जा सकता है। सरकार

Page No. 35

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वास्तव में एग्रीड है कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू हो, जिस प्रकार कि लेबर ऑफिसर ने सलाह दी है। हमारी सरकार कहती है कि ट्रिब्यूनल में मामला दिया जाय अगर। कॉन्सीलियेशन वे नहीं मान रहे हैं और सरकार वहां खुद कन्विन्स्ड है कि लेबर लॉज़ की अवहेलना हो रही है कि सरकार क्रिमिनल केस चला सकती है और चालान किया जा सकता है, तब सरकार की सिन्सीयरिटी मालूम हो सकती है, वर्ना इसे लम्बे प्रोसीज़र में डाल दिया तो मजदूरों को परेशानी होगी ।

जब देश में इतनी भारी मंहगाई है तो ऐसी हालत में मंहगाई के समय में प्रोसीज़र को लम्बा करना और ज्यादा समय लगाना उचित नहीं। मैं यह कहूँगा कि सरकार प्रीसिपिटेट कर रही है, अपने इन एक्शनों से। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो मैं यह कहूँगा कि कम्पनी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? सरकार को कम्पनी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिये था, अगर कम्पनी सीधे तौर से इस पर अमल नहीं करती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कानून तो जल्दी से जल्दी बना लिये जाते हैं, मगर देखना यह है कि उन कानूनों को सही तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है या नहीं। मैं यह कहूँगा कि कितने ही कानून जनता के सामने बनाकर रखे जा सकते हैं और रखे गये हैं। इसी तरह लेबर वेलफेयर के लिये भी कानून बनाया गया मगर उसके इम्प्लीमेन्टेशन करने की तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये राजस्थान ट्रेज़री बैंचेज़ के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहूँगा कि जो कानून आप बनाते हैं, देखें कि जो कानून आप बनाते है वे अमल में भी आते हैं नहीं ? जो आपके बनाये, हुए कानूनों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जब तक आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक आप कानून तो अवश्य बना देंगे, मगर उस पर कोई अमल नहीं होगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, जब मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया था तो उसी वक्त कन्सीलिएशन हो सकता था। बाद में क्यों हुआ ? मजदूरों का स्टेटस मेन्टेन होना चाहिये और उनको हड़ताल का पैसा दिया जाना चहिये और उनका विक्टीमाइ-जेशन नहीं होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : जब नोटिस दिया गया.... ...

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : माननीय सदस्य ने जुबानी हमदर्दी दिखाई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सतर्कता से काम लिया गया है। हमने कहा कि कल ही केस को अदालत में दे दें, लेकिन वहां का डाइरेक्टर आया और उसने समय मांगा। उस समय हमारे सिंचाई मंत्री भी मौजूद थे। उसने कहा कि दो दिन का समय दिया जावे, हम दो दिनों में फैसला कर देते हैं; अगर फैसला होता है तो ठीक है, नहीं तो 'मामला ट्रिब्यूनल में दे देंगे। इसलिये मान-

Page No. 36

(श्री भीखाभाई)

नीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने शिथिलता बरतने की बात कही है वह कतई ठीक नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : What about the Challan ? मिनिमम वेजेज़ एक्ट को नहीं माना । उसके लिये Court में चालान होना चाहिए था, उसके लिये आपने क्या किया ?

श्री भीखाभाई : वेजेज़ एक्ट उन पर लागू होता है या नहीं, इसके लिये लॉ डिपार्टमेंन्ट को भेजा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंन्ट को फर्म एक्शन लेना चाहिये !

श्री भीखाभाई: So far as Minimum Wages are concerned, it is all right; but so far as other things are concerned, they are to be referred to adjudication.

श्री रामानन्द अग्रवाल : You are encouraging these people to exploit the labour, The Government must be firm on this point.

श्री भीखाभाई : The Government is firm on this point and therefore...

श्री रामानन्द अग्रवाल : You are firm only on this that it is doubtful.

आज महंगाई इस तरह की है और मजदूर मांग करते हैं । आप यह कह कर कि कानून के अन्तर्गत मिनिमम वेजेज़ एक्ट उन पर लागू होता है या नहीं, मैं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टरों को प्रोत्साहन करते हैं। आपको तो कहना चाहिये कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू होता है । He can go to the Tribunal, contest it and get a suit or decree in his favour. The Government must stand with the working classes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री ने पहले कहा कि नोटिस मिल गया । उन्होंने ७ दिन तक डाइरेक्टर से कोन्टेक्ट नहीं किया । उन्होंने यह कहा कि यह वेजेज़ एक्ट लागू होता है यह नहीं .. ....

(दो-तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने को खड़े हुए)

मैं यह कहूँगा कि वेजेज़ एक्ट लागू होता है । ये लोग मजदूरों का एक्सप्लोइटेशन करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की हालत खराब है । उधर ठेकेदार उनको आटा वगैरह लोन से देकर, दुगना-तिगुना ब्याज लगा कर मजदूरों को अपने यहां एक तरह से गिरवी रख लेते हैं क्योंकि यहां पर कोई फेअर प्राइसेज़ शोप्स की व्यवस्था नहीं है । राणा प्रतापसागर पर अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब वे लोग कुछ रियायतें चाहते हैं तो उन्हीं कोन्ट्रैक्टरों ने वहां पर शराब के ठेके खोल रखे हैं, उनको शराब पिलाकर काबू में कर लेते हैं। आप देखेंगे कि वहां पर सबसे ज्यादा शराब के ठेके हैं । मैं यह कहूँगा कि यह पांच हजार मजदूरों का सवाल है । जितने हल्केपन से सरकार इसको ले रही है उतने हल्केपन से सरकार को नहीं लेना चाहिये ?

Page No. 37

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जितने भारीपन से आप ले सकते हैं........

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : वहां पर कोटा डेन से देते हैं। चीप ग्रेन शोप्स हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं फेयर प्राइसेज़ की बात कहता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : 'मैं' चीप कहता हूँ और आप 'फेयर' कहते हैं। 'फेयर' से 'चीप' ज्यादा अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरी सारी कन्डीशन्स होनी चाहिये,वहां नहीं मिलती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं गवर्नमेंन्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह एटीटयूड महंगाई को महसूस करते हुए लेबर की तरफ से तनख्वाह के अलावा महगाई भत्ते की ओर मांग की जा रही है वह वाजिब है। राज्यपाल महोदय ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि जो हमने वर्कर्स को इन्टेरिम रिलिफ दिया है वह भी काफी नहीं है। एक तरफ राज्य सरकार एहसास करती है और सरकार में भी इसी तरह की मांग उठती है और दूसरी ओर मिनिमम वेजेज़ एक्ट की तहत महंगाई भत्ता देना, उसको देने के लिये भी यदि कोई प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर इन्कार करे और उसके बारे में गवर्नमेंन्ट का एटीटयूड फर्म नहीं होकर ढीलढाली का हो और आप यह कहें कि यह मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू होता है या नहीं, इसके लिये लॉ डिपार्टमेंट को रेफर करके एक लम्बा तरीका अपनाया है वह मजदूरों के लिए हितकर नहीं है। मैं यह कहूँगा कि यह महंगाई और मजदूरों की हालत है, इसको सरकार देखे ताकि राणा प्रताप-सागर के कन्सट्रक्शन में डिले न हो। ऐसी हालत में सरकार मजदूरों पर यह आरोप लगाये कि यह रूख जो मजदूरों ने अपनाया है वह राणा प्रताप सागर के कन्सट्रक्शन के प्रति अच्छा रूख नहीं है और ऐसी हालत में यह भी सरकार आरोप लगा सकती है कि नेशनल इन्टरेस्ट का मजदूरों को ख्याल नहीं है। यदि सरकार यह कहे कि वे वर्क में डिले करना चाहते हैं और नेशनल वर्क में लोस कर रहे हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार अपने खुद के रवैये को देखे। लेबर लॉज़ को लागू करने के लिये सरकार यह स्टेप्स ले न कि इस तरह से डाउट पैदा करें। डाउट क्रिएट होना, यह एम्प्लोयर्स के पक्ष में जाता है। इसको लम्बा डालना, वह तो फिर आम-तौर से मजदूरों के हितकर नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट को आम तौर से यह कर्व कर लेना चाहिये कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट उन पर लागू होता है और उसके अनुसार मजदूरों को वेजेज़ मिलनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रेक्टर कॉन्टेस्ट करता है तो उसको कोर्ट में जाकर स्टे लाने का कहा है, he can go to court and get a stay order. और फिर जब आप भुवनेश्वर में इतना बड़ा प्रस्ताव पास करके आये हैं और अपने भाषण में कहा है कि आप समाजवादी समाज का नया नारा देने वाले हैं, डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म पैदा करने वाले हैं। आप खुद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह कहते हैं कि गेहूँ का भाव ३०) और ३२) रु० मन हो गया है तो यह उचित नहीं है। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको कहना चाहिये कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू होता है; अदरवाइज़ कोई गड़बड़ी होती है तो आप और कैपिटलिस्ट्स दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस डिस्प्यूट से सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को मजदूरों के हक में लेबर लॉज़ को लागू करना चाहिये। इसके लिए हम प्रयत्न करते रहे हैं। मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू होता है और इसलिए पेमेन्ट करना चाहिए। इसीलिए डाइरेक्टर को बुलाया और उसको कहा गया कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट के मुताबिक उनको वेजेज़ दो। उन्होंने यहां आकर दो दिन का समय मांगा और कहा कि मैं लोकल रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ से बात करके दो दिन में यह निपटा दूंगा। मिनिमम वेजेज़ के आधार पर नहीं निपटाया जायगा तो कानूनी कार्यवाही लेबर लॉज़ के अनुसार की जाएगी।

श्री भीखाभाई : यह मसला लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया गया था; उनका रिप्लाई नहीं आने के बावजूद भी यह कार्यवाही की गई तो इसमें सरकार की ओर से देरी का सवाल कहां पैदा होता है ?

दूसरी बात यह कही गई कि उनको बुलाने से पहले कॉन्ट्रेक्टर से साठ-गांठ की गई है, ऐसी बात नहीं है। २१ तारीख को हड़ताल का स्टेटमेंट दे दिया था तो उस आदमी को बुलाकर सिंचाई मंत्री और मैंने दोनों ने २ दिन का समय दिया, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि सरकार की ओर से कोई देरी की गई है।

(६.२१ म० पू०)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(क) प्रशासनिक सुधार समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमेटी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासनिक सुधार कमेटी के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(६.२२ म० पू०)

(ख) पेय-जल की समस्या हल करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

श्री मथुरादास माथुर (विधिमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पीने के पानी की समस्या को हल करने सम्बन्धी कमेटी के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह रिपोर्ट कौन से वर्ष की है।

श्री मथुरादास माथुर : यह वही रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी।

श्री भैरोंसिंह : कौन से वर्ष की है ?

श्री मथुरादास माथुर : १९६३ की।

श्री भैरोंसिंह : यह स्टेटमेंट गलत है, १९६३ की नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर ; १९६३ में छपी है। यह वही हरिश्चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह ५९ की रिपोर्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : यह सेप्टेम्बर, १९५८ की रिपोर्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कितनी लज्जा की बात है कि ५८ की रिपोर्ट अब पेश हो रही है। क्या आप लज्जित नहीं हैं, इसे अब पेश करने के लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं कतई लज्जित नहीं हूँ। आपने परसों मांग की थी। लज्जा तो उनको आनी चाहिये जिन्होंने आज तक रिपोर्ट पढ़ी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने पढ़ रखी है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने तो पढ़ी है, कल इसमें से रेफरेंस भी रखे थे। किसी के समझ में नहीं आये तो उसका तो मैं क्या करूं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका कर्तव्य था कि इस रिपोर्ट को जल्दी सदन के सामने रखते।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह कोई कर्तव्य नहीं है, सदन के द्वारा नियुक्त की हुई कमेटियों के अलावा सरकार जो कमेटियां अपोइन्ट करती है, उसके लिये हमने पार्लियामेन्ट के कन्वेंशन को देख लिया है; हम उसको पेश करने के लिये भी बाइन्डिंग नहीं हैं। परसों मांग की थी, और आज पेश कर दी, कोई लज्जा की बात नहीं। लज्जा तो माननीय सदस्य को आनी चाहिये कि ५८ की रिपोर्ट अभी तक पढ़ी नहीं है और विधान सभा के सदस्य का जो कर्तव्य है उसको अदा नहीं किया है।

(९.२३ म०पू०)

राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक-१९६४

(पुरः स्थापन)

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मंत्री,स्वास्थ्य); अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नर्सेज़-मिड-वाइव्ज़, हैल्थ विज़ीटर्स एण्ड आॅग्ज़िलियरी नर्स-मिड्वाइव्ज़ रजिस्ट्रेशन बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूं। मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६३ (१) के अन्तर्गत, राजस्थान नर्स-दाई,

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, १६६४ जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखती हूं ।

(६.२४ म०पू०)

राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, १६६३

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में बृद्धि) ।

श्री जुझारसिंह (सदस्य, प्रवर समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरणा) विधेयक, १६६३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रार्थनानुसार समय बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रार्थनानुसार समय बढ़ाया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : विथ्ड्रॉ ही क्यों नहीं कर लिया जाय ?

पांच माननीय सदस्यों द्वारा कांग्रेस विधान सभा दल में सम्मिलित होने सम्बन्धी अध्यक्षीय घोषणा एवं वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : ५ माननीय सदस्यों ने और राजस्थान विधान सभा कांग्रेस पार्टी के नेता महोदय ने सूचना भेजी है कि श्री हजारीलाल शर्मा (विभाजन संख्या ७०), श्री जुगलाल (विभाजन संख्या ८२), श्री रूपाराम (विभाजन संख्या १५१), श्री सांवलियाराम (विभाजन संख्या १५७), और श्री नत्थीलाल (विभाजन संख्या १२४) ने राजस्थान विधान सभा कांग्रेस पार्टी को जोइन कर लिया है ।

(विपक्ष एवं राज्य पक्ष के सदस्यों द्वारा दो मिनिट तक शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय,जो आपने अभी सूचना सुनाई, जो सदस्य इस ओर के बैठने वाले उस ओर जाकर बैठे हैं, यह एक बहुत ही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है ...

श्री दलपतसिंह (आबू) : On a point of order, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is a fundamental question of democracy to which this Govt. is committed.

श्री दलपतसिंह : Point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, जब से विधान सभाएं चली हैं यह परम्परा रही है कि हर विधान सभाई को अधिकार है कि कोई भी पार्टी जोइन कर ले ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is no point of order.

श्री दलपतसिंह : You are nobody to say. You are not the Speaker.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I can point out to the Speaker that it no point of order.

श्री अध्यक्ष : उनको सुन तो लें।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हर एक को नेचुरल अधिकार है कि किसी भी पार्टी को जोइन करे। पहले भी कई विधान सभाइयों ने कांग्रेस पार्टी को जोइन किया है, इस पर बहस नहीं हो सकती। यह हर एक को अधिकार है, किसी भी पार्टी को जोइन करें। इस पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप जैसे छोड़ कर गये वैसी बात नहीं आई है।

श्री दलपतसिंह : जो पार्टी अच्छी है तो यह साइकोलोजिकली हर एक सदस्य पर इफेक्ट हो जाता है कि उस अच्छी पार्टी को जोइन कर ले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह साइकोलोजिकल इफेक्ट है या सुखाड़िया जी के खुले हाथ का असर है ?

(शोरगुल)

श्री दलपतसिंह : दिल में जागृति लाई जाती है....

(शोरगुल)

जिस पार्टी का कोई लक्ष्य नहीं हो उस पार्टी को छोड़ कर अच्छी पार्टी को कोई भी मेम्बर जोइन कर सकता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : On a point of Order, Sir, मैं यह यह इन्फोमेशन चेयर से चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी को जोइन किया है वे पहले किसी पार्टी के मेम्बर थे, उस पार्टी से त्यागपत्र दिया है और वह स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह उठाया गया है कि जो सूचना दी है उस पर बहस नहीं हो सकती। इसकी वैधानिक आपत्ति पर बोलना चाहें तो बोल सकते है अन्यथा और चीज पर बहस नहीं हो सकती। एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के होते दूसर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसी पर बोलता हूं। एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया कि एक सदस्य जो जनता द्वारा, उसके द्वारा जनता के सामने रखे गये प्रोग्राम के आधार पर चुना गया है, जनता के मत को लेकर इस विधान सभा में उसने प्रवेश किया है वह जनता के उन दिये हुए आश्वासनों को, जनता को दिये गये उन वायदों को तोड़ कर और यहां पर किसी भी लोभ से, किसी भी करप्ट प्रोक्ट्स से, किन्हीं भी कारणों से एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बदले तो उस प्रश्न पर विधान सभा में बहस नहीं की जा

Page No. 42

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सकती, इस तरह की आपत्ति माननीय सदस्य ने उठाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कन्टेन्शन माननीय सदस्य का है वह बिल्कुल गलत है। उसका कारण यह है कि जिस आधार पर, जिन डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स, जिस पार्टी सिस्टम का यह तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है, उसी के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह घोषणा की है कि एक सदस्य एक पर्टीक्यूलर पार्टी को छोड़कर और दूसरी पार्टी में शामिल हुआ है, वह एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको आप इस सदन के नोटिस में लाये है। इसका हमारे डेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल्स पर, जिन पर यह सरकार चलती है, जिसके ऊपर हमारा तमाम यह प्रशासन चलता है, उसके बुनियादी उसूल आधारित हैं, बहुत बुरा असर पड़ता है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर वास्तव में हमें डेमोक्रेटिक सुपरस्ट्रक्चर को कायम रखना है तो उन सिद्धांतों को, सब पार्टीज़ को मानना चाहिये और खासतौर से उस पार्टी को जिस पार्टी की हुकूमत है, जिस पार्टी का बहुमत है और जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस विधान को इस देश में लागू करने की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस नाते अगर कोई सदस्य उन वायदों को भुला कर दूसरी पार्टी जाइन करे तो स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार वह इस्तीफा दे और सीट खाली करे। फिर वहां पर चुनाव लड़ कर आए और कहे कि मैं कांग्रेस के प्रोग्राम से प्रभावित हुआ हूं। अगर कांग्रेस पार्टी, जो बहुमत पार्टी है उसे इस तरह से जो लोग चुनकर आए हैं उनको अपनी तरफ मिलाने का तरीका अपनाया तो मैं यह कहूँगा कि यह पोलिटिकल करप्शन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी एवं व्यवधान)

वे प्रजातंत्र की कब्र खोद रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please ! इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : When you have allowed me to speak I shall have my say.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इर्रिलेवन्ट हो रहे हैं। वैधानिक आपत्ति का वैधानिक उत्तर होना चाहिये, न कि राजनैतिक तरीके से। आप फ्लोर पर हैं ....

श्री रामकिशन (वैर) : मैं एक जानकारी ले सकता हूं क्या ?

श्री अध्यक्ष : बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे नियमों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका उल्लेख नहीं हैं। जो घोषणा की गई है इसका हमारे नियमों में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Order please. माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करें कि उनकी तरफ से जो आपत्ति उठाई गई हैं उनमें हमारे संविधान एवं हमारे सदन के किस नियम का उल्लंघन हुआ है, केवल उसी पर वाद-विवाद हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कोई दो पार्टियों का सदस्य रह सकता है ? अगर नहीं तो मालूम करना है कि इनमें से, पाच सदस्यों में से जो अभी सदन में बताए गए हैं, कोई सदस्य किसी पार्टी का मेम्बर था और क्या उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और जब तक उसका त्यागपत्र स्वीकार न हो, उस पार्टी से अलग नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं करता तो क्या यह हमारे संविधान की अवहेलना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : किस नियम के अनुसार वे नहीं कर सकते, वह कृपया बतलायें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि एक डेमोक्रेसी विधान के तहत बनी हुई है। उस डेमोक्रेसी की जो ब्रोड कन्वेन्शन्स हैं उनकी बुनियाद पर तमाम डेमोक्रेटिक सुपरस्ट्रक्चर जमा हुआ है। अगर उन पुराने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को भी देखें, जहां डेमोक्रेसी वर्षों से चल रही है तो उनके भी तमाम के तमाम कांस्टीट्यूशन्स लिखित रूप में नहीं मिलेंगे, बल्कि वे तमाम स्वस्थ परम्पराएं जो कि एक अर्सेदराज में पड़ी हैं उनको निभाते आये हैं, उनके अनुसार वह कॉमन चीज़ बन गई हैं, उसको तमाम जनता, तमाम पार्टियां मानती हैं। मसलन् किसी जगह पर बजट का लीकेज हो गया, उस पर भी मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है, उसके खिलाफ अविश्वास का ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह अध्यक्ष महोदय, यह बहुत क्लीअर कट कन्वेन्शन है और होना चाहिए। खुद पंजाब के अन्दर कांग्रेसजनों ने इस बात की मांग की थी.... ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी जोइन करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिये। अगर हम स्वस्थ प्रजातंत्र कायम करना चाहते हैं तो इस परम्परा को मान्यता देनी होगी, वर्ना तो यह धोखा होगा उन तमाम एक लाख लोगों के प्रति ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और प्रजातंत्र के प्रति इसका नतीजा भयंकर होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : Order please ! यहां वैधानिक आपत्ति का जवाब राजनैतिक ढंग से नहीं देना चाहिए। राजनैतिक ढंग से कोई बात कहने या सुनने के लिए सदन का प्रांगण उचित जगह नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जिन पांच सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में लिया गया है उनमें से ४ सदस्य इन्डिपेंडेन्ट्स हैं और पांचवें सदस्य, श्री सांवलियाराम २६ अगस्त, १९६३ को, जो स्वतंत्र पार्टी के सदस्य थे, अपना त्यागपत्र पहले उस पार्टी को दे दिया था और हम लोगों ने इतने समय तक सारी बातों के बाद इस बात का फैसला किया कि इन्हें पार्टी के अन्दर शरीक किया जाय। मैं समझता हूं कि यह उनका अधिकार है और कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति निर्धारित करने का अधिकार है कि आया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वे किनको अपनी पार्टी में शरीक करें, किनको नहीं करें। इसमें वैधानिक आपत्ति उठाने का प्रश्न नहीं आता। हम स्वयं इस बात को मानते हैं कि अगर दूसरी पार्टी का कोई सदस्य है तो जब तक वे उस पार्टी से इस्तीफा नहीं दे दें और कांग्रेस की रीति-नीति को मानने को तैयार नहीं हों, तो इसके अन्दर शरीक नहीं किया जाय। इस वजह से इन पांच सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में शरीक किया गया। अगर वे उस पार्टी के सदस्य होते तो निश्चित तौर से हम उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं करते। इतना ही नहीं श्री सांवलियाराम आज डी० सी० सी० के अन्दर मंडल के अन्दर भाग लेते हैं और कांग्रेस संगठन के अन्दर अलग अलग चुने जाकर काम कर रहे हैं। उसके बाद उनको पार्टी में शामिल किया गया है।

श्री रामकिशन : मुझे एक जानकारी लेनी थी।

श्री अध्यक्ष : अब कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जानकारी जो माननीय सदस्य द्वारा चाही गई थी कि उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से कब इस्तीफा दिया ; माननीय मुख्य मंत्री ने बता दिया कि अगस्त १९६३ में। विधान सभा सचिवालय को श्री सांवलियाराम ने सूचना दे दी थी कि उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मुख्य मंत्रीजी का, क्या इस ब्लड ट्रान्सफ्यूज से, आपका पेरेलेसिस दूर हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन सारी चीजों को हम. पर ही छोड़ दें तो अच्छा है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आप पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ दी तो आपको पेरेलेसिस हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान की जनता आपको धिक्कारेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना प्राप्त करना चाहता हूं आपसे। आपने यह बताया कि श्री सांवलियाराम ने अगस्त १९६३ में इस बात की सूचना दी कि वे स्वतन्त्र पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो इसकी हाउस को कब कब सूचना दी है, यह जानकारी करना चाहता हूं। जिन मेम्बर्स के बारे में माननीय अध्यक्ष ने अभी घोषणा की है उन सदस्यों की ओर से माननीय अध्यक्ष को कब कब यह लिख दिया गया कि हम उधर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : २५-२-६४ का पत्र है। पांचों माननीय सदस्यों ने यह लिख दिया है कि हमने कांग्रेस पार्टी जोइन कर ली है। पांचों के व्यक्तिगत पत्र हैं। ७ सदस्यों के नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से आये हैं। पांचों के पत्र हमारे पास हैं, इसलिए हमने उनके नामों का उल्लेख किया।

श्री भैरोंसिंह : दो और हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : पांच और हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें उस एग्रीमेन्ट का भी उल्लेख है या नहीं जिस बुनियाद पर वे कांग्रेस में गये हैं ?

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या सांवलियाराम ने आपके पास इस्तीफा भेजा है ?

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : क्या उन नामों में रामानन्दजी अग्रवाल का भी नाम है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो अपने दिल से पूछो कि रामानन्द का नाम है क्या।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके जिले में बिना पार्टी के लड़े हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे जिले में तो लेने के देने पड़े हैं और पड़ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of Order, Sir......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : While the Chair is on its legs there can be no point of order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then why are you standing ?

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह ने एक आपत्ति उठायी थी कि इस पर बहस अब आगे न हो, उसको स्वीकार किया जाता है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। वह यह है कि आपने सदन को यह सूचना दी है कि श्री सांवलिया राम ने यह लिख कर दिया कि स्वतन्त्र पार्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने फरमाया कि पांच आदमियों ने लिख दिया और वे कांग्रेस में जा रहे हैं तो किस रोज सदन को सूचित किया कि सांवलियाराम ने स्वतन्त्र पार्टी छोड़ दी है और वे इन्डिपेन्डेन्ट हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी वह पोइन्ट ओफ ऑर्डर के अन्तर्गत तो नहीं आती है, फिर भी मैं उनके संतोष के लिए और जानकारी के लिए बता देता हूँ कि केवल उन्होंने यह सूचित किया था कि उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी छोड़ दी है। किसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी या ग्रुप में जाने के लिए उन्होंने सूचित नहीं किया। इसलिए यह उपयुक्त नहीं समझा गया कि इसके लिए सदन को सूचित किया जाय। उन्होंने कहा था कि इन्डिपेन्डेन्ट हूं और कहीं पर बैठ जाऊंगा।

श्री मथुरादास माथुर : अमरसिंहजी जसोल बिना सूचना दिये ही स्वतन्त्र पार्टी में चले गये तो जाओ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे भी आपके जैसे भाई हैं। दोनों थैलियां लिये बैठे हो, खरीद सकते हो।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : माननीय मन्त्रीजी ने जो फरमाया उसके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। हर एक आदमी इलेक्शन में जाता है तो अपनी कॉन्सिट्यूएन्सी के मतदाताओं के सामने अपनी पार्टी का प्रोग्राम रखता है; कहता है कि यह मेरी पार्टी का सिम्बल है। आपने फरमाया....

श्री मथुरादास माथुर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप स्वतन्त्र पार्टी में चले

(श्री मथुरादास माथुर)

गये। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि स्वतन्त्र पार्टी छोड़ कर आप कॉम्युनिस्ट लोगों में चले जाओ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको कोई आपत्ति नहीं है कि आपकी गोद में चले जायं।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। तो एक व्यक्ति एक नीति की बात को लेकर इलेक्शन लड़ता है, खास कर कांग्रेस के विरुद्ध। वह कहता है कि फलां कांग्रेस केन्डीडेट है और फलां वह है; मुझे वोट दो और कांग्रेस को मत दो। उस वक्त जब कांग्रेस केन्डीडेट को हरा कर असेम्बली में आते हैं तो यह बड़ी सोचनीय बात हो जाती है कि वापिस जनमत के विरुद्ध कांग्रेस में जोइन करें। माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे लिए फरमाया, इसलिए मैं तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अव्वल तो मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन वहां के लोगों ने आकर प्रेरणा दी कि कांग्रेस के विरुद्ध एक केन्डीडेट खड़ा करना चाहते हैं और आपको खड़ा होना पड़ेगा; इसलिए जनमत को मान्यता देने के लिए कांग्रेस के विरुद्ध मैंने इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस के विरोध में बैठा हूं। मतदाताओं की बात यह थी कि उन्हें कांग्रेस की नीति स्वीकार नहीं है, हमें ऐसा आदमी चाहिये जो कांग्रेस की नीति को ऑपोज़ करे। इस नीति पर मैंने इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस के ऑपोजिट दल में हूं। जनमत को मान्यता देकर मैं उस पार्टी में बैठा हूँ जिसका जनमत समर्थन करता है। यदि कांग्रेस के केन्डीडेट को हराकर फिर वापिस कांग्रेस में जायं और जनमत की अवहेलना की जाय तो यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई कॉन्स्टिट्युएशनल पॉइन्ट तो रेज़ नही करना चाहता, लेकिन मैं आपसे प्रोटेक्शन सक करना चाहता हूं। परसों जब श्री मोहनलाल सारस्वत भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण से यह साफ प्रकट था कि उनका पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन किया जा रहा है और इस बेकग्राउन्ड में किया जा रहा है कि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जायं। अध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन सीक करना चाहते हैं कि जिन माननीय सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है वे दिल से कांग्रेस पार्टी को चाहते हो, मुझे इसमें शंका है। एक मेम्बर पर पोलिटिकल प्रेशर डाला जाय, उसका पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन किया जाय और सदन में जिसका उल्लेख किया जाय वह इस बात का सुबूत है कि जैसा कि पांच व्यक्तियों के लिए कहा गया और उनमें से एक श्री सांवलियाराम के लिए कहा गया कि १६६३ में उन्होंने स्वीकार किया, पांच आदमियों के नाम बताये और यह भी बताया कि अभी दो आदमी और हैं; यह सब इस बात का बड़ा सुबूत है कि लोगों का इस प्रकार से पोलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन किया जाता है और किया गया है, उन पर हर प्रकार के प्रेशर डाले जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्युएन्सी को रुइन (ruin) कर दी जायगी ; इस प्रकार के प्रेशर उन पर डाले गये हैं,

Page No. 47

(श्री भैरोंसिंह)

यह सरकार की नीति है और इसको कोई भी कर सकता है....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : आपको भी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन का शिकार नहीं हो सकता, यह आपको पूरी तसल्ली है।

मैं ऐसा समझता हूं कि उन लोगों का पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन हुआ है, पोलिटिकल प्रेशर डाला गया है, उनकी कॉन्स्टिट्युएन्सी को समाप्त करने की धमकी दी गई है, उनकी पर्सनल लाइफ पर हुआ है, केसेज़ रजिस्टर किये हैं, हर प्रकार से प्रेशर डाला गया है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : इस विषय पर रूलिंग दी जा चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : रूलिंग का सवाल नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पोलिटिकल ट्विस्टिंग का कोई सवाल नहीं है। पांच आदमियों में से कोई एक भी कहे कि कांग्रेस में शामिल इसलिए हुए हैं कि उन पर पोलिटिकल प्रेशर डाला गया है या उनके खिलाफ कोई केस था या पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन हुआ है; यह गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन का दो मिनट का समय लेना चाहता हूं। इसमें शक नहीं कि सदन का दो मिनिट का समय जाया होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

कल जिस प्रकार से श्री मोहनलाल सारस्वत ने भाषण दिया था उससे यह स्पष्ट संकेत था कि उनका पोलिटिकल विक्टीमाइजेशन किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके खिलाफ केस बनाया गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी की बात को चुनौती देकर कहता हूं कि पांच मेम्बरों की कॉन्स्टिट्यूएन्सी में थर्ड फाइव इयर प्लान के दो वर्षों में दूसरों के मुकाबले में कितना खर्चा किया गया है, क्या कार्य किये गये हैं; यह इससे प्रकट हो जायगा। लेकिन इसका जवाब नहीं है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी को रद्दन करने की धमकी दी गई है, उनका पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन किया गया है और उसका रिज़ल्ट यह है कि उनको कांग्रेस की शरण में जाना पड़ता है। दस वर्षों से कांग्रेस के खिलाफ जिनकी नीतियां हों वे किस प्रकार से कांग्रेस में जाकर बैठ जांय, यह बगैर इस प्रकार के प्रेशर के नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उनका पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन हुआ है। यह संभव नहीं है कि बगैर किसी प्रेशर के वे कांग्रेस में जाकर बैठ जांय। वे चले गये। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है और मैं उसको चेलन्ज नहीं करना चाहता। मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इन पांचों मामलों में किसी भी प्रकार से उन पर राजनैतिक प्रेशर नहीं डाला गया है, कोई पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन नहीं हुआ है, इस पोइन्ट ऑफ व्यू से स्वयं जांच करें ताकि बाकी के लोगों का पोलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन

Page No. 48

(श्री भैरोंसिंह)

रुक जाय। वर्ना परम्परा ऐसी ही रही तो यह डेमोक्रेसी के लिए घातक होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सदस्य पार्टी के अन्दर जोइन करते हैं उन पर किसी प्रकार का प्रेशर या पोलिटिक्ल विक्टीमाइज़ेशन का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। उनको कॉन्स्टिट्यूएन्सी में भी जैसा काम करना है वह तो करना ही है और उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार दूसरी जगह काम होता है। उनकी कॉन्स्टट्यूएन्सी में भी उसी प्रकार काम किये गये हैं। उनको सरेन्डर करवाने के लिए या उन पर प्रेशर डालने का सवाल ही नहीं आता है। जब कोई पोलिटिकल पार्टी को जोइन करता है तो पोलिटिकल स्लोगन लगा कर इस बात को खड़ा करना उचित नहीं है हालांकि माननीय सदस्य इस सदन में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा रखते हैं। चूंकि यह इधर जोइन कर रहे हैं कि इस लिए कोर्नर करना चाहते हैं, उन पर आप प्रेशर डालना चाहते हैं कि वे इस प्रकार से पार्टी जोइन न करें, यह उचित नहीं है और यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी मेम्बर को जमीन देकर सदस्य नहीं बनाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज तक इस पक्ष में बैठने वाले किसी दूसरे सदस्य को अगर कोई पार्टी जोइन करता है तो, हमने ह्युमिलियेट करने की कोशिश नहीं की। आप जिस प्रकार से दबाव डाल रहे हैं उससे आप यह इम्प्रेशन डालना चाहते हैं कि कोई भी अपनी स्वेच्छा से निर्णय नहीं कर पाये; इस प्रकार दूसरे माननीय सदस्यों की मानहानि का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मानहानि तो डेमोक्रेसी की हुई है जो आपने की है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि बीच ही में मुख्य मंत्री महोदय बोलने लग गये। मैं कह रहा था, जो ४०० बीघा जमीन दी गई है उसमें श्री सांवलियाराम भी शामिल हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह आप भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भ्रष्ट आदमी भ्रष्टाचार को ही पनपायेंगे।

(शोरगुल)

अनेक माननीय सदस्य : हम इस भ्रष्टाचार को टोलरेट नहीं करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं, यह लोकतन्त्र के लिए शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष : आप शान्त रहिये, सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन की प्रतिष्ठा तो वे गिरा रहे हैं। इस तरह का प्रलोभन देकर मेम्बर को खरीदते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य संयमित भाषा का प्रयोग करें। इस प्रकार अशान्त वातावरण पैदा करेंगे तो यह बहुत अनुचित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा को मुख्य मंत्री गिरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रजातन्त्र तो उन लोगों से गिरता है जो भाषा पर संयम नहीं रखते, संविधान के नियमों का पालन नहीं करते। इस तरह से अशान्ति पैदा करने से सदन की प्रतिष्ठा और लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा नहीं रहती।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दी जाती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह मौका न होते हुए भी बोलने का अवसर दिया गया। मैं यह आज्ञा नहीं दे सकता कि ऐसे तथ्य सदन में रखे जायं जिनका निराकरण नहीं हो सकता।

श्री रामकिशन : आप मुझे पहले सुन लेते। मुझे तो अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया गया और बीच ही में मुख्य मंत्री बोलने लग गये।

(अनवरत शोरगुल)

जिस तरह से मुख्य मंत्री को समय दिया गया बोलने का, मुझे भी दिया जाना चाहिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इनको बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे तथ्य पेश करेंगे जिनका निराकरण नहीं हो सकता।

श्री रामकिशन : मैं जो भी बात कहता हूं गंभीरता से कहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सदन के अन्दर यह बात कही गई कि श्री सांवलियाराम को ४०० बीघा जमीन दी गई........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इसमें भी आश्चर्य है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस बात का उनकी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि यदि यह सही है तो वे इस्तीफा देंगे, नहीं तो माननीय सदस्य दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो कितनी दी गई।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जब यह मसला कमेटी के सामने आया तो कुम्हेर की यह जमीन जो ४०० बीघा के करीब जो चरागाह के तौर पर उसको तोड़कर सांवलियाराम और उनके भाइयों और जातिवालों को दी गई।

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर): अब आप सावलियांराम के भाइयों को और उनकी जाति वालों के लिए कहने लग गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मंत्री ने सदन को धोखा दिया है कि उनको कोई जमीन नहीं दी गई, उनके भाई-बन्दों को वह जमीन दी गई है........

श्री अध्यक्ष : पहले श्री सांवलियाराम को सुन लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले श्री रामकिशनजी को कहने का मौका दिया जाय।

श्री रामकिशन : मेरी बात तो सुन ली जाती। मुख्य मंत्री अपना इस्तीफा लिख कर दे दें। मैं भी देने के लिए तैयार हूं।

श्री अमृतलाल यादव : अभी अभी आपके कहने में इतना अन्तर पड़ गया। कहने में इतना अन्तर पड़ गया कि सांवलियाराम के भाई-बन्दों को दी गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम क्या कहते हैं वह सुन लिया जाय।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आरोप मेरे पर लगाये गये हैं उनका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। जमीन जो लेने की बात कही गयी है वह बिल्कुल निराधार है। न मेरे किसी भाई को जमीन दी गई और न मेरे किसी रिश्तेदार को। मेरे परिवार के किसी भी प्राणी के नाम जमीन नहीं है। इस प्रकार के जो चार्जेज़ लगाये गये हैं, वे अगर साबित हो जांय तो मैं अपनी नाक जड़ से कटाने के लिए तैयार हूँ।

एक माननीय सदस्य : अब आपकी नाक रही कहां है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो साबित हो गया कि उनको जमीन दी गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक नाक तो कट गई, दूसरी नाक कहां से लाओगे ?

(शोरगुल)

(१०.०० म० पू०)

(शोरगुल, अनवरत शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आपको कहना है कुछ और !

('इस्तीफा दीजिये,' 'इस्तीफा दीजिये' का शोरगुल)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अब मुझे अपना पक्ष भी सामने रखने दीजिये पूरा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इतना ही काफी है।

(घंटी)

(अनवरत शोरगुल)

श्री हरिराम घारू (सिवाना—सु०) : अध्यक्ष महोदय, शान्ति कायम की जाय। नहीं तो उनका हार्ट फैल हो जावेगा।

(अनवरत शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, रामकिशनजी को कहने का मौका दिया जावे। जो आरोप ये लगा रहे थे, उनको पूरा कहने नहीं दिया गया। बीच में ही मुख्यमन्त्रीजी ने इनको भ्रम में डाल दिया, इनको नहीं बोलने दिया गया। पूरा मौका दिया जाना चाहिये। ये जो कहना चाहते थे उनको कहने का पूरा मौका नहीं दिया गया। उनको मौका दिया जाना चाहिये। यह बात कि उनको इस तरह से शोरगुल करके बोलने से रोक दिया जाय इतना आसान नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इस मामले को इस तरह से टालने की कोशिश न की जावे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आरोप-प्रत्यारोप लगाने का यह समय नहीं है।

श्री रामकिशन : मैंने तो अपनी बात कही है, आरोप नहीं लगाये हैं।

(श्री रामकिशन अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात पूरी तो कहने दीजिये ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : इस सदन में जिस प्रकार से विधान सभा के सदस्यों पर एक दूसरे द्वारा आरोप लगाये जाते हैं मैं आपके द्वारा यह प्रोटेक्शन चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्यों पर किसी प्रकार का आरोप लगाये जाने से पहले इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि उनकी इज्जत को बचाया जावे, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इज्जत तो तुम अपने हाथों खो रहे हो ।

श्री अध्यक्ष : Orderplease! order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से विक्टीमाइज़ करके, इस तरफ से आदमियों को खरीद करके चाहते हो कि इज्जत बचाओ, इस तरह से क्या इज्जत बचेगी ?

श्री भैरोंसिंह : मैंकहना चाहूँगा

(शोरगुल–अनवरत शोरगुल एवं मेजें थपथपाना)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं....

जनता तुम्हें ठोकर मार देगी ।

श्री अध्यक्ष : Order pleas ! order i!

(शोरगुल)

Order please ! माननीय सदस्यगण, इतने उत्तेजित न हों । एक–दो बातें सदन के सामने आई, जिनके बारे में कुछ निराकरण हुआ । अब इस तरह से बहस शुरू की जावे तो न तो उसके लिये हमारे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस पर कोई निर्णयकारी बहस हो सकती हो, न प्रावधान ही है जिसके अन्तर्गत बहस कर सकते हों इस तरह से । फिर भी कुछ बातें रखी गई, उनका उत्तर भी मिला । अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि इस तरह से बहस की जावे और उत्तर–प्रत्युत्तर दिया जावे तो इसका क्या अन्त हो सकता है ? अगर माननीय सदस्यों को कोई बात कहनी है तो उत्तम यह होगा कि वे इस प्रकार की बात अन्य अवसर पर कहें । कई अवसर इस तरह के आगे आवेंगे । पर इस तरह से कहना परम्परा की दृष्टि से और नियम की दृष्टि से भी उचित नहीं है । यह सभी का उल्लंघन हुआ है । तो बहस का अवसर आगे भी आवेगा, सरकार पर आक्षेप लगाने का और सरकार को उत्तर देने का अवसर भी मिलेगा । हमारे नियमों में इन सब के लिये प्रावधान है । उनकी शरण लेकर ही बहस करें तो सदन की व्यवस्था ठीक तरह से चल सकती है ।

इसलिये इतनी बहस के बाद माननीय सदस्यों में निवेदन करूंगा कि इसको यहीं खतम किया जावे और अगर जमीन कोई गलत तरीके से दी गई है या देने में अनियमितताएं हुई हैं या रियायत दी गई है कि जिसका राजनैतिक तरीके से परिणाम निकलता हो तो उसके लिये कहने के कई अवसर भी इस सदन में आवेंगे, जिन अवसरों का वैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ।

Page No. 52

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन इस वातावरण में अगर आगे बहस बढ़ेगी तो न तो समस्या हल हो पायेगी और न जो सदस्य ठीक तरह से अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं वे उसे रख ही पायेंगे । इसलिये इस चर्चा को यहां समाप्त करने के लिये निवेदन करता हूँ और जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही थी उसे चालू करने की आशा करता हूँ ।

श्री रामकिशन : मुझे कुछ मिनट अपनी बात को पूरी करने के लिये तो दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने भाषण के दौरान में बाद में कह लीजिये ।

श्री रामकिशन : आप टाइम तो दे नहीं रहे हैं । तीन दिन से बहस हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पता ? मैं आपको ही पहले बोलने को कह दूं । इस लिये सन्तोष रखें, माननीय सदस्य । तीन दिन से कितने ही लोगों को समय नहीं मिला । आप गिनती लगा सकते हैं । यहां पर ऐसे अनेक माननीय सदस्य मिलेंगे कि जिन-को भी समय नहीं मिला ! न सबको समय देना सम्भव ही है । फिर इस बात को लेकर आक्षेप लगाना न सदन की परम्परा के अनुकुल है न माननीय सदस्य की ही इसमें प्रतिष्ठा बढ़ती है । संयम रखना पहली आवश्यकता है ।

श्री रामकिशन : मैं तो जीवन में असंयमित हुआ ही नहीं, मैं तो बोल रहा था; मुख्य मंत्री जी ने ही बीच में बखेड़ा खड़ा किया ।

श्री अध्यक्ष : जितना दूसरे बोल गये, आप भी उस बहस में बोल गये । अब इसको बढ़ाना चाहें तो आपकी मर्जी है ।

श्री रामकिशन : मुझे मुख्य मंत्रीजी से इस्तीफा लिखवा दीजिये, एक लाइन केवल ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : Point of order, Sir....

श्री अध्यक्ष : No point of order please !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब आप बोलने के लिये खड़े हैं तो दूसरे माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी, इन एक्स मन्त्रीजी को बिठाया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को इस तरह से सम-अप किया जा सकता है कि रामानंद जी ने एक बात कही और नत्थीसिंह जी ने उसका समर्थन किया और उनकी बातों का उधर से कॉन्ट्राडिकशन आया........

श्री सांवलियाराम : ×××

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Page No. 53

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह की बात न करें । अगर आप एक कहेंगे तो उधर से दस बातें आवेंगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सोहबत का असर पड़ने लग गया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें करना सदन की प्रतिष्ठा के विपरीत है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनसे ये शब्द वापिस लिवाये जावें ।

एक माननीय सदस्य : आपके लिये नहीं कहे ।

श्री भैरोंसिंह : किसी के लिये भी कहे हों ।

श्री अध्यक्ष : ये शब्द ठीक नहीं है । उनको सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताऊं, हम इसे सम अप कैसे करें ? मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलने वाले हैं, इसलिए नहीं कि एक बिल्कुल डेफीनिट एलीगेशन आया कि इतनी जमीन ली गई । वह पर्याप्त है । अब इस तरह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी जोइन करना चाहिये या नहीं, यह अलग प्रश्न है । उन्होंने इसका कॉन्ट्राडिक्शन किया । वे एक कमेटी के मेम्बर हैं, अलॉटमेन्ट कमेटी के । डेफीनिट एलीगेशन लगाया गया है उनके द्वारा कमेटी में यह मामला डिस्कस हुआ ।

(शोरगुल–अश्रव्य)

भूख हड़तालें इस बारे में हुई । आन्दोलन हुआ । तो एक दम तो यह बात गलत नहीं हो सकती । पेम्फलेट इश्यू हुए है । मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले की पर्सनल इन्क्वायरी कर लें । आपको उससे सन्तोष हो जावे कि किसी प्रकार का लोभ, लालच, या पोलिटिकल विक्टीमाजेशन नही हुआ; तो ठीक है । आप सदन के सदस्यों को कॉन्फीडेन्स में लें तो कम से कम ऐसी चीज तो हो सकती है कि भविष्य में लोभ, लालच और इस तरह के पोलिटिकल विक्टीमाइजेशन के तरीके इस्तेमाल नहीं किये जा सकें । यदि सरकार इसके लिये तैयार नहीं है तो और तरीके हैं । डिबेट में उनको लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मुझे आप ठीक तरह से समझ नहीं सके । जिस वातावरण की पृष्ठभूमि में यह प्रश्न आया उसमें न पूरे तथ्य सामने आ सके, न सुझाव ही आ सके । केवल उससे तो एक बात आई, उत्तेजनात्मक तरीके से कहना । मैंने तो इसलिये कहा कि जैसे रामकिशनजी बात बताना चाहते थे वह इस समय न बताकर आगे किसी भी उपयुक्त समय पर बहस के दौरान में ठीक तरह से रक्खें तो उसका शान्तिपूर्वक तरीके से उत्तर या कोई हल सामने आ सकता है । सरकार की तरफ से या......

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): सरकार तो खुद ही भ्रष्ट है । इस सरकार के लीडर भ्रष्ट हैं । सबों को वे भ्रष्ट करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : (श्री चौहान से) माननीय सदस्य, आपका व्यवहार बिल्कुल अनुचित है । अगर आप इसी तरह करेंगे तो मुझे और कार्यवाही करने के लिये बाध्य

(श्री अध्यक्ष)

होना पड़ेगा। सारे सदन में शान्ति है अब। आप उसे फिर भंग कर रहे हैं। किस तरह की बात किस तरह और किस समय कहनी चाहिये ताकि उस का असर पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जवान हैं साहब, जोश आ गया।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैंने तो यही निवेदन किया था कि ये सारे तथ्य शांतिपूर्ण तरीके से सदन के सामने आयें तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है; लेकिन इस समय जिस तरह से बहस उठाई गई है उसका कोई निराकरण नहीं हो सकता; इसलिए मैं चाहूँगा कि सदन के माननीय सदस्य चाहेंगे कि जो कुछ यहां बहस उठाई गई है उसका कुछ नतीजा निकले। जिस समिति के सामने बात आई उसके द्वारा बात की जा सकती है या नहीं, ये सारी बातें वैधानिक तरीके से आप भी सोचें और हम भी सोचें, इसलिये मेरा निवेदन था; बहस को समाप्त करने का आदेश नहीं था; इसलिए नियमों के अनुसार जो भी बातें माननीय सदस्य कहना चाहें तो उस समय कह सकते हैं....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने जो फरमाया वह शिरोधार्य है, लेकिन इसमें एक ही कमी रह गई कि माननीय सदस्य रामकिशनजी कुछ कहना चाहते थे और वे कह नहीं पाये........

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उनको मौका देने के लिये यह अवसर उपयुक्त नहीं है कि इस तरह के वातावरण में उनको मौका दिया जाये; लेकिन इस बहस के दौरान में या आइन्दा की बहस के दौरान में उनको मौका मिलेगा। इसलिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बहस हो रही थी उसको आगे जारी रख देते हैं और श्री रामकिशन जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमने जो एक तरीका डेमोक्रेसी का अपनाया है यह उसका हनन है। इसलिये हमारा दल बहिर्गमन करता है और डेमोक्रेसी की भावनाओं और उसकी परम्पराओं को तोड़ा है और उसको तोड़ते जा रहे हैं, हम इसके प्रोटेस्ट के रूप में वाकआउट करते हैं।

(श्री रामनंद अग्रवाल ने अपने साम्यवादी दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि इस मामले की इन्क्वायरी आप स्वयं कर लेते तो हमें सन्तोष हो जाता। आपकी तरफ से जब यह एश्योरेन्स नहीं मिलता और आप इन्क्वायरी नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि आपकी व्यवस्थायें भी सीमित हैं और जब तक गवर्नमेंट अपना इन्क्लीनेशन शो नहीं करे तब तक आप इस प्रकार की इन्क्वायरी करने के बारे में सदन को एश्योरेन्स नहीं दे सकते और गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि माननीय अध्यक्ष इसकी इन्क्वायरी कर लें...........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं माननीय अध्यक्षजी, यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

निवेदन कर दूं कि जो अभी एलीगेशन्स और काउन्टर एलीगेशन्स रखे गये उनको देखते हुए जब तक प्राइमा-फेसी मैटर स्पष्ट नहीं हो इसके लिए गवर्नमेंन्ट क्या कमिट कर सकती है ?

श्री भैरोंसिंह : आपने जो जानकारी दी कि जमीन नहीं दी गयी और माननीय सदस्य जिन्होंने इसके लिए कहा है तो इससे स्पष्ट तो है कि कुछ इस प्रकार की चीज है। वे कह रहे हैं कि रिश्तेदार नहीं है। कुछ न कुछ तथ्य जरूर है। अब रिश्तेदार कितनी दूर के हैं, कितने नहीं, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष को वे अधिकृत कर दें कि वे सारे मसले की स्वयं जांच कर लें। यह माननीय सदस्यों का प्रश्न है। अगर इसके लिए सरकार तैयार नहीं है तो पोलिटिकल विक्टीनाइजेशन के कारण जो कांग्रेस के सदस्य बनाने की प्रक्रिया है मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ और मैं इसके प्रोटेस्ट में अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ वाक-आउट करता हूँ ।

(श्री भैरोंसिंह ने अपने जनसंघ दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अभी तीन दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद चल रहा है और उस वादविवाद........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कल जिस समय सदन की कार्यवाही समाप्त हुई जायल के ठाकुर साहब कन्टीन्यू कर रहे थे। अगर उनका भाषण समाप्त हो गया हो तो फिर आप बोल लें। लेकिन वे भी उधर खड़े हो रहे हैं। तो उनका भाषण समाप्त हो गया है या नहीं इतना जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह जी।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, तब तक हम वाक-आउट कर आते हैं।

(श्री रामकिशन ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अमरसिंह (पचभद्रा) : माननीय अध्यक्ष........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of order Sir, मैं निवेदन करूं कि यह तो फिर एक बहुत गलत परम्परा हो गयी कि इस प्रकार से बहस जारी करवा दी जाये। यह एक बहुत ही न्यायपूर्ण चीज थी कि एक सदस्य ने एक सदस्य के खिलाफ आरोप लगाया। मैं निवेदन करूं कि मैं इस चीज को बहुत गन्दी मानता हूँ कि आपस में आरोप और प्रत्यारोप हों। लेकिन जब एक आरोप लगाया गया है तो उसकी सफाई के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी भी खड़े हो गए। जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया वे भी खड़े हो गए और अध्यक्ष महोदय इस गरीब ने आरोप लगाया उस मित्र को आपने बोलने का समय नहीं दिया। यह डेमक्रेसी में गलत परम्परा है ....

श्री अध्यक्ष : कोई गलत परम्परा नहीं है। आपकी ही पार्टी के एक प्रतिष्ठित

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य बोल रहे थे, इसलिए आप कहें तो उनको नहीं बोलने दूं ?

श्री मानसिंह महार : वह तो आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस करा रहे थे । मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्पेसिफिक चार्ज लगाया एक सदस्य ने........

श्री अध्यक्ष : उसके ऊपर व्यवस्था दे दी गयी है और अब उस पर कोई बहस ही होगी ।

श्री मानसिंह महार : व्यवस्था दे द गयी, वह तो ठीक है; लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी पार्टी के सदस्य को इस प्रकार जमीन का प्रलोभन देकर, रिश्वत देकर कांग्रेस बैंच में मिला लिया जाये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब बहस न बढ़ायें ।

श्री मानसिंह महार : अगर आप हमारी वाजिब बात नहीं सुनते तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप मेरी बात को तसल्ली से २ मिनट सुनें ।

श्री अध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है । यह अस्वीकार किया जाता हैं । एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उनको बोलने दें ।

श्री मानसिंह महार : मैं बोलने देने के लिए मना नहीं करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप मना कर रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : मै निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अवैधानिक है । मैं कहता हूँ कि श्री रामकिशन ने चार्ज लगाये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मानसिंह महार : अगर ऐसी स्थिति है तो हम भी वाक-आउट करते हैं ।

स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों ने सदन से

(बहिर्गमन किया)

(श्री अमरसिंह जी खड़े रहे)

श्री अध्यक्ष : अब आप स्पीचें दें या वाक–आउट करें, आपकी मर्जी है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप चान्स क्यों गंवा रहे हैं !

(श्री अमरसिंहजी खड़े रहे)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र पार्टी के दो टुकड़े हो गये हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर) (वापिस आकर) : पार्टी के डिसिप्लिन को ऑब्जर्व कर लिया है, उनको बोलने दीएजि ।

श्री दलपतसिंह : Please don't disturb him.

(१०.१६ म. पू.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री अमरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसको मैंने संक्षेप में पढ़ा है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में अकाल की स्थिति का जिक्र किया, उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला है और मैं डेमोक्रेसी के ऊपर नुक्ताचीनी न करके उसके तथ्यों पर आता हूं और अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में जो स्थिति पैदा हुई है उसके अन्दर हमारी सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था की है उसका उल्लेख करते हुए इस डेमोक्रेटिक सोशियलिज़्म की सही रूपरेखा जो हम देखते हैं वह मैं सदन के समक्ष पेश करूंगा।

दुर्भाग्यवश मेरे चुनाव क्षेत्र में, खास तौर से पचपद्रा तहसील और बाड़मेर जिले के अन्दर पिछले दो साल से मुतवातिर दुर्भिक्ष की स्थिति हो रही है। यह त्रिविध अकाल जिसको हम कहते हैं वह गये साल से वहां हो रहा है। अन्न का अकाल वहां है, जल का अकाल वहां है। ६२ के अन्दर जो अकाल पड़ा उसके फलस्वरूप इकोनोमिक कन्डीशन्स इतनी लो डाउन हो गई कि लोगों ने अपनी स्त्रियों के जेवर बेच कर मवेशियों का और अपने बाल–बच्चों का पालन किया। जुलाई ६३ तक वहां पर ढोरों के लिए घास का एक तिनका भी नहीं रहा। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था व पीने को पानी नहीं था। सरकार ने कुछ निधि अकाल-ग्रस्त लोगों की सेवा के लिए सेन्क्शन की थी, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इस निधि का बहुत सा हिस्सा लैप्स हो गया, यह एक अव्यवस्था का एक जीता-जागता उदाहरण है।

गये साल की अकाल की समस्या के ऊपर मैं विशेष समय नहीं खर्च करूंगा। इस साल शुरू होने वाले अकाल का विवरण करने के बाद हमारी क्या क्या जरूरियातें हैं वे सदन के समक्ष रखूंगा। जुलाई २५ तारीख के लगभग माननीय मुख्य मन्त्री का दौरा बालोतरा में हुआ। उस वक्त बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई थी और यह मानी हुई बात थी कि दुर्भिक्ष होगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उस वक्त यह आश्वासन दिया था कि घास का प्रबन्ध करेंगे, अनाज का प्रबन्ध करेंगे और किसी प्रकार की तकलीफ लोगों को हर्गिज़ होने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी फर्माया था कि जो मवेशी बाहर जायेंगे, क्योंकि बाहर जाना अनिवार्य है, उस वक्त पर रूट्स पर घास का इन्तजाम करेंगे, धान का प्रबन्ध करेंगे। पानी का प्रबन्ध करेंगे और सब कुछ प्रबन्ध करेंगे, इस पर हम विश्वास करके बैठे रहे। भाग्यवश उसके दो-तीन दिन बाद ही एक बारिश हुई और लोगों में आशा हुई कि भगवान ने हमारी ओर देखा, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बारिश के बाद फिर कोई बारिश नहीं हुई। उसके फलस्वरूप यह हुआ कि जो फुट, डेढ़ फीट क्रोप खड़ी हुई थी वह समाप्त हो गई और जो घास जहां उगा था वहीं समाप्त हो गया। जहां थ्रू आउट दी ईयर एक बूंद बारिश नहीं हुई और ऐसी परिस्थिति जब अगस्त में पैदा हो गई थी, जब कुदरत ने एलान कर दिया था कि इतने क्षेत्र में अकाल है और भयंकर अकाल है और हम लोग यह आशा कर रहे थे कि अगस्त में जब स्थिति साफ हो गई थी तो

(श्री अमरसिंह)

सरकार की तरफ से व्यवस्था हो सकेगी, जिससे कि दुःख का निवारण कुछ अंश में हो सकेगा। हम भली प्रकार जानते हैं कि कुदरत का काम कुदरत ही कर सकती है, उसका काम इन्सान नहीं कर सकता है चाहे कितनी ही हमारी जागरूक सरकार हो। इसके उपरान्त भी हम यह आशा करते है कि जहां तक इन्सान के रिसोर्सेज़ परमिट करते हैं उस हद तक दुःख का निवारण करने के लिए कैसी भी सरकार क्यों न हो, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, वह उसका पूरा प्रबन्ध करेगी। इस तरफ से यदि सरकार कसिद रहती है तो मैं सरकार को कन्डेम किये बगैर नहीं रह सकता और डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म का नाम नहीं रहता है और इसको डेमोक्रेटिक सोशियलिज़्म कैसे कहें जहां कि लोग भूखों मरते हैं, उनके मवेशी भूखों मरते हैं और उसका सरकार प्रबन्ध नहीं कर सकती है, उनका दुःख-दर्द देखने को आने के लिए उनको अवकाश नहीं हो। इस तरह का बर्ताव होता हो तो ऐसे डेमोक्रेटिक सोशियलिज़्म को जितनी जल्दी बत्ती दिखायें उतना ही अच्छा है।

इसका विवरण मैं आपके द्वारा करता हुआ इस सदन में कहने को विवश हुआ हूं कि जहां पर कि अगस्त के अन्दर ही यह स्पष्टरूपेण जाहिर हो चुका था कि यहां दुर्भिक्ष है और बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष है और लिविंग मेमोरी में ऐसा दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, मैं निवेदन करूंगा कि संवत् ५६ का अकाल भी इस साल के अकाल के मुकाबले में कुछ नहीं था, वह तो एक बेबी था। ऐसे होते हुए भी फेमीन डिक्लेअर होता है ३ जनवरी, १९६४ यानी ६ महीने के बाद में फैमीन डिक्लेअर होता है, और यह मानी हुई बात है कि जहां तक फेमिन डिक्लेअर नहीं होता है वहां तक रिलीफ वर्क शुरू नहीं होता है। लोगों के रिसोर्सेज़ समाप्त हो चुके थे जून तक और रिलीफ वर्क जुलाई में होना आवश्यक था और रिलीफ वर्क प्रारम्भ नहीं होने के कारण लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे और भूखों मर रहे थे। मारवाड़ी में यह कहावत है, 'पड़ता काल और होवती रांड'; दोनों दुखों को भूख बहुत बुरी होती है। पड़ते हुए अकाल में लोगों की तबाही होती है और पड़ते हुए अकाल में लोगों की कोई सहायता नहीं दी गई तो इसका हम लोगों को अत्यन्त खेद है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जून सन् ६३ से एक सड़क बन रही थी थोम-पाटोदी तक। वह किसी की सहानुभूति से एक सड़क कायम है। उसको थोम से आगे दूसरे गांव तक उस सड़क का काम जारी रखा। इस सड़क पर कम से कम १५०० मज़दूर काम कर रहे थे। लेकिन यह काम काफी नहीं था। जब मजदूरी नहीं मिली तो हेल्टर स्केल्टर लोग इधर-उधर भागने लगे; कोई मालवे में गया और कोई गुजरात में गया। लेकिन निराशा लेकर वे लोग देश के बाहर गये। मेरे गांव से १-२ कोस की दूरी पर ही एक गांव है वहां पर भीलों की आबादी है विशेष तौर से। वहां की मेरे पास इत्तिला आई कि भील लोग घर छोड़ कर दिल्ली की तरफ मज़दूरी की फिराक में जा रहे हैं और जिस प्रकार किसी के घर में मौत हो जाती है उसी प्रकार वे लोग से रोते-रोते अपने घरों से निकले। यह मैंने देखा है कि कई एक लोग कोटा की तरफ मजदूरी के लिए गये। मजदूरी ठीक मिलती

(श्री अमरसिंह)

है वहां, लेकिन वहां पर कुव्यवस्था इतनी थी कि अपने पास की जो बची–खुची चीजें थीं कान की बालियां आदि बेचकर अपने घरों को पैदल लौटे हैं, और दो-चार आदमी तो रास्ते में ही मर गये। भगवान जाने उसमें कितना सत्य है। इसलिए जिस प्रकार की मेरे पास रिपोर्ट आई है वह मैं इस सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं।

यह होते हुए सड़क का काम जारी था जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि वहां पर १५०० मजदूर काम कर रहे थे और इन मजदूरों का ५ हफ्तों यानी सवा महीने का वेतन चढ़ा हुआ था। उनको वेतन नहीं मिला और यह काम एक दम बन्द कर दिया गया। ५ हफ्तों तक ये लोग महाजन के घर से अनाज उधार पर लेकर काम चलाते थे। ज्यों ही यह काम बन्द हुआ उनकी वेतन की अदायगी का कोई चारा नहीं रहा तो महाजन ने धान देना बन्द कर दिया। इसके लिए मैंने खुद ने कलेक्टर महोदय को दो दफा टेलीफोन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अन्दर यह कहूँ कि मजदूरों की तबाही हुई और ५ हफ्ते होने के बाद में भी मेरे ख्याल से एक महीने तक यानी लगभग २ माह तक उन लोगों को मजदूरी नहीं मिली। ५ दिसम्बर को पंचायत समिति के अन्दर जब मैंने यह प्रश्न उठाया कि ५ हफ्तों तक उनको वेतन का चुकारा नहीं मिला तो मुझे यह इत्तला मिली कि कलेक्टर के अख्त्यार के बाहर की बात है कि ५ हजार से ज्यादा रकम वे एक मुश्त उठा सकें। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि किस तरह की इस राज्य की परिस्थिति हो रही है जिसकी वजह से किस प्रकार लोगों को दुःख हो रहा है जिससे विवश होकर मुझे सदन में कहना पड़ रहा है। यह कहा गया कि कलेक्टर के पॉवर के बाहर की बात है, फिर कहा कि पॉवर के बाहर की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि कलेक्टर को यह मालूम नहीं था कि उसके पॉवर्स क्या हैं, क्या नहीं। अगर वे एक मुश्त नहीं उठा सकते थे तो पांच पांच हजार रुपये पांच बार उठा लेते और इस तरह से २५०००) रु० उठा सकते थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों द्वारा अकाल के समय व्यवस्था नहीं करना और लोगों के दुःख-दर्द नहीं देखना, यह एक गवर्नमेन्ट के माल-एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्दा-जागता नमूना है। मुझे अत्यन्त खेद है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जिनके ऊपर मैं बहुत अर्से से विश्वास करके चलता आया हूँ पिछले ८ वर्षों से कि ये देश का सुधार करेंगे, यदि कोई कर सकता है तो सुखाड़ियाजी कर सकते हैं, वे सुव्यवस्थित राज्य दे सकते हैं, लेकिन उन सुखाड़ियाजी को समय मिले कहां से ? उनको तो किसी मिल का उद्घाटन करने को समय मिल जायगा, कहीं इलेक्शन में चोटी एड़ी का जोर लगाकर वहां मुकाम करने को समय मिल जायगा लेकिन जो लोग मर रहे थे उनके दुःख-दर्द सुनने को समय नहीं मिला।

मैं सच कह रहा हूं, मैं ३० तारीख को घर गया, मुझे खबर मिली कि २५ तारीख से इन लोगों को खाने के लिए बाजार में बनिया अन्न नहीं दे रहा है तो मैं वहां गया और मैंने देखा कि वहां पर औरतें, बच्चे, आदमी रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारा हाल कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कहां जावें, पता

(श्री अमरसिंह)

नहीं। ये लोग लखपति नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। वे तो मजदूरी करने आये थे। मजदूरी करके अपना उदर-पूर्ति करने और अपने बाल बच्चों का पालन करने आये थे। वहां उनको मजदूरी ५ हफ्तों तक नहीं मिली तो मैं समझता हूँ कोई इन्सान उनकी तकलीफ को महसूस किये बिना नहीं रह सकता। तो वहां पर लोग रो रहे थे। ऐसे लोगों की हिफाजत के लिए, उनके दुःख-दर्द में शामिल होने के लिए, दुःख-दर्द दूर करने की सत्ता उनके हाथ में थी वे दूर कर सकते थे लेकिन ऐसी व्यवस्था को संभालने के लिए मुख्य मंत्रीजी को समय नहीं मिला, इसका मुझे दुःख है। उनको ही नहीं कलेक्टर महोदय को भी समय नहीं मिला यह देखने के लिए कि उन लोगों की क्या हालत है। इतना ही नहीं, किसी को सूझ-बूझ नहीं कि रिलीफ वर्क खोल रहे हैं, डेढ़ हजार आदमी जहां पर काम कर रहे हैं वहां एक चीप ग्रेन शोप खुलवाते। नतीजा यह हुआ कि जिस रेट में महाजन ने दिया उसी रेट से उनको अनाज महाजन की दूकान से लेना पड़ता है और महाजन मंहगा इसलिए देता है कि वह बड़ा रिस्क लेता है इस बात का कि वे लोग उसको पैसा देंगे या नहीं क्योंकि वे लोग ५ कोस, १० कोस या २० कोस से आये हैं, वे पैसा देंगे या नहीं, इसका भी तो उसको विश्वास नहीं है। फिर वह महाजन सदाव्रत खोल कर तो नहीं बैठे हैं इसलिए वे मुनाफा भी लेंगे। उन लोगों को मुनाफाखोरों के हवाला करना भी एक बड़े गवर्नमेंट की निशानी है। दुखियों के लिए किसी को दुःख नहीं। अकालग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने का काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, इसको देखने की परवाह इनीं क्योंकि अखबारों में तो खबर निकल ही जाती है और इनका प्रचार तो हो ही जाता है कि अकालग्रस्तों की सहायता करने में हमारी गवर्नमेन्ट बहुत जागरूक है। आप यही काफी समझते हैं तो हमको ऐसी डेमोक्रेटिक सोशियलिस्टिक गवर्नमेन्ट नहीं चाहिये, इसको जल्दी हटाया जाय। दूसरी चाहे कांग्रेस की हो या और किसी की हो, गुड गवर्नमेन्ट की आवश्यकता है जो लोगों का दुःख-दर्द दूर कर सकें, लोगों को तकलीफ नहीं हो और खुशहाली ला सकें।

एक परिस्थिति यह थी। घास की समस्या अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, बड़ी विकट थी। गत साल जहां अकाल था, इस साल जहां वर्षा नहीं हुई वहां घास का नहीं होना अत्यन्त आवश्यक था। वहां प्रबन्ध करने के लिए जुलाई के आखिर में या अगस्त के आखिर में कदम लेना चाहिये था कि किस जगह घास मिलेगा और उपयुक्त मात्रा में मिलेगा जिससे हमारे मवेशियों की पोपुलेशन आयन्दा बरसात तक गुजारा कर सकेगी। यहां तक कि मैंने नवम्बर मास के अन्दर कलेक्टर महोदय जब जोधपुर पधारे थे तो मैं आउट ऑफ वे जाकर उनसे मिला। चाहे उन्होंने पसन्द किया हो या नहीं, लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिए जोधपुर डाक बंगलों में उनसे मिला और नम्रता से उनसे निवेदन किया कि महोदय, देखिये घास की समस्या विकट होगी और इसकी जिम्मेदारी आपके सिर पर होगी। यही कहना काफी नहीं है कि निकल जाओ। आप खुद जाकर देखिये और साथ में रेवेन्यू ऑफिसर्स और गांवाड़ी लोगों को भी लीजिये जो अनुमान बतावें कि अमुक स्थान पर अमुक समय तक मवेशी टिक सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि

(श्री अमरसिंह)

ऐसा ही करूंगा। ५ दिसम्बर को पंचायत समिति में मैंने प्रश्न उठाया कि आपने किया या नहीं, मवेशियों की हालत खराब हो रही है, वे कहां जायं मुझे मालूम था कि मवेशी निकल गई। ५ दिसम्बर को उन्होंने फरमाया कि एक आदमी भेजा है जो तलाश करके बतायेगा कि किस जगह घास मिल सकती है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उससे १० दिन पहले ही बड़े बड़े हड्स यत्र तत्र जिसको जैसा सूझा, विकट समस्या को देखकर, आदमी अपनी सूझ-बूझ से काम करता है, वैसे ही वे लोग चले गये। कोई गुजरात गये, कोई मालवा गये, कोई और जगह गये, ईश्वर के भरोसे पर—यह जानकर कि सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं होगी। दो टोले बाकी बचे उनमें से एक मेरा था। मैं समझता था कि सरकार कुछ प्रबन्ध करेगी, लेकिन आखिर तक उसने प्रबन्ध नहीं किया।

(विराम)

Can I get more time, Sir ? I hope, I will get.

(विराम)

आज हमारे प्रांत की समस्या यह हो रही है कि हमारे यहां से मवेशी बाहर चली गई। पानी का हाल यह है कि अकाल की जगह पानी नहीं मिल रहा है। हमारे यहां एक ट्राइंगुलर क्षेत्र है पचपदरा से कल्याणपुर और कल्याणपुर से भगनास और पीछा पचपदरा, यह ऐसा ट्राइंगुलर क्षेत्र है जहां पर पानी का अभाव रहता है। वर्षा होती है उस साल भी पानी पांच पांच कोस से गर्मी के दिनों में लाना पड़ता है जब कि तालाब सूख जाते हैं। जिस साल वर्षा नहीं होती है उस साल तो शुरू से ही यह समस्या हो जाती है। उस साल मवेशियों की भी हालत खराब हो जाती है, उनके पावों में खींचने की ताकत नहीं रहती है, ५ कोस से पानी लाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी पानी के बिना गुजारा नहीं चल सकता, इसलिये जैसे तैसे पानी लाना पड़ता है। मैं खाली छींटाकशी करने के लिए कदापि नहीं कह रहा हूं। मैं सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूंगा कि ५ फरवरी को एक डी. ओ. के जरिये मुख्य मंत्रीजी ने मुझे अवगत कराया कि उन्होंने २४ लाख रुपये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिये दिये हैं। हम उन्हें आभारपूर्वक स्वीकार करते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव यह रहेगा कि ये रुपये दिये हैं उनका एक्सपेन्डिचर सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिये। जिसको जरूरत हो उनको मिल जाय और वगैर जरूरत की बातों पर खर्चा नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं, इसके लिये ऊपर से प्रेरणा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

पानी के लिए वहां पर जो मौजूदा एस. डी. ओ. हैं वे प्रबन्ध कर रहे हैं, लेकिन ट्रक्स का अभाव है। भविष्य में इमीजियेटली पानी की स्केयरसिटी की सिच्युएशन को मीट करने के लिये अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से यह सुझाव है कि कृपा करके कम से कम दो ट्रक्स तो इमीजियेटली बालोतरा के लिये डिस्पेच करदें क्योंकि पानी की इस वक्त में बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है और वह दिन प्रति दिन बढ़ती जायगी। मैं इस वक्त में आ रहा हूँ

(श्री अमरसिंह)

मेरे क्षेत्र का दौरा करके । ३० तारीख को मैं उन गांवों के अन्दर था जहां पानी की बड़ी भारी असुविधा है । लोगों के अन्दर त्राहि-त्राहि मची हुई है । लेकिन ट्रक नहीं देना चाहते हैं और वहां दस दिन से नहीं पहुँच रहा है । इसका उत्तरदायित्व एस. डी. ओ. जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, पर डाल नहीं सकते । जितनी बेसिक बातें हैं वह गरीब कर रहा है । लेकिन ट्रक नहीं मिलता है तो वह कहां से लावे ? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इमीजियेटली, आज या कल तक, कृपा करके उन गरीबों पर दया करके दो ट्रक्स डिस्पेच कर दें ताकि एस. डी. ओ. पानी की व्यवस्था कर सके और उन गरीब लोगों को राहत पहुँचा सके । यदि उनको राहत नहीं मिली तो मैं निवेदन

(१०.४२ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करना चाहता हूँ कि उन लोगों में त्राहि-त्राहि मच जायगी और गांव के गांव को दूसरी जगह भगना पड़ेगा । इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि मैंने सुना है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक ऐसी योजना स्वीकृत हुई है जिसके अन्तर्गत ट्यूब वैल्स खोदे जायेंगे । मेरी प्रार्थना है कि उपयुक्त मात्रा में ये ट्यूब वैल्स पचपदरा क्षेत्र के उन गांवों के अन्दर खुदवाये जावें जिससे पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो सके और एक-दो कुंए, जो सफल हों, से पानी लेकर उन गांवों को जल्दी पहुंचाया जाय जहां पानी नहीं है । मैंने कई दफा सरकार के सामने यह बात रखी है कि दूसरी जगह कहीं कोई सुविधा दें, हमें आपत्ति नहीं, हमें तो खुशी होती है लेकिन जहां पीने का पानी नहीं है, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पानी उपलब्ध कराने का सरकार का राष्ट्रीय कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कर्तव्य को पूरा करने में हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी ।

घास के लिए, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मेरा निवेदन है कि जो घास हमारे डिपोज़ में दिया वह ठीक क्वालिटी का नहीं था । ऐसा घास दिया जिसको लोग खरीदना पसन्द नहीं करते थे । दूसरी बात यह है कि लोगों की पर्चेज़िंग केपेसिटी बिल्कुल खत्म हो गई है । इसलिए जब तक घास की रेट उतनी नहीं रखें जो साधारण आदमी के लिए उचित हो तब तक इस व्यवस्था का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के पास न पैसा है, न पैसा रख सकते हैं और न वे मवेशियों को घास खिलाने के लिए रख सकते हैं । इसलिए जो कहावत है, "न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी'', वह चरिभार्थ होती है ।

मैं सरकार की अदूरदर्शिता का एक नमूना पेश करता हूँ । पहली साल में अकाल था, जब वह अकाल पड़ा था तो उससे पहले अच्छा जमाना था । तो जब जमाना अच्छा था, उस साल दुर्भिक्ष पड़ा तो घास का भाव डेढ़ रुपया मन रखा । उस वक्त दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति थी कि लोगों के पास जखीखी था. घास का प्रबन्ध रहे तो रहे, भले ही नहीं के बराबर रहे, भले ही घास अच्छी नहीं हो, उस वक्त उन्होंने उस स्थिति को बर्दाश्त कर लिया । थोड़ी बहुत पीछे के दिनों में जरूरत हुई तो खरीदा भी । उस वक्त लोगों की स्थिति इतनी बुरी नहीं हो पाई थी,

(श्री अमरसिंह)

ठीक थी और पास में पैसा था तो उस वक्त डेढ़ रुपया मन घास रखा, लेकिन इस वक्त के अकाल में लोगों की स्थिति खराब हो गई है, लोग अपने मवेशियों को जिन्दा रखने के लिए अपने जेवर आदि बेच चुके हैं, ऐसी स्थिति में तीन रुपया मन घास रखी है । मैं समझता हूँ कि यह किसी भी लॉजिक से ठीक नहीं कही जा सकती है । यह मेरी समझ से कतई बाहर है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार घास देकर मवेशियों को मरने से बचाना चाहती है, अगर इस घास का सदुपयोग कराना चाहती है तो कृपा करके आप घास की कीमत कम कीजिये । साथ ही रिलीफ वर्क्स जितने ज्यादा चालू कर सकते हैं, उतने रिलीफ वर्क्स आप खोलिये ताकि रिलीफ वर्क्स में गांव के लोग पैसा कमा कर मवेशियों को जिन्दा रख सकें । इसके अलावा घास की दर दो रुपये से कदापि ज्यादा नहीं होनी चाहिए । यदि ज्यादा रखते हैं तो मैं यह मानूंगा कि आप केवल नारा लगाना चाहते हैं, केवल एक ढकोसला करना चाहते हैं । आप कहना चाहते हैं कि हमने तो घास भेज दिया लेकिन लोगों ने खरीदा नहीं । आप वास्तविकता से अपनी आंखें बन्द करना चाहते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अच्छी नीति नहीं है । साथ ही मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप इन्सानियत को भी काम में लावें । तो घास की व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, मैं अर्ज करता हूं कि हमारा मवेशी-पालक और पशुपालक प्रदेश है, जिसके लोगों का इकोनोमिक जीवन मवेशियों पर निर्भर करता है, वे पशु मर जायंगे ।

कल मुझे आश्चर्य हुआ जब कृषि एवं खाद्य मन्त्री ने कहा कि मवेशी मरे नहीं । मैं कह सकता हूं, अपनी जानकारी से कि जो जसोल और तिलवाड़ा में मवेशी मरे हैं वे नेचुरल कॉज़ से नही मरे बल्कि भूख से मरे हैं । २० फरवरी, १९६४ को मैंने जो थोक, सिमरथिया में कहा वह दोहराऊंगा कि मवेशी तो मरेंगे क्योंकि हमारे पास घास होगी नहीं । सरकार घास दे देगी तो लोगों के पास पैसा नहीं कि घास खरीद सकें । लोगों के पास जो थोड़ी बहुत कड़बी है वह मवेशियों को डाल देंगे, थोड़ा बहुत चारा डाल देंगे । लेकिन उससे क्या होगा और मवेशी मरेंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मवेशियों को बचाना परम आवश्यक है क्योंकि अगर मवेशी मर गये तो लोगों का इकोनोमिक स्ट्रक्चर गिर जायगा । मैं आपको कहता हूं कि अगली साल तो हल खड़े करने तक के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा । इसलिए घास की दर दो रुपया मन के भाव से रखो जाय और रिलीफ वर्क्स हैं उनको इमीजियेटली स्टार्ट करने की नेसेसिटी है ।

१७ फरवरी को पंचायत समिति के सामने मैंने कहा, वहां कई लोग बाहर से आये थे-लूनी नदी के उत्तरी क्षेत्र के लोग थे । मैंने उनसे पूछा कि रिलीफ वर्क्स के क्या हाल हैं ? उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है, रिलीफ वर्क्स खोलेंगे, लेकिन कब तक खोलेंगे यह पता नहीं । रिलीफ वर्क्स सेंक्शन हुए हैं, ३ जनवरी को अकाल घोषित हुआ और मुख्य मन्त्री ने फंड्स सेंक्शन किये लेकिन १७ फरवरी तक उपयुक्त मात्रा में रिलीफ वर्क्स नहीं खोले । मेरे क्षेत्र जासोल के आसपास अकाल पड़ा, वहां चार-पांच लोकल रिलीफ वर्क्स खोले ।

(श्री अमरसिंह)

मैं उसके लिए आभार प्रगट करता हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी पोपूलेशन वाले क्षेत्र के लिए पांच-छ: वर्क्स खोलना सर्वथा इनएडीक्वेट है क्योंकि इन रिलीफ वर्क्स में एक सर्टेन फिगर तक लेबर अपोइन्ट कर सकते हैं । १८ फरवरी का मेरा प्रस्ताव था कि मालपुरा से बालेसर तक सड़क बनाई जाय । कलेक्टर ने कहा कि मैं सिफारिश करूंगा । मैं निवेदन करूंगा कि हायर ऑथोरिटी ने पचपदरा-तिलवाड़ा के लिए और दो-तीन सड़कों के लिए सिफारिश की है। ये सड़क के काम खोल दिये जायं तो काफी मात्रा में लोगों का लाभ हो सकेगा ।

दूसरी बात जो सामने आई है वह यह आई है कि जो रिलीफ वर्क्स सेंक्शन हुए हैं वे ऐसे हैं कि उनमें डेढ़ सौ आदमियों से ज्यादा एंगेज नहीं किया जायगा । मेरी समझ में नहीं आता कि जहां देशव्यापी अकाल है, भीषण अकाल है, जहां तहसीलदार, कलेक्टर, एस० डी० ओ० वगैरह....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पौन घंटा हो गया । दूसरों को बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

(११.०० म० पू०)

श्री अमरसिंह : कौन महाशय आपत्ति करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके लिए नहीं कहा है ।

श्री अमरसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि मैं उन लोगों की हिमायती के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई बकवास नहीं करता । मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा ; लेकिन आप गवाही करेंगे कि उन लोगों के लिए विवश होकर मुझे कहना पड़ रहा है । मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं करता, मैं सर्वथा सत्य बात कहता हूँ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम पर भी रहम फरमाइये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप समझते हैं और बकवास करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म तरीके से कह दें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पौन घंटा हो गया, और लोगों को भी बोलना है ।

श्री अमरसिंह : I thank you very much. But you will show your indulgence, I hope.

अच्छा महाशय जी, सदन के माननीय सदस्य उत्सुक हो रहे हैं, इसलिए कट शोर्ट करके सूक्ष्म में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रिलीफ वर्क्स शीघ्रातिशीघ्र खोलने के अंदर तत्परता दिखाने की आवश्यकता है । These works should be done on the war footing, if the people are to be relieved of the misery and this must be started immediatey.

मैं आशा करता हूँ कि रिलीफ वर्क्स जल्दी खोले जायेंगे और पानी की व्यवस्था करने के लिए आप ट्रक चोरी करके लायें या मांग कर लायें, दो दिन में एस. डी. ओ. के पास पहुंच जायं ताकि प्यासे मरते हुए लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो

Page No. 65

(श्री अमरसिंह)

One thing I forgot. If I am interrupted I forget, being an old man.

मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा इसके अन्दर कोई स्वार्थ नहीं है; न नेतागिरी का शौक है, लेकिन कलेक्टर मुझे पूछता रहे ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : खूब करें।

श्री अमरसिंह : तो मैं पचपदरा क्षेत्र की यूज़फुल इन्फोर्मेशन दे सकता हूँ जिससे गरीबों को राहत मिल सके।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर दीजिये।

श्री अमरसिंह : मुझे डेवलपमेंट के सिलसिले में कुछ निवेदन करना है।

(समय-समाप्ति–सूचक-घंटी)

अब मैं सिर्फ पांच मिनट ही बोलूंगा। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का एरिया अनडेवलप्ड है। हमारे राज्य की यह परम्परा रही है कि जो मलीदा खाते रहे) उनको मलीदा खिलाते रहे और जो भूखे मरते हैं उनको भूखे मारते रहें....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप जैसे काबिल आदमी के होते हुए भी ऐसा होता है।

श्री अमरसिंह : जिनकी नीति होती है वह नहीं जाती। हमारे यहां एक लूनी नदी के ऊपर पुल बनवाना था। गये साल मंत्री महोदय ने लिखकर मुझे दिया था कि हम इसको प्रायोरिटी, . मगर अभी कुछ नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सरकार उसको टोप प्रायोरिटी देगी और जल्दी ही बनायेगी। मैडिकल का यह हाल है कि हमारे उधर जो बालोतरा का शफाखाना है वह बहुत पुराना है। मगर वहां पर लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। वहां पर जल्दी से जल्दी लेडी डॉक्टर की व्यवस्था की जावे। दो डॉक्टर और एक मूविंग डिस्पेन्सरी का भी प्रबन्ध किया जावे, जिससे वे बाहर जाकर गरीब लोगों के लिए भी दवा दारू का प्रबन्ध कर सकें।

गवर्नमेंन्ट की तरफ से एक कॉलेज सैंक्शन हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि इसका लोकेशन बालोतरा में रखा जावे; जो एक जंक्शन है जिससे लोगों को सुविधा रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार न्यायपूर्ण इस पर निर्णय लेकर शीघ्रातिशीघ्र इस कॉलेज का निर्माण करेगी।

अब एक बात स्वार्थ की रह जाती है। स्वार्थ की बात को भी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे गांव में एक मिडल स्कूल है। हम कभी से चिल्ला २ कर कहते हैं कि इसे हाई स्कूल बनाइये। मगर एज्युकेशन मिनिस्टर ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको मिडल स्कूल से हाई स्कूल बनाया जावे।

(समय-समाप्ति –सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूँ। अब हमारे यहां जो करप्शन का मसला है वह

(श्री अमरसिंह)

एक बड़ा भारी मसला है मैंने इस पर विचार किया । करप्शन है, इसको हमारे राज्यपाल महोदय ने भी माना है और इसका उल्लेख किया है और नन्दाजी ने भी ऐलान किया है कि दो वर्षों में वे करप्शन को मिटा देंगे वर्ना त्याग–पत्र दे देंगे। मैं समझता हूँ कि न तो नन्दाजी कुर्सी छोड़ने वाले हैं और न यह करप्शन जाने का है। आप कहते हैं कि करप्शन कहां है ? मैं यह कहूँगा कि यह न पूछिये कि करप्शन कहां है; करप्शन कहां नहीं है, यह पूछिये रहा सवाल आई० ए०एस० का। मैं समझता हूँ कि आई० ए० एस० अधिकारी और कलेक्टर्स इस बीमारी से दूर है उनके खिलाफ मैंने आज तक नहीं सुना है, और फिर भी....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, आपको बोलते काफी समय हो गया है।

एक माननीय सदस्य : और भी दूसरे सदस्यों को बोलना है।

श्री अमरसिंह : पैसे का सवाल नहीं है कि पैसा ही लेते। कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एक बादशाह के शाहजादे को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और करप्शन रुक गया....

श्री उपाध्यक्ष : I am looking to it. Please be brief.

श्री अमरसिंह : I will be very brief.

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री अमरसिंह : तो यह रिश्वत भी बन्द हो सकती है। मेरी धारणा यह है कि सर्विसेज़ के अन्दर अत्यन्त ज्यादा पोलीटिशियन्स का हस्तक्षेप होना इसका वायस है। पोलीटिशियन्स चाहे ऊपर के हों या उनके पिछलग्गू हों, ये सर्विसेज़ के साथ डोमीनेट करना छोड़ दें, अपनी मर्जी से कानून के अनुसार काम करने दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि यह करप्शन काफी मात्रा में बन्द हो सकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

I am amenable to discipline and I am very grateful for giving me so much time.

लेकिन अंत में मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव को ठुकराया जाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिये एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सबका टाइम लिमिट है।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज तीन दिन से बराबर बहस हो रही

(श्री रामकिशन)

है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई माननीय सदस्य बोले हैं। पक्ष में सरकारी योजनाओं और विकास की सफलताओं का वर्णन किया तो दूसरी तरफ दूसरे–दूसरे पक्ष की ओर से सारी असफलताओं की जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई है। कल मैंने योजना मंत्री और कृषि मंत्री के उत्तरों को सुना। जहां तक मैं उनको समझ पाया और उसकी बड़ी-बड़ी बातें थी कि हमारी सरकार हमारे देश में समाजवादी समाज को लाने की कोशिश करेगी, मुझे उनका उत्तर सुनने के बाद ऐसा अहसास हुआ कि या तो कृषि मंत्री ने जो कुछ कहा उन्होंने जान-बूझ कर तथ्यों को छिपाने की कोशिश की या उन्होंने अन्जान में कहा या; वे जानबूझ कर इन बातों की गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, जिनके लिए उनको राज्य सरकार की सफलताओं का जिक्र करना चाहिये। राज्यपाल महोदय का हिन्दी का भाषण तो मुझे मिला नहीं। अंग्रेजी के अभिभाषण की प्रतिलिपि मिली है उसको पढ़ कर मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के पैरा नं० १, २, ३ पर राज्य सरकार ने समाजवादी समाज की घोषणा की है।

(हिन्दी की एक प्रतिलिपि उनको दी गई)

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये जान-बूझ कर ऐसा कहते है कि हिन्दी की प्रतिलिपि उनके पास नही पहूँची है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह मुझे इन्टरप्ट किया गया तो समय जो भी जाया होगा वह कांग्रेस के समय में से कटेगा क्योंकि, ये लोग ही इन्टरप्ट करते है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये लोग बहाना बनाते हैं और यह शुरू से ही हिन्दी की कॉपी उनको मिली हुई है।

श्री रामकिशन : यह अभी मिलि है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबन्ध में खासतौर पर सरकार ने जो दलीलें दी है उसके बारे में कहना है। कृषि मंत्री ने कहा कि १६ लाख टन का टार्गेट हम तीसरी पंचवर्षीय योजना तक पहुंचा पावेंगे। कृषि मंत्री यह तो मानते है कि जितना उनका टार्गट था उतना उत्पादन नहीं हो पाया। मगर फिर भी वे इस बात को मानते हैं कि राजस्थान कृषि उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। मेरी यह धारणा है कि वे कैसे मानते है कि राजस्थान कृषि उत्पादन से आगे बढ़ रहा है। यह सरकारी प्रयत्नों से आगे बढ़ रहा है। वह आगे बढ़ रहा हैं उसका कारण न तो सरकार है न सरकार की कोई योजना है। यहां जमीन ज्यादा है और आदमी कम हैं। मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में किसानों के पास केवल ७ एकड़ जमीन का टुकड़ा है जबकि हमारे यहां किसानों के पास १७ एकड़ है। जब खेतों वाला एरिया राजस्थान में १७ एकड़ है और हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में ७ एकड़ है तो निश्चित तौर से पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। इसलिये जो कारण सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री ने बताये हैं वे कारण नही हैं। मैं यह भी बता दूं कि अभी भी राजस्थान खेती के मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में खेती करनेवालों का परसेन्टेज ३६ आता है तो दूसरी जगह ४५ परसेन्टेज है। राजस्थान

(श्री रामकिशन)

खेती के मामलों में अभी पिछड़ा हुआ है। यदि आप देखेंगे कि खेती में लगे हुए लोग कितने हैं, कितना सहयोग देते हैं; तो भारतीय आधार है ४४० का; राजस्थान का २२८ का है।

इसलिये मैं कहूँगा कि यह जो खेती में उन्नति हुई है वह कोई आपके प्रयत्नों से हुई हो, ऐसी बात नहीं है। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। निश्चित तौर से यह तो उन्नति होती ही। इसमें कृषि मंत्री या अन्य किसी मंत्रालय का सहयोग नहीं है। यह बात मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि आगे जो चौथी पंच वर्षीय योजना बनने वाली है उस वक्त इस चीज को आप ध्यान में रखें।

पहली और तीसरी पंच वर्षीय योजना में हमने कुछ सिंचाई के लक्ष्यों को रखा है। पहली योजना में ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य था, परन्तु पहली योजना में केवल ५ लाख एकड़ के लक्ष्य को ही प्राप्त कर सके, दूसरी योजना में १३ लाख ३२ हजार एकड़ का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से केवल ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करा सके। इसलिये मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वे उत्पादन बढ़ाने के मामले में निरन्तर फैल हुई हैं. जितनी कृषि के सम्बन्ध में समितियां बैठाई गई हैं, जितनी अकाल निवारण के सम्बन्ध में समितियां बैठाई हैं वे सब फैल हुई हैं। पार्लियामेंट में बहस हुई है उसको देखेंगे तो पता चल जायगा कि राजस्थान हिन्दुस्तान के और प्रान्तों से प्रति व्यक्ति की आय में पीछे है। कृषि मन्त्रीजी कहने को भले ही कुछ भी कहें पर वे अपने आपको धोखा नहीं दें। हो सकता है कि प्रचार की दृष्टि से कह दें कि १६ लाख टन का कृषि उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तीसरी योजना का दूसरा साल खत्म हो गया, तीसरा साल चल रहा है; इसके अन्त तक ७ लाख टन ही पैदा कर सकेंगे तो इसकी वजह यह है कि हमारा जो सोचने का तरीका है, योजना का तरीका है वह ठीक नहीं है। पिछड़े हुए देश में आगे बढ़ने के लिये जो सोचने का तरीका, योजनाओं का तरीका होना चाहिये वैसा हमारा नहीं है। हमारे यहां अमेरिका की नकल की जाती है और उसका नतीजा होता है गिरावट। इस प्रकार के योजना के तरीकों के कारण हम हर मामले में पिछड़ गये हैं।

(११.०१ म० पू०)

कृषि उत्पादन में जहां हमारा ३१ करोड़ टन के उत्पादन का लक्ष्य था वहां अभी ७ करोड़ टन ही पैदा होने की आशा है। उद्योग उत्पादन में जहां हमने ८ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा था वहां ७ प्रतिशत के आस पास किसी तरह ले-देकर मुश्किल से पहुंच सकेंगे। तो हमारी सरकार योजनाओं में बिल्कुल असफल हो गई है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम योजनाओं को छोड़ दें. जो योजनाओं को छोड़ने का कहते हैं मैं उनका विरोध करता हूँ, पर जो योजनाओं से प्रगति करना चाहते हैं उसका नतीजा आपके सामने आ गया। फिर भी योजनाओं को छोड़ने की बात जो करते हैं वे प्रतिगामी हैं, प्रगतिशील नहीं हैं। पर हमें यह देखना होगा कि इतनी विशाल धन-राशि इन योजनाओं पर खर्च

Page No. 69

(श्री रामकिशन)

करके क्या हासिल किया है। मैं सारे देश के पैमाने पर न जाकर राजस्थान के पैमाने पर ही निवेदन करना चाहूँगा। राजस्थान के पैमाने पर ही ले लीजिये कि आपने क्या किया है? आप तीन अरब रुपया योजनाओं पर खर्च कर चुके हैं, पर इतनी बड़ी धन-राशि खर्च करने के बाद भी आपने क्या प्राप्त किया है? योजना मंत्रीजी कह रहे थे कि लोग मालदार हो गये, मैं भी कहता हूँ कि मालदार हो गये, पर जिनके पास जमीनें थीं, जो दूसरे धंधों में लगे हुए थे, जो सरकार के ऑफिसर थे या राजनैतिक दल विशेष के बड़े नेता थे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, पर सामान्य लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ५६१ करोड़ राष्ट्रीय आय है उसमें से २५,००० लोगों के पास ४८ करोड़ की पूंजी इकट्ठी हो गई है। आपने कहा कि पूंजी का विकेन्द्रीकरण करेंगे, फिर इन २५ हजार आदमियों के पास ४८ करोड़ रुपया कैसे पहुँच गया? जिन लोगों के पास १०० एकड़ से ज्यादा जमीनें थीं, जो सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े ऑफिसर थे, जिनकी १००० रुपया से ज्यादा मासिक आमदनी थी और जो बड़े बड़े धंधों में लगे हुए थे उनको आमदनी में वृद्धि हुई है। ऐसे लोगों की १३,००० के आस पास योजना शुरू करने के वक्त संख्या थी, अब वे २५,००० हो चुके हैं।

राजस्थान के हरिजन, मजदूर, भिखमंगे, साधु और मध्यमवर्ग के लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय घटी है। नन्दा साहब ने खुद ने कहा है कि ५ तरह के जो ये लोग हैं उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। श्री जगजीवनराम की अध्यक्षता में हरिजनों के लिए एक जांच कमेटी बनी थी उस कमेटी ने जांच के बाद कहा है कि हरिजनों की हालत में सुधार नहीं हुआ है और इस सबका मूल कारण यह है कि आपके जो सोचने के तरीके हैं, योजनाओं के तरीके हैं, नापाक तो नहीं कहूँगा, पर गैर समझी के हैं और जब तक आपका सोचने का तौर तरीका यही रहेगा आप देश को आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। चौथी योजना के सम्बन्ध में भी राज्यपाल महोदय ने घोषणा की कि उसे बनाना शुरू कर दिया है और चौथी योजना के अन्त तक ५ अरब राजस्थान को खर्च करना पड़ेगा, उस समय तक प्रति व्यक्ति आय १३ प्रतिशत के अनुपात से बढ़ सकेगी। तो डेढ़ अरब रुपया साल की पूंजी राजस्थान में लगानी चाहिये, सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों में वह नहीं लग पाई है। उसका नतीजा यह है कि हम पिछड़े हुए हैं। हमारे किसान ३६ प्रतिशत के भागीदार हैं, उद्योगों में काम करने वाले २८ प्रतिशत और सर्विसेज़ ३३ प्रतिशत के। राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में पिछड़ी हुई है तो उसे अखिल भारतीय स्तर पर लाने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैंने बहुत कम समय लिया है। अभी मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना है।

अब अकाल के सम्बन्ध में मुझे बहुत बड़ा निवेदन करना है, मैं इज़रायल की मिसाल रखना चाहता हूँ। मुख्य मंत्रीजी ने बयान दिया है कि १२ साल में राजस्थान में अकाल की साइकिल आती है और वह इस साल आ गई। मैं उनसे निवेदन करना

(श्री रामकिशन)

चाहता हूँ कि आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं और आपको मालूम हो गया था कि अकाल की साइकिल आने वाली है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया ! तो जिस तरह इज़राइल के प्रधान मंत्री डेविड बिन गुरियन को इसी तरह के बयान पर इस्तीफा देना पड़ा था, आप और कृषि मंत्री इज़रायल होकर आये हैं, वहां के मुख्य मंत्री को इसी तरह के बयान पर इस्तीफा देना पड़ा था तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिये। आपको ऐसा मालूम था कि १२ साल में राजस्थान के अन्दर अकाल की साइकिल आयेगी, फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, क्यों नहीं आपने इसके लिए प्रबन्ध किया, भूमि की सीमा निर्धारित करके जागीरदारों से, बड़े बड़े भूमि के मालिकों से भूमि लेकर राजस्थान के भूमिहीनों में क्यों नहीं बांटी ? आपने समय पर ऐसा कुछ नहीं किया और जो भी बोलता है उस पर ही चढ़ बैठते हैं कि तुम्हारा दोष है। पर यह नहीं देखते कि इसमें तुम्हारा कितना दोष है ? तुम्हारा इसमें इतना बड़ा दोष है कि और किसी का इतना नहीं हो सकता और इसके लिए आपको इस्तीफा देना चाहिये। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा किसी भी क्षेत्र को ले लीजिये–आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते। यह तो सब दूर रहा, आप राजस्थान के लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे सके। ऐसी सरकार यदि दुनिया में कहीं विद्यमान है तो वह हमारे यहां पर है और वह शायद संसार में पहली सरकार है जो अपने यहां के लोगों को पीने का पानी तक नहीं दे सकी। कृषि मंत्रीजी ने कहा कि हमने कुए खुदवाये, योजना मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमने योजनाओं पर इतना रुपया खर्च किया और इससे अधिक अब और खर्च करेंगे, सब जगह कुए खुदवायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भरतपुर, धौलपुर में कुए मत खुदवाओ, वहां लोग कुओं के अभाव में प्यासे नहीं मरेंगे, पर बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में लोग प्यासे मरते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है। जो सबसे भयंकर समस्या है, जिस समस्या का हल सबसे पहले किया जाना परमावश्यक है उस पर आप पहले खर्च न करके और और चीजों पर खर्च करते हैं। योजनाओं पर आपने ३ अरब रुपया खर्च किया है, केवल १४ करोड़ रुपयों में आप सारे राजस्थान के लोगों को स्वच्छ पानी पीने को दे सकते हैं और अगर १४ करोड़ रुपया खर्च करके पीने के स्वच्छ पानी का आप इन्तजाम कर देते तो मलेरिया और चेचक पर आपको ५ करोड़ रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। पर आपकी सूझ-बूझ ही गलत है, आप योजना के सब अङ्गों पर एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कृषि मंत्रीजी केनेडा और अमेरिका होकर आये हैं। आपने वहां देखा होगा कि वहां वे एक समस्या को चुन लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि इसको इतने अर्से में पूरा कर लेंगे और उसी अर्से में उसे पूरा करके फिर दूसरी समस्या को हाथ में लेते हैं। पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने इन १७ वर्षों में क्या किया है ? किसी भी समस्या को ले लीजिये। पानी, जमीन, भोजन, कपड़ा, शिक्षा; इनमें से कौनसी समस्या का हल आपने कर लिया है ? आप इनमें से एक भी समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। वे मुल्क एक चीज को पूरा करके फिर दूसरी चीज को हाथ में लेते हैं। आप सबको एक साथ लेते

(श्री रामकिशन)

हैं और उनमें से एक को भी पूरा नहीं कर पाते। शिक्षा, साहित्य या और किसी भी चीज को ले लीजिये। ललित कला एकेडेमी में पैरों में घुंघरू बंधा कर नचा लिया। ये तरीके नहीं हैं काम पूरे करने के, समस्याओं के हल के। जब तक आप अपने इस तरीके को नहीं बदलेंगे कोई काम नहीं हो सकता।

मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार के लिए एक नया बहाना बन गया है। राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले पाकिस्तान और चीन से अमैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और जिसकी वजह से देश के अर्थतंत्र पर वजन पड़ रहा है, उसका जिक्र किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की समस्या को १५ वर्ष में सुलझा नहीं सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक गद्दी पर पंडित नेहरू बैठे रहेंगे तब तक समस्या नहीं सुलझेगी; न तो काश्मीर की, न चीन की समस्या को आप सुलझा सकते हो क्योंकि हमारी वैदेशिक नीति गलत ढंग पर चल रही है। इसलिए आप दोषी नहीं हैं, हिन्दुस्तान की सरकार दोषी है। अब यह मामला सुरक्षा परिषद् में आया, क्या नतीजा निकला? पश्चिमी देशों ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? यह सब कुछ आपके सामने है। ब्रिटेन और अमरीका ने इससे पहले भी हमारा साथ कभी नहीं दिया। नयी हवा यह है कि रूस के प्रतिनिधि को जितना हमारा समर्थन करना चाहिये था उतना नहीं किया। मैं उनको दोषी नहीं ठहराता। जेकोस्लेवेकिया के प्रतिनिधि ने कहा कि हमारी जो राय है उसको दुहराने की जरूरत नहीं है। रूस और अमरीका अब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो दस मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, १५ मिनट हो गए। आप शीघ्र ही समाप्त करें।

श्री रामकिशन : मेरा यह निवेदन था कि हमारी वैदेशिक नीति का यह हाल है। वह है दूसरे देशों के साथ दुश्मनी का। भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अकेला पड़ गया है। हमारे साथ कोई नहीं है। आज इधर के एक सदस्य ने कहा कि हमें तटस्थता की नीति छोड़ देनी चाहिये और दूसरे सदस्य कहते हैं कि तटस्थता रखनी चाहिये। ये दोनों गलत हैं। एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि जो काश्मीर के विभाजन की बात करना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं, लेकिन जो काश्मीर को पाकिस्तान से नहीं ले सकते हैं वे कौन हैं, उनको क्या कहेंगे? कल योजना मंत्री ने श्री रामानन्द से कहा कि जो चीनी समर्थक हैं वे निश्चित रूप से गद्दार हैं। लेकिन जो चीन को पराजित नहीं करते उनको क्या कहेंगे? मुझे वैदेशिक नीति पर कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राज्यपाल महोदय ने कहा है कि चीन और काश्मीर की वजह से अर्थतंत्र पर वजन पड़ेगा और यह पड़ता रहेगा। चीन और पाकिस्तान की फौजी तैयारी होगी उस तैयारी के खिलाफ आपको कौनसी इस तरह की तैयारियां करनी होंगी इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया है। थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मैं एक कांग्रेस

(श्री रामकिशन)

एम० पी० के पास ठहरा था, जो पुराना सोशयलिस्ट था; जैसे सुखाड़िया साहब इस मिलाने के मामले में होशियार हैं वैसे वह भी मिलाया गया था। रेडियो पर एक गाना आ रहा था :

"आंखों में भर पानी, याद करो कुरबानी।"

क्या आप आखों में पानी भर कर सफल हो जाओगे ? आप पूरे राष्ट्र को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप नए दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते। केनेडी की हत्या हुई। श्रीमती केनेडी का चित्र आया होगा, वह युवा है, उसका जवान पति मर गया लेकिन वह कभी नहीं रोयी। हो सकता है घर में रोती होगी, लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर नहीं रोयी। लेकिन यहां हमें यह बताया जाता है कि 'आंखों में भर पानी, याद करो कुरबानी'; करो धरो कुछ नहीं। किस तरह से आप मुल्क को बचाना चाहोगे ?

यहां तस्कर व्यापार गुड़-चीनी के सम्बन्ध में चर्चा की गई। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं कृषि मंत्री से कहना चाहूँगा कि चीनी का संकट क्यों है ? उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की पैदावार घटी क्यों ? क्योंकि जैसे तीन साल पहले चीनी का संकट आया था, वहां की सरकारों ने तकावी देना बन्द कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय सबको एक एक घण्टे का टाइम मिला हुआ है, मैं केवल १५ मिनट बोला हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : सारा समय पार्टीवाइज़ निर्धारित किया गया था। अगर किसी भी पूर्व वक्ता ने ज्यादा समय ले लिया........

श्री रामकिशन : पहले तो आप लगाम लगाते नहीं, जब कोई जरूरी बात होती है तो आप जल्दी करते हैं। समय पहले दिन ही तय कर लिया जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था की जाय तो मुझे आपत्ति नहीं। मैं तो केवल माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूँ।

श्री रामकिशन : मैं आपके आदेश का निरादर नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्री रामकिशन : लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि सदन का समय पहले क्यों नहीं तय किया जाता ? अन्तिम दिन पर क्यों होता है।

श्री उपाध्यक्ष : भविष्य में अवश्य इसका ध्यान रखा जायगा।

श्री रामकिशन : मेरा तो नुकसान हो जायगा। भविष्य में कर लेना, अब तो बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : Two minutes please.

श्री रामकिशन : गुड़ पर सरकार ने पाबन्दी लगाई। राजस्थान सरकार को दूर-

(श्री रामकिशन)

दर्शिता आ जाय तो अच्छा है। लेकिन राजस्थान में गुड़ कहां से आ रहा है? आपकी पुलिस क्या करती है? पुलिस वालों ने भरतपुर में पांच पांच लाख रुपये कमा लिए। अगर मुख्य मंत्री मान जायं तो वे भी इस्तीफा दें और मैं भी इस्तीफा दूं, मेरे साथ चलें। भरतपुर में कामा जगह है। उपाध्यक्ष महोदय, १२ दिसम्बर तक १,५८,००० रुपये की चुंगी आ गई। तमाम कामां तहसील में १ हजार बीघा ईख बिक गई, ६०० बीघा कामा तहसील में हुआ। उसमें अगर आप पचास मन भी औसत लगाएं तो यह गुड़ कहां से आया? केवल कामां, कुमेर, रूपवास में ८–१० लाख मन गुड़ आया है। बहुत व्यापक ढंग पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता क्योंकि भ्रष्टाचार समाज के अङ्ग अङ्ग में प्रविष्ट हो चुका है। १२ वर्ष के सुखाड़िया साहब के राज्य में और भी बढ़ा है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. Order please!

श्री रामकिशन : एक व्यवस्था थी कि जब मौका आए तब बोलना........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन करूं कि जिस विषय पर वह बोलना चाहते हैं, जो वाद-विवाद खड़ा हुआ है उस पर अवश्य बोलने दिया जाय जिससे वे भ्रम में न रहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): एक गरीब सदस्य ने कहा तो नहीं माना, लेकिन मुख्य मंत्री ने कहा तो मान लिया।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं प्लानिंग पर बहुत ही तथ्यपूर्ण जानकारी देना चाहता था वह न दे पाया। आगे वह जानकारी देने की चेष्टा करूंगा।

उस समय मुख्य मंत्रीजी ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि न तो मैं जीवन में किसी पर आरोप लगाता हूं, न लगाया है, न कभी असंयत भाषा बोलता हूं और न ही बोलूंगा। आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने उस समय यह कहा था कि समझने की कोशिश कीजिये और मुझे अपनी बात पूरी तरह से कह लेने दीजिये। मुख्य मंत्रीजी अपना इस्तीफा लिख कर आपको दे दें। आप मेरी बात सुन लीजिये। जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है उसको आप कह लेने दीजिये। कांग्रेस का कोई सदस्य इस तरह से हट जावेगा, मेरा भी और सदन का भी काम चल जावेगा। कहा गया कि न किसी को डराया है, धमकाया है, लालच दिया है और मन से ही आये हैं। दुनिया की कोई पार्टी किसी को आने-जाने से रोक नहीं सकती है। जो चाहे जिस दिल में प्रवेश कर सकते हैं। फिर यह कहा गया कि कांग्रेस की विचार-धारा से प्रभावित हुए। इस बात का निर्णय हो जाय कि किस प्रकार वे और दूसरे कांग्रेस की विचार-धारा से प्रभावित हैं। केबिनेट में १८ मेम्बर हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि कांग्रेस की क्या वास्तविक नीति है, कांग्रेस के घोषणा-पत्रों को पढ़ा तक न होगा। यदि जानते हैं तो बता दीजिये कि

(श्री रामकिशन)

सन् ५२–५३ में कांग्रेस का क्या घोषणा-पत्र था और क्या नीति थी ? मैं आपको रेफरेंस पूछता हूं। पता नहीं। तो यहां इस प्रकार की बात कही गयी, नीतियों का सवाल नहीं है ! जाने वालों से हमें कोई नाराजगी नहीं है। निर्दलीय ऊटपटांग पार्टी बनी हुई है, साफ होते जायं तो अच्छा है। संख्या घटने का डर हमें इसलिए नहीं है कि राजस्थान में न

(व्यवधान)

सरकार हमारी अब बनने वाली है और न आगे आने वाले पांच वर्षों में बनेगी। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं।

मैं एक बात बताना चाहता हूं, नीति और सिद्धांत की। जब ब्रिटेन ने स्वेज पर हमला किया था तो उस समय प्रधान मंत्री श्री ईडन थे। उन्होंने इस्तीफा दिया। लार्ड केनिंग साहब टोरी पार्टी को छोड़ कर लेबर पार्टी में नहीं गये। मुख्य मंत्रीजी जानते हैं, अभी इंग्लैंड होकर आये हैं। दुबारा ब्रिटेन जायं, चाहे निर्वासित होकर जायं या वैसे ही जायं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि लोभ-लालच नहीं दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो पर्टीकुलर पोइन्ट हैं, जिस पर सवाल खड़ा हुआ, उस पर कहें।

श्री रामकिशन : आपने जो कहा था और जवाब दिया था उसके लिए भूमिका के रूप में कह रहा था। मैंने यह नहीं कहा था कि श्री सांवलियाराम को ४०० बीघा जमीन अलॉट कर दी गई।

(शोरगुल-व्यवधान)

मैंने जो कहा है उसको आप सुन लेने की चेष्टा कीजिये। लड्ढा साहब या और कोई मंत्री हों, कोई बदल कर हो जाय, उनके यहां एक दरख्वास्त आती है। भ्रष्टाचार है क्या, यह जब तक तय नहीं हो पाता यह स्थिति साफ नहीं हो सकती। पहले भ्रष्टाचार क्या है, यह चीज़ तय होनी चाहिये। पैसा लेना-देना ही भ्रष्टाचार हो और दूसरा न हो, यह तो तय होना चाहिये पहले। उप-मंत्री, राजस्व ने कलेक्टर को लिखा कि जमीन अलॉट कर दी जाय। एक सोसाइटी बनाई थी उनके परिवार के लोगों की। मैं इस पक्ष का हूँ कि गरीब लोगों को जमीन मिलनी चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि जमीन नहीं मिलनी चाहिये। चूंकि कांग्रेस में शामिल हो, इसलिए मिलनी चाहिये; मैं इसका विरोध करता हूं। हरिजन हैं, शुद्र हैं, इन लोगों को जमीन मिलनी चाहिये, इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उप-मंत्री, राजस्व के पास जो दरख्वास्त आयी वह कलेक्टर के पास गयी। कुम्हेर के पास चरागाह हैं, उनमें से यह जमीन अलॉट होने को थी। जब सोशलिस्ट पार्टी को मालूम हुआ तो उसने कहा कि यह तो चरागाह की जमीन है और हम इसको अलॉट नहीं होने देंगे, हम इस पर भूख-हड़ताल करेंगे। इस बात पर वापिस वह ली कि वह चरागाह की जमीन अलॉट नहीं की जावेगी। फाइल पट्टा अलॉटमेन्ट कमेटी के पास भेज दी गई। नत्थीसिंहजी उसके मेम्बर थे। उस फाइल को इसलिए रोका गया था कि इस कारण से आंदोलन होगा, भूख-हड़ताल होगी। नत्थीसिंहजी को इसलिए अलॉटमेन्ट कमेटी से हटा दिया गया

Page No. 75

(श्री रामकिशन)

कि वे इसको ऑपोज़ कर रहे थे। श्री सांवलिया-राम को कर दिया। आप कहें कि आपके नाती-रिश्तेदार नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूँगा कि जांच करा ली जाय इस बात की कि आपके नाती-रिश्तेदार हैं या नहीं? ४०० बीघा जमीन का पट्टा करने की बात कही या नहीं? यह उस समय हुआ जब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे। सबसे पिछड़ी हुई अगर कोई जाति है तो वह कोली है। उनको जमीन दी जाय, मुझे आपत्ति नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने सरकार काफी चलायी है और आगे भी इरादा रखते हैं। जो स्वस्थ परम्परा है डेमोक्रेसी के लिए उसको तोड़िये मत।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : परम्परा ही तोड़ने की रही है।

श्री रामकिशन : जब लोभ-लालच के द्वारा यह काम करेंगे तो उससे देश का बड़ा अहित होगा। आपके दल के लिए भी यह नुकसानदेह है। अगर इस बात पर मुख्य मंत्रीजी इस्तीफा देना चाहें तो अच्छा है, मैं तो अपना लिख कर दे देता हूं। मैं जो बयान दे रहा हूं उसको भी नोट कर लीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस्तीफा लिख कर दे दें, फिर इसकी जांच करा ली जाय कि ये ट्रान्ज़ेक्शन हुए हैं या नहीं? कलेक्टर ने उस फाइल को रोका या नहीं? यह उनके कांग्रेस के प्रवेश के समय हुआ या नहीं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे दूसरी बात कह लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry.

श्री रामकिशन : यह ऐसी चीज़ है जिससे आपका और देश का कल्याण है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं तो इससे देश का नुकसान है। आप थोड़ा समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल माननीय सदस्यों से इतनी उदारता चाहता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों को बोलने के लिए अपनी भावना को दबा कर रखना पड़ रहा है उनका भी जरा ख्याल किया जाय।

श्री रामकिशन : अच्छी बात है। हम परम्परा को तोड़ना नहीं चाहते। हम तो सदन में व्यवस्था रखना चाहते हैं। हम परम्परा को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हम तो गांधीजी के फौलोअर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण........

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि १२ बज कर १० मिनट पर सरकारी पक्ष से जवाब होगा और उसके पूर्व जितने माननीय सदस्य बोलना चाहें वे जितना संक्षेप में अपने भाषण को रख सकें उतना ही अच्छा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : समय पार्टीज़ के बीच में निर्धारित

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है । जितना समय बाकी है, जिन पार्टीज को कम मिला है उस हिसाब से तय कर लिया जाय ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हमें टाइम मिला ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार समय दे रहा हूँ ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमारा समय १॥ घण्टा है । १.८ मिनट ही हमें मिला है । बाकी का समय अभी बाकी है । कल अध्यक्ष महोदय ने फ़ीर फरमाया था ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दे रहा हूँ ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : रूल्स ऑफ प्रोसीज़र एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिज़नेस की दृष्टि से बताना चाहता हूँ ! गवर्नर महोदय के भाषण पर जो अमेन्डमेन्ट दिये गये हैं, जिन माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है कि उनको बोलने का समय ही न दिया जाय । मेरी यह आपत्ति है । या तो उनके अमेन्डमेन्ट्स को सर्कुलेट ही नहीं किया जाता, यह होना ही गलत था या सही है, तो उसको फोलो क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी है उसके लिए यही कहना है कि एक तो जिस समय अमेन्डमेन्ट मूव करने का वक्त था उस वक्त कोई माननीय सदस्य नहीं थे तो वे अमेन्डमेन्ट्स स्वत: ही समाप्त हो गये । उनका चान्स चला गया । गवर्नर एड्रेस के बारे में स्कोप ऑफ दी डिस्कशन के बारे में व्यवस्था रूल्स में है और उसी अनुसार यह किया गया है ।

श्री नत्थीसिंह ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): On a point of order, Sir, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट ऑफ बिज़नेस के रूल २० की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । इसमें क्लीयरली दिया हुआ है कि स्पीकर गवर्नर के भाषण में टाइम अलॉट कर सकते हैं, लेकिन यह कहीं नहीं है कि अमेन्डमेन्ट दिये हैं उनको सेट असाइड कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : I have understood. it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This Rule says, The Speaker may allot time for the discussion of the matters referred to in the Governor's Address under Article 175(1) of the Constitution.

कहीं यह नहीं है कि आप अमेन्डमेन्ट को सेट असाइड कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! I have understood your point. अमेन्डमेन्ट को सेट असाइड करने का प्रश्न नहीं है । सपोर्टिंग और खिलाफ में जो थे वे बोल गये ।

मैं आपका ध्यान रूल १८ की तारीफ आकर्षित करता हूं जो इस प्रकार है :

"Amendments may be moved to such motion of Thanks in such form

(श्री उपाध्यक्ष)

as may be considered appropriate by the Speaker."

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया उसकी छाया में और इस आशय के साथ कि उन अमेन्डमेन्ट्स को मूव नहीं किया जा सकता जिनके मूवर्स के नाम पुकारे गये और वे उपस्थित नहीं थे, उसी प्रकार एवं तारतम्य में यह चल रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रारम्भ में जब इस पर वाद-विवाद शुरू हुआ तो पहले पहले अमेन्डमेन्ट के अनुसार सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया, चार व्यक्ति अमेन्डमेन्ट पर बराबर बोले । जब पांचवें का नम्बर आया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री मानसिंह महार को बोलने की इजाजत दे दी । आखिर एक ऑर्डर तो होना चाहिये । हम किसी भी वाद-विवाद के लिए दो ऑर्डर प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोसीजर इस प्रकार से हुआ कि जो अमेन्डमेन्ट मूव करने वाले थे माननीय श्री हांडा उनकी ओर स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों की रजामन्दी से यह प्रोसीजर फोलो किया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी कोई रजामन्दी नहीं थी । श्री मानसिंह महार बोलने खड़े हो गये, उनको समय दे दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रेस्पोन्सिबिलिटी से कह सकता हूं कि आपकी मौखिक रूप से रजामन्दी थी ।

एक माननीय सदस्य : ये मौखिक तो इन्कार हो जाते हैं, इनसे लिखकर लिया जाय ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि १९६३ का वर्ष राज्य के अर्थ-तन्त्र के लिए समस्याओं का समय था । "चीनी आक्रमण, पाकिस्तान के अमैत्रीपूर्ण रुख और राजस्थान के बड़े भाग में फैली हुई अभाव की परिस्थितियों के कारण लोगों को इस वर्ष काफी असुविधायें उठानी पड़ीं ।"

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पाकिस्तान के अमैत्रीपूर्ण रुख का सवाल है वह तो बदस्तूर है और रहेगा । सुरक्षा परिषद में जाने के बाद हम यह आशा करते थे, चीन से हम मुकाबला कर लेंगे, लेकिन ब्रिटेन व अमेरिका के रुख के बाद पाकिस्तान को और जुर्रत हुई है, अमैत्रीपूर्ण रुख को और कड़ा करे । ऐसी परिस्थिति में जो संकट का समय बताया गया उसको ध्यान में रखते हुए आगामी समय में हमें कैसी सख्ती करनी है, इस पर हमें पुनर्विचार करना है । इस अभिभाषण में अभाव की परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया । इसके साथ साथ आगे जाकर यह भी कहा गया कि खरीफ की फसल खराब होने की वजह से १३ जिलों में अकाल पड़ा है । शीत लहर की चर्चा करते हुए भी कहा गया कि इससे भी नुकसान हुआ है । मैं राज्य सरकार को बताना चाहता हूँ कि शीत लहर के कारण जो नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह से वह हृदयगामी नहीं कर पायी है । मैं भरतपुर जिले की बात को जानता हूं, शीत लहर के कारण ७५ प्रतिशत फसल को नुकसान हुआ है।

(श्री नत्थीसिंह)

सैकड़ों गांवों में घूमने के बाद वहां के बड़े-बूढ़ों ने बताया कि विक्रम संवत् १६६१ के बाद यह पहला अवसर है जब कि शीत लहर के कारण इतनी फसल चौपट हुई है। वहां की पंचायत समितियां और जिला परिषदों ने एक मत से प्रस्ताव पारित करके भेजा है कि इस एरिया को अकालग्रस्त एरिया घोषित किया जाय। लेकिन आज की तारीख तक वहां कोई कदम नहीं उठाया गया, आज भी वहां पर बकाया सख्ती के साथ वसूल हो रही है, जमीनों का नीलाम हो रहा है; जिला परिषद् के प्रस्ताव के बाद भी उनको कोई राहत नहीं मिली।

आज वहां स्थिति इस प्रकार की है कि वहां गांव के रहने वालों को अनाज नहीं मिल रहा है। जब इस अनाज की समस्या के बारे में मैं डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से मिला तो वे कहते हैं कि गांवों में अनाज की कोई कमी नहीं, एक जिले का जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार कहता है! मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ चलिये, कई लोग दो दो रुपया देकर शहर वालों के राशन कार्ड से अनाज ले जाते हैं और अपना पेट भरते हैं।

कल कृषि मंत्री महोदय ने फरमाया था कि हमने जो अनाज मंगाया है उसका ५० हजार टन अनाज आ गया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस इलाके का भी ध्यान रखें। वे इसमें न रह जायं कि आज ही हमारे तो पांच सदस्य बढ़ गये, कोई किसी प्रकार का लालच देकर, किसी के दबाव में आकर किसी का ट्रान्सफर कर दिया। जैसा कि वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, जो माननीय सदस्य स्वतंत्र पार्टी की टिकट से खड़े होकर चुनकर आते हैं उनको या उनके रिश्तेदारों की या जाति के लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ४६० बीघा भूमि अलॉट की जाती है इस लालच में उनको कांग्रेस पार्टी में लाया जाता है। यह क्या प्रजातंत्र को पनपाने का तरीका है? ऐसी बातें रूटीन में हो रही हों, यह बात नहीं। वह जमीन जो करीब ६४० बीघा है जिस समय कुम्हेर में तनखा साहब कलेक्टर थे उस भूमि को तोड़ने की बात थी, उस समय भी भूमिहीन किसानों को देने की बात चली थी, उस समय भी बड़ा भारी आन्दोलन हुआ, तो उस समय यह फैसला किया गया यह जो ६४० बीघा जमीन है वह चरागाह के रूप में रहेगी क्योंकि वह कस्बा जिसकी आबादी ८ हजार के करीब है वहां मवेशियों की संख्या भी अधिक है उसको ध्यान में रखते हुए वह चरागाह के लिए रहेगी। यह वह जमीन है जो मवेशियों के चरागाह की है जिसके लिए डिप्टी मिनिस्टर रेवेन्यू ऑर्डर करते हैं इनको देने के लिये! यह कोई नहीं करता, कलेक्टर साहब नहीं करते। यह चीज जब अलॉटमेंट कमेटी के सामने भेजी गई तो उसमें हमने कहा कि हम तो इसको मन्जूर नहीं करेंगे। उस समय इस कमेटी में एक एम० एल० ए० होता है, वह इलाका मेरा होने के कारण मैं उसमें था, तहसीलदार द्वारा यह इन्स्ट्रक्शन हुए कि इसमें मेरी जगह सांवलियाराम रहने चाहिये। मेरे क्षेत्र में था इसलिए तीन-चार मीटिंगें स्थगित रखी गईं, अन्त में यह फैसला हुआ कि यह जमीन बेच रहे हैं, यह आबाद नहीं है; इससे अधिक भ्रष्टाचार का नमूना और क्या हो सकता है? मैं उस कमेटी का सदस्य रहा, आसानी से वे दे नहीं सकते थे तो जिलाधीश

(श्री नत्थीसिंह)

महोदय ने वह अलॉटमेन्ट की फाइल वापिस मंगवा ली। आज भी वह फाइल सरकार के विचाराधीन है, उनको देने का वायदा करने के बाद नदबई के नत्थीलालजी उस जगह जब डिमोस्ट्रेशन हुआ वे भी शामिल हुए, सभायें हुईं; कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर वहां कायम था उस एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया गया, उनका काम वहां अच्छा था उनको वहां से हटाया गया और बी० डी० ओ० को चार्ज दिया गया। इसके लिये वहां से ११० आदमियों का डेपुटेशन आया कि इस क्षेत्र को अकाल ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाय लेकिन उसको नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की जो बातें होती हैं उससे क्या प्रजातंत्र मजबूत होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी इसको कानोंकान सुन लेते।

श्री नत्थीसिंह : मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इस प्रकार से जनतन्त्र का हनन होता है।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इस तरह का आचरण रहा तो अधिनायकवाद के आने का खतरा है। आपकी पार्टी का नेतृत्व देखा जाय तो यह साफ पता चलेगा कि वह कितनी अधिनायकवाद के नजदीक बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में फरमाते हैं कि सीमा की निगहबानी और राष्ट्रीय संकटकाल में तेजी से उठ खड़े होने वाले समाज-विरोधी तत्वों के मुकाबले के लिये राज्य सरकार ने अपनी पुलिस को अधिक साधन सम्पन्न और सुदृढ़ बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन डकैतों के नाम इसमें बताये गये हैं कि इन्होंने आत्म-समर्पण कर दिया या हमने एन्काउन्टर में मार दिया उनमें से मैं एक के लिए कहना चाहता हूँ कि शंकर डाकू जिसका नाम लिया गया है पिछले अधिवेशन में भी बसेड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था शंकर डकैत एन्काउन्टर में नहीं मारा गया था, पर उसको पहले मार दिया गया; झूठा एन्काउन्टर दिखाया गया। तो सदन के फ्लोर पर जो आरोप लगाये गये पहले उनकी सरकार जांच कराये और जिन्होंने आरोप लगाया उनको भी मौका दिया जावे कि वे अपने आरोप साबित करें। पर ऐसा नहीं कराया गया और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कह दिया गया कि इन डाकुओं को एन्काउन्टर में मारा गया। बिना जांच कराये आरोपों की, इस तरह से कहना जनतन्त्रीय परम्पराओं की हत्या करना है।

दूसरी बात बताना चाहता हूँ, इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है मानो राज्य की पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ प्रदेश की रक्षा करने में लगी है। पर बैर से आने वाले अभी बता रहे थे इस मुस्तैदी की बात। भरतपुर में उन्होंने जो देखा है और जो जनता कहती है उससे लगता है यहां कोई राज है भी या नहीं।

एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार या केन्द्र की सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से बाहर गुड़ और चीनी

(श्री नत्थीसिंह)

नहीं ले जाई जा सकती, दूसरी तरफ पुलिस के सक्रिय सहयोग से लाखों मन गुड़ रोजाना वहां से यहां आ रहा है और बिक रहा है। पुलिस की रेट फिक्स्ड है। २) रुपये प्रति बोरी या कट्टा तो यू. पी. की पुलिस ले लेती है और २) रुपये भरतपुर की पुलिस। अब अगर किसी को पकड़ा जाता है भरतपुर शहर में तो किसी साइकिल सवार को या गाड़ी वाले को या गधे वाले को। पर जब ट्रक के ट्रक भर-भर कर आते हैं और थाने में पुलिस को टेलीफोन भी किया जाता है कि ट्रक आ रहे हैं, आप उनको पकड़ें तो पुलिस वाले तब कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, थानेदार साहब फलां जगह चले गये हैं, एस. पी. साहब को दूसरी जगह काम हो गया है। इस चुप्पी का कारण क्या है? आज पांच-पांच लाख रुपया इन थानों में और इन अफसरों को मिल रहा है। इस तरह से कई लाख रुपये भरतपुर जिले में इनको मिल रहे हैं। तो इन कामों में किसी थानेदार की जुर्रत नहीं हो सकती कि वह इनको पकड़ ले।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वहीं तक नहीं, इसमें ऊपर तक हिस्सा है। सही बात है यह।

श्री नत्थीसिंह : पुलिस के ऊपर से नीचे तक के अफसर और सिपाही इसमें साझेदार हैं। नहीं हैं तो आप जांच कराइये। सिद्धान्त के तौर पर हमने इन प्रतिबन्धों का समाजवाद के नाम पर घोर विरोध किया है। सारा देश एक है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने के प्रतिबन्धों का हम विरोध करते हैं। यू. पी. के नगरों में, राजस्थान की सीमा से लगे नगरों में गुड़ १८)रुपये मन है तो भरतपुर में वही ४५)रुपये मन में बिक रहा है। तो ये प्रतिबन्ध घातक हैं और गलत हैं। भ्रष्टाचार को इनसे बढ़ावा ही मिलता है। यह आपका समाजवाद का नारा है जो आप बड़े जोश और खरोश के साथ अभी अभी भुवनेश्वर में लगा कर आये हैं। यह है आपके समाजवाद का नमूना! एक तरफ तो आपके समाजवाद का यह नज्जारा है, दूसरा नज्जारा यह नजर आता है कि ब्लैक मार्केटियर्स और पुलिस के अधिकारी और फाइनेन्स मिनिस्टर के नीचे रहने वाले एक्साइज़ और टैक्सेशन का अमला–नाकेदार मालामाल होते जा रहे हैं इस भ्रष्टाचार के आने वाले पैसे से। कार्य रूप में यही समाजवाद अगर आपका है तो बलिहारी है। यह समाजवाद का नज्जारा सामने दिखाई दे रहा है।

जो आज लॉ और ऑर्डर की बात करते करते हैं वे स्वयं लॉ ब्रेकर हैं। जो लॉ ब्रेक करने की प्रेरणा देते रहते हैं ऐसे कई थानेदारों को मैं जानता हूँ। ये तो २),२) रुपये वसूल करते हैं। पर ये दूकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इतना गुड़ तुम्हारे पास रात को आया। आठ आना मन का हिस्सा मेरा मुझे दो। वह स्वयं जाता है। सिपाहियों को भी नहीं भेजता। उसे डर है कि कहीं वे बंटवारा न करा लें। उनके आपस में मतभेद हैं कि वे कहीं न खा जावें। तो मैं कह रहा था कि इस तरह का खुला भ्रष्टाचार यहां पनप रहा है इन समाजवाद की दुहाई देने वालों के राज्य में।

यह भी कहा गया कि जो संकट आया उसको देखते हुए सहकारी उपभोक्ता भंडारों और क्रय विक्रय संघों की मार्फत इस बात की

(श्री नत्थीसिंह)

व्यवस्था की है कि लोगों को सुलभ तरीके से चीजें मिल जावें। पर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के अफसर, जिनके हाथ में सप्लाई का काम है, फेल करना चाहते हैं इसको।

चीनी आती है; आधे से कुछ कम कोटा संघों को देने की बात कही जाती है। बाकी व्यापारियों के सिंडीकेटों को देते हैं जो इन्डिविजुअल बिज़नेसमैन होते हैं। क्रय-विक्रय संघों में दी गई चीनी का भाव ये अफसर दो-दो, ढाई ढाई महीनों तक कायम नहीं करते। और इस तरह से घाटे में चले जाते हैं, जब कि सिंडीकेट वाले आते ही माल दे देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पास आर्थिक रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

४५ मिनिट का समय है, उपाध्यक्ष महोदय हमारा और मेरी पार्टी में मैं ही बोलने वाला हूँ; इसलिये निवेदन करूंगा कि पूरा टाइम मुझे ही दें।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट और दे सकता हूँ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय), ४५ मिनिट हमारे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे कृषि मन्त्रीजी ने कहा कि कृषि की उपज बढ़ी है। ठीक है, बढ़ी है। जो बंजर पड़ी थी, उस पर काश्त बढ़ी है। दूसरी तरह से बढ़ी है। पर जिस जमीन पर फसल हो रही थी, उसमें घटी है। सरकार ने इसके लिये इन जमीनों में पैदावार बढ़ाने के लिये नीति निर्धारित की कि कोआपरेटिव के जरिये सिंचाई की व अन्य सुविधाएं बढ़ाई जावें। पंचायत समितियों के माध्यम से तकावियां दीं और लैंड मोर्टगेज बैंकों के जरिये एक टार्गेट रखा गया पचास लाख का और १५ सालों का दीर्घ-कालीन ऋण दिये जाने का। पर नतीजा क्या हुआ इसका ? केवल अब तक ११ लाख ही दिया जा सका। क्यों ? इसका कारण सरकार की यह मशीनरी और इसके कानून-कायदे हैं। इसके लिये सभी सम्बन्धित बैंकों ने प्रतिवेदन भेजा कि इन समस्याओं को, जिनको इस सर्विस ने पैदा कर दिया है, निराकरण किया जाय। पर ऐसा लगता है कि यह सरकार तो कानों में तेल डालकर बैठी है। नतीजा यह है कि प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम हुआ है। यही नहीं एपेक्स बैंकों के जरिये ऋण देने की सुविधा जहां पहले बहुत अधिक थी वहां वह लिमिट आज ३॥ करोड़ ही रह गई है।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में हम पंचायती राज और सहकारिता संस्थाओं के जरिये किसान को उस परिस्थिति में ले जाना चाहते हैं कि वे अपने सब काम स्वयं चला सकें, इसमें समर्थ हो जायं। पर मैं पूछता हूँ, आज अकाल की स्थिति आने पर ऐसी कौनसी सुरक्षा की कार्यवाही उनके लिये सरकार ने की है ?

पिछले बजट अधिवेशन के समय मैंने निवेदन किया था कि सरकार अगर सचेष्ट है कि किसानों में सुरक्षा की भावना पैदा की जावे तो आप लाइफ इन्श्योरेन्स की सुविधा के बजाय क्रोप इन्श्योरेन्स की सुविधा सबसे पहले दें। अगर आज यह योजना होती तो निश्चित

(श्री नत्थीसिंह)

रूप से किसान को सुविधा मिलती और उसे सरकार के सामने निश्चित रूप से भीख मांगने नहीं जाना पड़ता।

सिंचाई के साधन आप बढ़ाना चाहते हैं। आज से साल भर पहले आपने आश्वासन दिया था, सिंचाई मन्त्री ने भरतपुर फीडर के माइनर्स बढ़ाने के लिये मेरे प्रश्न पर और निश्चित वादा किया था कि फीडर बढ़ाया जावेगा। पर तब से आज तक इन प्रोजेक्ट्स का सर्वे तक नहीं हुआ है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि सरकार स्वयं सचेष्ट नहीं है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, समय तो वैसे बहुत है। फिर अगर हुकम ही दें तो बैठ जाऊं।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया है :

"खेद है कि राज्य सरकार क्षेत्रीय व जातीय भावना व पक्षपात की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है, बल्कि इन भावनाओं को प्रोत्साहन दिया है।"

आज से कोई १४ वर्ष पूर्व जब राजस्थान बना था सन् ४९ में, उस समय राजस्थान बनने का मुख्य कारण यह था कि राजस्थान के अन्दर करीब १८ रियासतें थीं और उनके अन्दर हर एक रियासत में क्षेत्रीय भावनायें वहां की पब्लिक में थीं। वे कुल रियासतें एक होकर और राजस्थान एक होकर उसका उत्थान हो सके और हर जगह को फायदा मिल सके। इस कारण राजस्थान बनाया गया, लेकिन अफसोस यह है कि कई वर्षों से जब से मौजूदा सरकार पदासीन है उससे केवल उदयपुर क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन मिला है व उदयपुर क्षेत्र को ही अधिक फायदा पहुंचाया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : गलत बात है।

श्री मानधातासिंह : मैं उदयपुर कई दफा गया हूं और जो पहले भी गये हैं और अब गये हैं वे देख सकते हैं कि वहां पर क्या फर्क हो गया है। पूरा शहर जगमगा उठा है व कई नई नई संस्थायें कायम हो गयी हैं। यूनीवर्सिटी कायम हो गयी, भारतीय लोक कला मण्डल के लिये बिल्डिंग बन गयी व विद्या भवन को भी काफी प्रोत्साहन मिला है और उदयपुर क्षेत्र के गांवों में भी सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के अन्दर अब तक यह परम्परा रही है कि हमारे विभागों का विभाजन हर क्षेत्र के लोगों में हो, लेकिन इस समय यह हो रहा है कि जितने मुख्य विभाग हैं वे मुख्य मंत्री महोदय के हाथ में हैं। उसका कारण यह है कि वे अन्य मंत्रियों के ऊपर शायद विश्वास नहीं करते हैं। मुख्य मंत्री महोदय के पास राजस्व विभाग है और गृह विभाग भी उनके पास है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : Point of information, Sir, क्या आपको जानकारी है कि.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपको जलन अभी से हो गयी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे सवाल पूछने दीजिए। आपको जानकारी है कि जिलेवार इन इन पंचवर्षीय योजनाओं में कितना खर्च हुआ ; यह बताने की कृपा करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आप तो वकालात करना बन्द कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a Point of order, Sir, the Hon. Member has crossed the floor.

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व और गृह विभाग दो मुख्य विभाग माने जाते हैं, वे दोनों ही उदयपुर क्षेत्र के मंत्री अर्थात् मुख्य मंत्री महोदय के हाथ में हैं। यहां तक कि उप-मंत्री जी इन विभागों के अन्दर दूसरे क्षेत्र के नहीं हो सकते वे भी उदयपुर क्षेत्र के ही होंगे। राजस्व विभाग के उप-मंत्री उदयपुर क्षेत्र के हैं व गृह मंत्री के उप-मंत्री भी जो पहले दूसरे क्षेत्र के थे उनसे गृह विभाग छीन लिया गया है और उदयपुर के ही एक उप-मंत्री को दे दिया गया है। इससे क्या यह माना जाये कि मुख्य मंत्री जी को केवल उदयपुर वालों पर ही विश्वास होता है। यह क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन देना नहीं तो और क्या है ?

मंत्रियों और उप-मंत्रियों के अलावा सचिवों पर आ जायें जो कि राजस्थान सरकार के मुलाजिमान हैं। राजस्थान सरकार के गृह सचिव उदयपुर क्षेत्र के हैं। गृह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है और उप-मंत्री उदयपुर के क्षेत्र के हैं और उसके सचिव उदयपुर क्षेत्र के। क्या गृह विभाग के अन्दर दूसरे क्षेत्रों का कोई आदमी नहीं कर सकता है या गृह विभाग में किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। पहले एक माननीय मंत्रीजी जो लाडनू से यहां आये हैं उनके पास यह विभाग था। लेकिन उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किये कि जो मुख्य मंत्री महोदय को पसन्द नहीं आये। उन्होंने उनके लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, लिहाजा उनसे गृह विभाग छिन गया और यह विभाग मुख्य मंत्री महोदय ने अपने हाथ में रखा। यहां तक कि गृह सचिव भी दूसरे क्षेत्र के नहीं हैं।

अब दूसरा विभाग है एजुकेशन का। इसमें भी कम्पलीट उदयपुराइजेशन हो रहा रहा है। पहले उदयपुर के ही मंत्री थे जिनके पास यह विभाग था, लेकिन अब वे मंत्री तो दूसरे हो गये। फिर भी इस एजुकेशन विभाग में जितने भी अधिकारी हैं वे उदयपुर क्षेत्र के हैं। जो सचिव हैं वे उदयपुर क्षेत्र के हैं। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन आज ६ साल से बराबर उदयपुर क्षेत्र के चलते आ रहे हैं। जो हायर सैकन्डरी एजुकेशन के अध्यक्ष हैं वे भी उदयपुर क्षेत्र के हैं, बल्कि उनके रिटायर होने के बाद में भी ८ साल तक लगातार उनको एक्सटेन्शन मिलता जा रहा है, री-एम्पलॉयमेंट मिलता जा रहा है। महज इसी कारण कि वे उदयपुर क्षेत्र के हैं और सुखाडिया साहब के नजदीकी रिश्तेदार बताये जाते हैं। अब जो यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर हैं वे भी उसी क्षेत्र के हैं जहां से मुख्य मंत्री आते हैं....

श्री रामकिशन (वैर) : इस तरह कहने से तो उनकी ओर सहानुभूति पैदा कर रहे हैं....

श्री मानधातासिंह : वाइस चान्सलर के लिए दो दो अदालतों का निर्णय हो गया, लेकिन उनका निर्णय मान्य नहीं माना जाता है और उसके बावजूद भी वे अभी तक चल रहे हैं।

शासन के जो मुख्य सचिव हैं वे ६ साल से बराबर उदयपुर क्षेत्र के चले आ रहे हैं। उससे पूर्व एडीशनल चीफ सेक्रेटरी थे वे भी ३ साल तक रहे और उसके बाद ६ साल तक मुख्य सचिव के रूप में कन्टीनुअसली कार्य कर रहे हैं। शायद हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने इसी से परेशान होकर इस्तीफा दिया है क्या ?

श्री मानधातासिंह : हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य के अन्दर ६ साल तक कन्टीनुअसली मुख्य सचिव की पोस्ट पर कोई नहीं रहा होगा और वह भी उसी क्षेत्र का नहीं रहा होगा कि जहां से मुख्य मंत्री आये हों। लेकिन जो कारण मैंने पहले अर्ज किये वे यह हैं कि क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उदयपुर के अलावा मुख्य मंत्री जी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अतः केवल इसी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उन्हीं को इम्पोर्टेन्ट विभाग दिये जाते हैं।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

अब दूसरी जगह हैं, जैसे जयपुर है वहां के ऑफिसर्स की हालत लीजिए। जयपुर क्षेत्र के ऑफिसरों के अन्दर आर० ए०एस० लिस्ट के अन्दर जो सबसे सीनियर हैं वे इस समय डिप्टी सेक्रेटरी पी० डब्ल्यू० डी० काम कर रहे हैं। सबसे सीनियर होने के बावजूद उनको आज तक आई० ए० एस० में नहीं लिया गया और अब कहते हैं कि उनको सिलेक्शन ग्रेड आर० ए० एस० में लिया गया है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir, these are all individual cases and these should not be advocated here in this House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : He is representing his class.

श्री मानधातासिंह : मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवामहल, जयपुर) : There is no question of point of order. These are illustrations.

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इतना दुख क्यों हो रहा है उनको ?

श्री मानधातासिंह : क्षेत्रीय भावनाओं का उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कैसे दबाया जाता है ?

१२ मध्यान्ह

राजस्थान के अन्दर जयपुर क्षेत्र के जो सबसे सीनियर ऑफिसर हैं उनको आज तक तरक्की नहीं दी जा रही है अब कहते हैं कि उनको सिलेक्शन ग्रेड में ले लिया गया है, लेकिन जूनियर लोग भी सिलेक्शन ग्रेड

(श्री मानधातासिंह)

में काम कर रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। उससे नेक्स्ट नम्बर आता है एक ऑफिसर

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जो कि डिप्टी डाइरेक्टर पब्लिसिटी का काम कर रहे हैं उनकी हालत यह है कि उनको सिलेक्शन ग्रेड देकर उनको वापिस रिवर्ट किया गया है।

तीसरा नम्बर आता है जिनको निलम्बित किया गया है वह भी महज़ इसी कारण से कि वे उदयपुर क्षेत्र के एक अफसर के नीचे काम कर रहे हैं उनको उनसे नाराजगी थी इसीलिए उनको निलम्बित किया गया है। यह हालत है! आगे जाने की जरूरत नहीं।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर केपिटल है तो वहां पर भी पूरे उदयपुर का ही कन्ट्रोल होना चाहिए! यहां पर जो कलेक्टर हैं वे भी उदयपुर के हैं और मुख्य सचिव के रिश्तेदार हैं। उनके नीचे जो दो एस० डी० ओज़० हैं वे भी उदयपुर क्षेत्र के हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

समय नहीं देंगे तो मैंने यह सिर्फ उदाहरण दे दिये हैं। इस तरह से क्षेत्रीय भावना और जातीय भावना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी क्या कोई वेल्यू नहीं है, हमने एमेन्डमेंटस् दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! व्यवस्था के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। जन संघ के २ घंटे और ३२ मिनिट हो चुके हैं। काफी समय हो चुका है।

श्री अब्दुलजब्बार : कुसूर कोई करे और सजा भुगतें हम। हमारा क्या कसूर है?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Point of order, Sir, रूल १६ के अनुसार किसी भी सदस्य को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर एमेंडमेंट मूव करने का अधिकार है। जब तक वे सदस्य इस सदन में बैठे हैं उनको समय देना इन रूल्स के अनुसार नितान्त अनिवार्य हैं! इसमें कोई सन्देह नहीं कि चेयर को यह अधिकार है कि समय को घटाये या बढ़ाये और उसके अनुसार ठीक तरीके से व्यवस्था करें, परन्तु इस कॉन्स्टीटयूशनल राइट्स को जो एक माननीय सदस्य को उपलब्ध है उसमें समय के घटने-बढ़ने से उस अधिकार से उनको नहीं टोका जा सकता। यह मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि जो माननीय सदस्य अपने नम्बर पर मौजूद नहीं रहे तो वे अपना टर्न खो देते हैं, परन्तु जो माननीय सदस्य लगातार सदन में उपस्थित रहे हैं उनका वह अधिकार किसी भी तरह से नहीं लिया जा सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन में स्वस्थ परम्परा रखने के लिए भी और माननीय सदस्यों के कॉन्स्टीटयूशनल राइट को मैं आपके द्वारा प्रोटेक्ट कराना चाहता हूँ, और वह इस रूप से हो सकता है कि सदन का समय कुछ थोड़ा सा बढ़ाकर कम से कम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन सदस्यों को जिन्होंने अमेंडमेंट मूव किये हैं और सदन में उपस्थित रहे हैं, उनको अवश्य अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल ३०७....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सारा टाइम तो आप ही खा जाते हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Rule 307. " All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct" इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो चुका है आपका ।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति अभी उपस्थित की गई है उसके विषय में मैं पहले ही स्पष्टीकरण कर चुका हूँ कि यह व्यवस्था इसी रूल १६ के अन्दर हो चुकी है, और उस व्यवस्था के अनुसार ही सारी कार्यवाही चल रही है और उसमें पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जितना माननीय अध्यक्ष ने विभिन्न पार्टियों के लिए समय निर्धारित किया है उतना समय जहां तक हो उन पार्टियों को दिया जाय । इतना मैं यहां अवश्य निवेदन करूंगा कि यह केवल मात्र माननीय सदस्यों के सहयोग पर है कि वे स्वयं कितना समय लें । यदि तथ्य की बात कहना है तो वह १५–२० मिनिट में भी संकुचित हो सकती है सूत्रवत् और फिर बाद में अधिकांश रिपीटिशन आ जाता है; तो प्रारम्भ के माननीय सदस्य अपने भाषण को थोड़ा संयत करें तो इस प्रकार की शिकायत आने का मौका ही न हो । केवल आसन से पार्टी के अनुसार ही समय निर्धारित करना उचित समझा गया । अब यदि शुरु से ही प्रत्येक माननीय सदस्य को जो पार्टियों के नेता हैं उनको भी और जो बड़े जिम्मेवार माननीय सदस्यगण हैं उनको बार बार समय के लिए टोका जाय तो वह भी उचित नहीं होता है । केवल मात्र समय का संकोच जब आगे जाकर आता है तभी सदस्यों को नियत्रण के लिए अनुमति दी जाती है और उसका ध्यान नहीं रखा जाता तो सारे सदन की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है और इससे वाद-विवाद का कोई अन्त नहीं रहता ।

अब मैं मानीय सदस्य श्री सांवलिया जी को जो अवसर दे रहा हूँ क्योंकि उनके खिलाफ पर्सनल आक्षेप आये हैं तो यह उचित है कि इस सदन में जिसके ऊपर आक्षेप आये हों, वे कुछ कहें और इसी ख्याल से यह उनको अवसर दिया गया है ।

(१२ . ७ म. प.)

पुलिस के अत्याचार के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :उपाध्यक्ष महोदय, on a point of order, Sir, मैं आपके ध्यान में एक ऐसी बात लाना चाहता हूं जो कि बहुत ही आवश्यक है । खास तौर से वह यह है कि जो फौजी भाई हमारी सीमा

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

पर पहरा दे रहे हैं आज राजस्थान की पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा उनकी इज्जत पर डाका डाला गया है। उनकी औरतों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवली में बामा भाई एक फौजी की पत्नि को पुलिस अधिकारी थाने में ले गये हैं....

(भारी कोलाहल, शेम–शेम)

इसलिये मैं आपसे समय चाहता था। यह अधिकारी हमारे फौजी की पत्नि के साथ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का खयाल रखें। Order please.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ....वहां उसको थाने में रखा और तीन सिपाहियों ने उसके साथ बलात्कार किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इस प्रकार से इस राज्य में चाहे इज्जत....

(कोलाहल में अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री हरिप्रसाद शर्मा :.... की रक्षा न की जाय और हमारी आवाज नहीं सुनी जाय; तो इस प्रकार का व्यभिचार खुले आम....

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये भी तरीका है। Order please! अनेक माननीय सदस्यों के बोलने पर इस प्रकार से तो व्यवस्था नहीं रहती है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि....

(भारी कोलाहल के कारण अश्रव्य)

जो मैंजर शैतानसिंह के साथ में मारा गया है, उस फौजी की औरत के साथ जिना बिल जब्र किया गया....

(कोलाहल)

उसको बचाने की कोशिश की गई और एक महीने तक कुछ नहीं सुनवाई की गई....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा....

श्री रामकिशन : इसका हमारी सेना पर बुरा असर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री हरिराम चौहान : मैंजर शैतान-सिंह के साथ जो फौजी था उसकी औरत के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन इस सरकार ने उस तहसीलदार का....

(कोलाहल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना भयानक कान्ड हुआ है उसको सुनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए विभिन्न प्रकार से व्यवस्था रखी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री उपाध्यक्ष जिन मेम्बर्स के अमेन्डमेंन्ट्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और चार मेम्बर केवल रहे हैं, अगर उनको १०-१० मिनिट का समय देकर ४० मिनिट का टाइम हाउस का बढ़ा दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। एक घन्टा और हम बैठने के लिए तैयार हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे डिफेन्स फार्सेज़ का ताल्लुक है, फोर्सेज़ के मोरल का ताल्लुक है, ऐसे मामलों को समय की कमी की वजह से दबाने की कोशिश करेंगे तो इस सदन की शोभा नहीं है। हमारे डिफेन्स के लिए गये हुए भाइयों की पत्नियों के आत्म-सम्मान की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम यहां बैठे किसलिए हैं। इसलिए इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि केवल समय की बिना पर आप ऐसे लोगों, जिनको इनाम देने के बजाय उनकी इज्जत ली जाती है और तहसीलदार या पुलिस के उन अफसरों को इस तरीके से डिफेन्ड कर रहे हैं, उन पर अमेन्डमेंन्ट्स माननीय सदस्यों ने रखे है वे अमेन्डमेंन्ट्स मूव किये जाने चाहिये।

इन अमेन्डमेन्ट्स को मूव किया जाना चाहिये, उनको मौका दिया जाना चाहिये। आप सदन का समय बाढ़वें, हम बैठने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि इसी प्रकार बहस का तरीका रहा तो सदन की कार्यवाही चलाना कठिन हो जायगा। यह पहले ही मान लेना कि आसन समय देने वाला है ही नहीं, एक माननीय सदस्य को बोलने का आसन की तरफ से संकेत हुआ उनको न बोलने देना और बीच में बोलना कहां तक ठीक है। अमेन्डमेन्ट के विषय में मैंने स्पष्टीकरण कर दिया; अब आगे का ख्याल किया जाय। एक माननीय सदस्य को कहा गया है कि बोलो, किन्तु उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। ऐसी कौनसी बात है ? एक विषय जो अभी उठाया गया है उसको रूल्स के अन्तर्गत कई तरीकों से उठाया जा सकता है, एडजोर्नमेन्ट मोशन से उठाया जा सकता है, और भी तरीको से उठाया जा सकता है। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि यदि समय का संकोच हो तो कार्यवाही में दखल देकर बीच में ऐसा प्रश्न उठाया जाय। इस तरह से सदन में कोई व्यवस्थ, नहीं रह सकती। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जिस माननीय सदस्य को संकेत किया है उनको बोलने दें। उसके पश्चात् जो माननीय सदस्य किन्हीं खास बातों पर बोलना चाहते हैं तो उनसे यह कहूंगा कि दूसरे तरीकों से सदन में और दिन उनका स्पष्टीकरण करवा सकते हैं, लेकिन केवल अनर्गल रूप से सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाय, यह उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें बड़ा खेद है कि आपका आदर करते हुए, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया है कि राजस्थान सरकार सिपाहियों की फेमिलीज़ को मदद दे लेकिन उनके साथ बलात्कार होता है और इस बात को जब हम बताते हैं तो आप उसको अनर्गल बात कहते हैं; आपका तो खून उबलना चाहिये था। इस तरह से आप इतनी महत्वपूर्ण बात को अनर्गल बात करें, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे.......

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(श्री निरंजननाथ आचार्य के बोलने के लिए खड़े होने पर शोरगुल)

यह अनर्गल बात नहीं है। हमारे देश के आत्म सम्मान का सवाल है, हमारी तमाम फोर्सेज़ की इज्जत का सवाल है, उसको आप यहां कहने नहीं दें, उन लोगों का जो अपमान किया गया है उसको आप इस सदन में लाने नहीं दें, जिनकी सहायता करने का जिक्र राज्यपाल के भाषण में है। यदि इसको ऐसे ही पास होने दिया गया तो उसका मतलब यह होगा कि यह घटना जो बताना चाहते हैं बलात्कार करने की, वह घटना सही नहीं है............

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह इतनी गंभीर घटना है कि जिसके कारण गवर्नर के एड्रेस पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास नहीं किया जायगा। शैतानसिंह के सिपाही गिरधारीलाल की घरवाली के साथ राजस्थान सरकार का एक तहसीलदार बलात्कार करे और आप हमें समय का उपदेश दें। माननीय सदस्य ने इसके बारे में जो अमेन्डमेन्ट दिया है............

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !!

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां आप चीन के हमले को रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान के हमले को रोकना चाहते हैं वहां शैतानसिंह के सिपाही की औरत के साथ राजस्थान सरकार का तहसीलदार बलात्कार करे और हम यहां उसकी बात लाना चाहते हैं तो आप हमें संयम का उपदेश दें तो हम संयम नहीं रख सकते............

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल . और आपका कांग्रेस का एक एम. एल. ए. जीप लेकर तहसीलदार की मदद के लिये.........

श्री फूलचन्द जैन : On a point of order, Sir; on a point of order, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : यदि यही परिस्थिति चली तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा कि सदन की बैठक कुछ समय के लिये स्थगित करूं। कितना ही जरूरी काम क्यों न हो उसकी व्यवस्था के लिये यहां रूल्स बने हैं और आपकी अनुमति से बने हैं। यदि रूल्स की तहत में हम काम करना छोड़ दें और जब भी चाहें महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर बहस करना शुरू करें तो यह बहस का तरीका नहीं है। मैंने किसी चीज को रूल आउट नहीं किया है। मैं एक सदस्य को मौका दे रहा हूं बोलने का और उनके उस हक का आप हनन करना चाहते हैं............

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने सरकार को हमेशा एकोमोडेट किया है। यह नया प्रिसीडेन्ट नहीं है टाइम बढ़ाने का। हमने जब भी सरकार ने कहा है हम रात में बैठे हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप हमारी भावना की कद्र करें। आप हमें ४० मिनट बोलने का मौका दें तो न तो इससे प्रोसीजर टूटता है और न रूल्स टूटते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कभी नहीं कहा कि एकोमोडेट नहीं करेंगे। ऐसा कह कर माननीय सदस्य आसन के प्रति अन्याय कर रहे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो आप घोषणा करिये समय बढ़ाने की।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) माननीय उपाध्यक्षजी, जिस वाद-विवाद को लेकर अभी यह कहा गया कि हम कुछ फौजियों के बारे में इस तरह की बात कहना चाहते हैं और सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है. मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी पोलिटिकल बैक ग्राउन्ड की वजह से मामला उठाना चाहते हैं तो खास गम्भीरता को समझते हुए हमारे पास पूरे आधार हों तो निश्चित तौर से उठावें। लेकिन इस प्रकार इसकी गम्भीरता को न समझते हुए हम एक सीन क्रियेट करें तो उसका एक व्यापक असर होता है। मैं समझता हूं कि यहां जो माननीय सदस्य हैं वे इस बात का एहसास करेंगे कि यदि उनको इस बात की जानकारी थी तो उनके पक्ष के जो व्यक्ति बोले हैं, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था तो या तो कल की घटना है तब तो मैं समझता हूं उसकी जानकारी पहले बोलने वाले को नहीं दी जा सकती थी, अचानक सवाल खड़ा हो गया। लेकिन इसको इतनी गम्भीरता दी जाती है तो मैं समझता हूँ, माननीय सदस्यों द्वारा पहले प्रस्तुत की जा सकती थी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार की घटना है, मुझे सूचना दे दें, लिख कर दे दें, मैं सारे माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी इस प्रकार की कार्यवाही हुई होगी तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

फिर भी यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि यहां पर चर्चा होनी चाहिये, कहीं किसी फौजी भाई की स्त्री के साथ इस प्रकार की घटना हुई है और हम उसको यहां रखना पसन्द करते हैं तो मैं अपना समय कम कर दूंगा, लेकिन इस बात को यहां लाने से इन्कार नहीं करूंगा। लेकिन हम इस बात की गम्भीरता को और व्यापकता को सामने रख कर रखें। पूरा सुबूत हो तो रखें। ऐसा नहीं हो कि हम यह बात यहां रख दें और कहीं उसका गलत प्रचार हो जाय, जिसका असर व्यापक तरीके से पड़े और हो केवल उसके पीछे राजनीतिक भावना। समय देने में इन्कारी नहीं है। लेकिन समय देने से जो चर्चा होती है उसका असर होता है उसको सोच कर यहां फेक्ट्स रखे जायं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मंशा है..

अभी तो समय काफी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात को क्लीयर कीजिये। समय बढ़ाने की बात को रखिये सदन के सामने....

श्री अब्दुल जब्बार : On a point of order, Sir ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस सवाल का निर्णय क्यों नहीं करते कि जिनके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अमेन्डमेन्ट्स हैं उनके लिये ४० मिनट का समय बढ़ायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को पहले भी निवेदन कर चुका हूं ....

(व्यवधान)

Order please ! जो अमेंडमेंट्स आये थे, जिनकी बारी आई थी उनकी रजामन्दी से तो दूसरे माननीय सदस्य बोले । उसके पश्चात् जो माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं थे, अगर उनके अमेंडमेंट्स रह गये हैं तो मैं एक-आध को एकोमोडेट कर सकता हूं और वे अमेंडमेंट के तरीके पर नहीं, उसके पक्ष में कुछ बोल सकते हैं । लेकिन यह तो माननीय सदस्यों पर ही होगा कि वे समय का किसी प्रकार संतुलित रूप से उपयोग कर सकें ।

अब मैं माननीय श्री सांवलियाराम से....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order, Sir !

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिये । मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है—"Rule 17(2): The discussion on the Address may be postponed in favour of a Government Bill or other Government business on a motion being made that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker. The Speaker shall forthwith put the question, no amendment or debate being allowed."

उपाध्यक्ष महोदय, आपने श्री सांवलियाराम को इसके लिए मौका दिया कि वे अपनी पोजीशन क्लीयर करें । अभी आपने हाउस के अन्दर व्यवस्था नहीं फर्माई है कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है उस पर डिस्कशन खत्म कर दिया गया है । ऐसी व्यवस्था हो जाय तो श्री सांवलियाराम को बोलने का अधिकार है । लेकिन डिबेट को ब्रेक करके उनको बोलने की व्यवस्था नहीं दी जा सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो आपत्ति उठाई, उसमें कुछ मिसअण्डरस्टेंडिंग है । श्री सांवलियाराम को मौका दिया गया है, वह भाषणों के दौरान में भाषण करने का मौका दिया गया है और विशेष ख्याल यह था कि उन पर जो उपालम्भ आया है उस पर वे कुछ कह सकें ।

(१२,२३ म०प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री अब्दुलजब्बार : I have another point of order. Shri Sanwalia Ram is not entitled because he has not moved any amendment. There are Members who have moved amendments and they are entitled to get a chance instead of those members who have not moved any amendment.

श्री नाथूलाल करोल (बागीडोरा) : Point of information, Sir.......

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order.

एक माननीय सदस्य : हमें मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट का प्रश्न है, अमेंडमेंट वालों में से एक-आध का हो सका तो बुलवा देंगे।

श्री नाथूलाल करोल : On a point of order, Sir. .....

श्री उपाध्यक्ष : This is dilatory tactics. I will not allow it.

श्री नाथूलाल करोल : मेरा भी एक अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सांवलियाराम (रूपवास): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण....

श्री नाथूलाल करोल : उनको अलाऊ किया है तो मुझे भी अलाऊ किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं सदन की व्यवस्था भंग नहीं होने दूँगा।

श्री सांवलियाराम : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पैरा ४१ में एक जिक्र किया है कि पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि काफी ध्यान दिया गया है और केवल ध्यान ही नहीं दिया बल्कि इन लोगों को काफी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब इधर बैठे थे तो मानते नहीं थे अब झट मान गये।

श्री सांवलियाराम : मानता नहीं था तो यहां कहां से आ गया ? यह जनतंत्र है, यह जनता की सीट है, यह आपने नहीं दी है उन्होंने नहीं दी है–यह मैं बात मानता हूं। आप हमारी चिन्ता मत कीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): कांग्रेस ने ध्यान दिया होगा, उसकी मुरलिया बजाओ।

श्री सांवलियाराम : राजस्थान में पिछड़ी हुई जातियां आगे बढ़ी हैं। मुझे थोड़ा आपसे यह कहना है कि भरतपुर जिले में जितने कोली हैं उतने किसी जिले में नहीं हैं.......

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप पहले यह बताइये कि ४६० बीघे का क्या किस्सा है। पहले इसका निराकरण कीजिये....

(शोरगुल)

श्री सांवलियाराम : उन्होंने इस बात को सदन में....

श्री मानसिंह महार : कांग्रेस को क्यों चाहते हैं, यह हमें मत बताइये। आप पहले जवाब दीजिये कि ४६० बीघे का क्या किस्सा है।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लल्लू, पहले काला मुंह तो धो लो।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो रिश्वत में ४६० बीघा जमीन मिली है ...

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनसे स्पष्टीकरण दिलाया जाय, जो उन्होंने....

श्रीमती सुमित्रा : On a point of Order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : Oder please !

श्रीमती सुमित्रा : On a point of Order, Sir......

श्री मानसिंह महार : जो रामकिशनजी ने उन पर आरोप लगाया है कि नाजायज़ तरीके से ४६० बीघा जमीन ली है, इसका क्या किस्सा है। यह सारे सदन की बदनामी है। यह एम. एल. एज़. के लिए कलंक है, आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री सांवलियाराम : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री सांवलियाराम : मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य, भरतपुर से आने वाले हैं........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! एक मेम्बर को बोलने दीजिये।

श्री सांवलियाराम : उन्होंने यह बताया, मैं मानता हूं भरतपुर में कोली जाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं ...

श्री मानसिंह महार : मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बात का जवाब दें। जो आरोप लगाया है।

(शोरगुल)

On a point of information, Sir........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जवाब दे रहे हैं। आप बैठिये जरा।

श्रीमती सुमित्रा : On a point of Order, Sir......

श्री मानसिंह महार : विरोधी दल पर एक कलंक है, ४६० बीघा जमीन रिश्वत में लेकर कांग्रेसी हो जांय और ट्रेज़री बेंचेज़ पर जा बैठें। यह हम पर कलंक है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्रीमती सुमित्रा : On a point of Order, Sir......

श्री सांवलियाराम : मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इन्हें आदेश दिया जाय, पहले अपने मुंह का कलंक धोयें, उसके बाद बात करें।

श्री सांवलियाराम : आपके आदेश की जरूरत नहीं है। आपका आदेश यहां नहीं माना जाता है। सदन में आदेशकर्त्ता मौजूद हैं, उनका आदेश मानता हूँ।

श्री मानसिंह महार : रिश्वत लेकर इस सदन के सदस्य नहीं हो सकते। पहले सफाई दें, वर्ना यहां बोल नहीं सकते।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Manniya Sadasyagan !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भेड़ की खाल ओढ़ने से काम नहीं चलेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : On a point of Order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सांवलियारामजी के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ४६० बीघा जमीन सीधी करके इधर से ट्रेज़री बैंच पर जाकर अपनी जाति को परिवर्तित किया है।

श्री उपाध्यक्ष : वे कह रहे हैं, आप सुनें।

श्री सांवलियाराम : वही बात कह रहा था आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं। सब बातें आ जायंगी........

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह गम्भीर आरोप है।

श्री सांवलियाराम : आप घबरा क्यों रहे हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये और जांच होनी चाहिए। बाकी बातों के कहने के अधिकारी बाद में हो सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : जो आरोप है उसको ध्यान में रख कर ही समय दिया गया है। पहले स्पष्टीकरण करिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिये।

श्री सांवलियाराम : मैं बताने जा रहा था कि एक तरफ तो पंडित रामकिशनजी ने यह बताया था कि मैं मानता हूँ, भरतपुर में कोली जाति के लोग काफी पिछड़े हुए हैं, इनको जमीन मिलनी चाहिये। इनकी तरक्की हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय। दूसरी तरफ यह कहते हैं। मैं इनकी सच्चाई में विश्वास नहीं करता था। मैं नहीं समझता था कि पंडितजी भी इस तरह की........

श्री मानसिंह महार : इस तरह ये धोखेबाजी में नहीं आयेंगे।

श्री सांवलियाराम : लेकिन आज यह मालूम हो गया। जो आरोप लगाया है कि ४२०, या ४६० बीघा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of information, पंडितजी क्या है ?

(शोरगुल)

श्री सांवलियाराम : आप सुनिये, तसल्ली से सुनिये। माननीय उपाध्यक्ष, मैं बताने जा रहा था कि पंडितजी.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंडितजी कौन हैं ?

श्री मानसिंह महार : पंडितजी कौन हैं ?

श्री सांवलियाराम : पंडितजी ने जो आरोप लगाया है, उसके बारे में मैं सारी बात रखूं ताकि सदन को सही स्थिति मालूम हो जाय, और यह भी मालूम हो जाय कि जिन लोगों को यह जमीन दिलाई जा रही है उसमें कौन कौन थे। सरकार के पास आज से नहीं बल्कि पहले से लोगों की एप्लीकेशन्स मौजूद थीं। उसमें कुछ होता नहीं था। कुछ दिन के बाद एप्लीकेशन आई तो उनकी सुनवाई की गई और वहां कोऑपरेटिव बेसिस पर भरतपुर में जांच वगैरह कराके कलेक्टर ने यह डिसीज़न लिया कि यह जमीन अलॉट कर दी जाय ....

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री सांवलियाराम : वह भी कोऑपरेटिव आधार पर, कोई इन्डीविजुअल आधार पर नहीं; कोऑपरेटिव आधार पर जमीन अलॉट कर दी जाय। २६ अगस्त को कलेक्टर भरतपुर का ऑर्डर हुआ, २३......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : स्कीम बना ली है ?

श्री सांवलियाराम : २३ सितम्बर को अलॉटमेंट कमेटी बैठी। उसका मेम्बर मैं भी था और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री नत्थीसिंहजी भी थे। उनको गलती से बुलवाया गया जब कि मेरे क्षेत्र में वह जमीन है। जरहरा रूंद से मेरा सम्बन्ध है और पंचायत सर्किल धनवाड़ा से सम्बन्ध है ! उनका क्षेत्र नहीं था, वे भरतपुर के उम्मीदवार हैं ......

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): On a point of Order, Sir, जरहरा किस कॉन्स्टीट्यूएन्सी में है ? धनवाड़ा है वह किस कॉन्स्टीट्यूएन्सी में है ?

श्री सांवलियाराम : आप काफी कह चुके हैं। अब मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिये। आप घबराते क्यों हैं ? हमें मालूम है, आप वकील हैं, आप इस तरह दबाते आ रहे हैं। हम जानते हैं आप किस तरह व्यवहार करते हैं बगैर पैसे के आप किसी के नहीं होते, यह भी बता दूं। बगैर पैसे के आप इन जातियों के भी नहीं होते।

मैं बताने जा रहा था कि अलॉटमेंट कमेटी के थ्रू जब जमीन अलॉट की जा रही थी तो नत्थीसिंहजी ने कुम्हेर वालों को भड़काया कि यह चरागाह है, जहां मवेशी चरते हैं और इसे गैर-कानूनी रूप से अलॉट किया जा रहा है। और वे कुम्हेर से बहुत बड़ा डेपूटेशन लेकर तहसील भरतपुर में जा बैठे। भाग्य से यह हुआ कि भरतपुर के कलेक्टर साहब का तबादला हो गया था, वे नहीं थे, इसलिए ए० डी० एम० साहब ने अलॉटमेन्ट रुकवा दिया, चूंकि कलेक्टर साहब इस समय नहीं थे तो २३ सितम्बर को अलॉटमेन्ट कमेटी बैठी। उस दिन कलेक्टर महोदय वहां

(श्री सांवलियाराम)

पर उपस्थित नहीं थे। इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में वहां के ए० डी० एम. इन्चार्ज होते हैं उन्होंने काम किया। इन्होंने उनको अर्जी दी। उनको सारे हालात मालूम नहीं थे इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि यह अलॉटमेंट गैर कानूनी किया जा रहा है। उन्होंने अलॉटमेन्ट कमेटी को कह कर अलॉटमेन्ट रुकवा दिये। मैं यह कहूँगा कि जब कलेक्टर ने सारे कागजातों को देख कर यह डिसिज़न लिया था तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। उस जमीन का अभी तक अलॉटमेन्ट नहीं हो पाया है। जब कि लेने वालों की लिस्ट तहसील भरतपुर में पड़ी है। जांच करें। मेरे ऊपर यह भी चार्ज लगाया गया कि कुछ लोग सांवलियाराम के भाई-बन्द और रिश्तेदार हैं। इसके लिए मैंने पहले ही चैलेंज किया था, मगर वे उस चैलेंज को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : नाक कटाने को वे तैयार नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी नाक तो कटी हुई है।

श्री मानसिंह महार : आपकी नाक तो कटी हुई है ही।

(शोरगुल)

(अन्य कई माननीय सदस्य एक साथ आवेश में बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सांवलियाराम : इस लिस्ट में मेरा कोई भाई-भतीजा नहीं है। पंडित रामकिशनजी ने जैसा बताया कि वह जमीन कोली जाति के लोगों को दी गई है, वह अवश्य दी जानी है और मैं भी कोली जाति में से हूँ। मैंने भी यह सोचा कि इन गरीब लोगों को जमीन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यह जनतंत्र की देन है। इसलिए मैंने सारी बातों को सोच कर उनका साथ दिया।

(विराम)

इसका मतलब यह नहीं कि मैंने डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर से पहले ही से यह तय करा लिया हो। मैं कलेक्टर के पास गया और उनसे कहा कि ये कोली बेकवर्ड क्लास के लोग हैं और ये थोड़े से परिवार हैं इसलिए इनके हर परिवार को १०–१० बीघा जमीन दे दी जावे। वह कुल जमीन उनको दी जावे। वह ४६० बीघा जमीन है और वह ४६ परिवार हैं जो वहीं हैं। इनकी दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। उन गरीब लोगों के लिए मैंने कोशिश की........

(शोरगुल)

जो बात आपने बताई है कि मेरे रिश्तेदार हैं वह गलत है और आपका यह आरोप बिल्कुल निराधार है।

(अनेक माननीय सदस्य आवेश में एक साथ बोलने लगे–श्री चन्दनमल वैद, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री गिरधारीलाल व्यास आदि आवेश में बोलने लगे।)

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : शर्म आनी चाहिये आपको। पहले व्यासजी के साथ चिपके हुए थे और अब........

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्हीं के लिए आपने ऐसा किया, दूसरे गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरे भूखे और गरीब लोगों के लिए आपने क्या कुछ किया ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री मानसिंह महार : आपको शर्म आनी चाहिए....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Point of Order, Sir, अभी एक माननीय सदस्य ने उप-मंत्री श्री चन्दनमलजी जोश में आए उस समय उनके लिए कहा कि वे पहले व्यासजी के साथ थे, अब व्यासजी का साथ छोड़ कर सुखाड़ियाजी की लुगाई बन गये हैं। ये शब्द तथ्यहीन हैं। इसलिए इन तथ्यहीन शब्दों को प्रोसीडिंग्ज़ में से निकलवाया जावें।

श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री, उद्योग) : मेरे लिए नहीं कहा। ये शब्द हों तो देख लिए जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य से पूछा जावे और अगर ये शब्द तथ्यहीन हों तो निकाले जावें।

श्री चन्दनमल वैद : आपके और हमारे सम्बन्ध में नहीं पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेंढ़की को भी जुकाम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : आपने कहा था समय बढ़ाने का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को निवेदन कर दिया था। मैंने व्यवस्था के विषय में कहा था और यह कहा था कि यह पहले से ही मान लेना ठीक नहीं होगा कि मैं समय दूंगा या नहीं। और मैंने यह निवेदन किया था कि एडजोर्नमेंट मोशन, कॉल एटेन्शन नोटिस आदि कई प्रकार की कार्यवाही हो सकती हैं जिनके जरिये मामले उठाये जा सकते हैं; इसलिये मैं मुनासिब नहीं समझता कि टाइम बढ़ाया जाए।

(शोरगुल)

Order please !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : जहां तक इस विषय में व्यवस्था का सवाल है, हमें जो व्यवस्था आसन से मिल गई है उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन साथ में क्लेरिफिकेशन के तौर पर मैं चाहूंगा कि जहां तक गवर्नर महोदय के भाषण का संबन्ध है उस पर प्रोसीजर है उनमें आसन को ये पॉवर्स दे रखी हैं कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस के समय वह समय निश्चित करें। यह सब कुछ आसन पर है। हम बराबर यह निवेदन करते आ रहे हैं कि जो माननीय सदस्य अपने अमेन्डमेंट रखते हैं उनको सबको बोलने का

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

अवसर दिया जावे। प्रत्येक सदस्य इस बात की व्यवस्था पाने की चेष्टा करता है कि उसको बोलने का अवसर दिया जाए। इसके लिये नियम बने हुए हैं, उनमें यह है कि धन्यवाद के प्रस्ताव में जो भी माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे संशोधन प्रस्तुत कर दें, उनकी लिस्ट बाकायदा तैयार होती है और आसन की ओर से उन माननीय सदस्यों के बोलने को जिन्होंने पहले संशोधन दिये थे उसके आधार पर कुछ लोगों को पहले मुख्य रूप से अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था अभी तक आसन की ओर से नहीं दी गई है कि जिनके अमेन्डमेंट मोशन आये हैं उन लोगों को बराबर बोलने का मौका भविष्य में दिया जाता रहेगा।

(१२.३५ म० प०)

(श्री अध्यक्ष पुन: पदासीन)

दूसरी बात यह है कि सदन में याचना की जाती है तो कहा जाता है कि अभी समय बहुत है और माननीय मंत्री को भाषण देने के लिये काफी समय है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सदन का समय कुछ देर के लिये, आध घन्टे या ४० मिनट के लिये, बढ़ा दिया जावे तो अच्छा होगा ताकि कुछ ऐसे अहम मुद्दे जो रह गये हैं उन पर कुछ सदस्य जो बोलने से रह गये हैं वे प्रकाश डाल सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : पूरा भाषण हो गया है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार यदि सदन का समय बढ़ा दिया जाएगा तो मुश्किल से दो–तीन व्यक्ति ऐसे बचे होंगे जिनके अमेन्ड-मेंट मोशन्स होंगे। इसलिये मैं याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यदि सदन का समय थोड़ा बढ़ा दिया जावे और उन्हें मौका दिया जावे तो सही रूप से प्रजातन्त्र की परम्परा कायम रहेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक समय बढ़ाने का प्रश्न है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर जैसा माननीय सदस्य, जयपुर से आनेवालों ने कहा कि अमेन्डमेंट मूव करने वाले सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए और इसके लिये नियम में व्यवस्था हो सकती है, परम्परा यह रही होगी मगर मैं यह कहूंगा कि लोक सभा और दूसरी स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी जहां अमेन्डमेंट मूव करते हैं वहां पर भी ऐसा ही होता है कि पार्टी का जो प्रतिनिधि होगा चाहे वह सदस्य हो, चाहे लीडर हो वह उस पर बोलेगा और अपनी पार्टी की नीति को रखेंगे। यदि १७६ माननीय सदस्य ही अपने अमेन्डमेंट मूव करें तो तीन दिन के समय में सब उस पर बोल सकें, यह संभव नहीं हो सकता। इसलिये इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी और यह मौजूदा व्यवस्था उचित है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। इसलिये इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री बाड़दार ने यह आपत्ति उठाई है कि जिन माननीय सदस्यों ने धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन रखे हैं उन सबको बोलने का हक है और उनको आज्ञा प्रदान करनी चाहिये। यह बात पहले भी आ चुकी है और इस संबन्ध में विभिन्न

(श्री अध्यक्ष)

पार्टीज़ और ग्रुप्स के लीडर्स हैं उनसे भी कई दफा मेरी बात-चीत हो चुकी है और जैसा माननीय सदस्य भैरोंसिंह ने बताया कि लोक सभा और अन्य प्रान्तों की विधान सभाएं हैं उनमें भी यही प्रणाली है कि सारे अमेन्डमेंट्स होते हैं उन सब को सदन के सामने लाया नहीं जा सकता और न सारे सदस्यों को बोलने की आज्ञा ही प्रदान की जाती है।

इसके अलावा आप यह बात देखेंगे कि एक डिमान्ड पर १०० या २०० कट मोशन्स आ सकते हैं, उन सब पर यह माना जावे कि सारे माननीय सदस्य बोलें तो सारी व्यवस्था है वह समाप्त हो जावेगी और यह पार्टी के हक में भी रहा है और पार्टी व्यवस्था जिस तरह की सदन में है उसके आधार पर डेकोरम चलाना है। चाहे किसी सदस्य ने संशोधन दिया हो या नहीं, वे अपनी पार्टी की नीति को रख सकते हैं और विवेचन कर सकते हैं। इसलिये जो आपत्ति उठाई गई है उसे मैं अस्वीकार करता हूं। जो माननीय सदस्य बोले हैं वे उनकी पार्टी के नेता बोले हैं और वे जो नहीं बोल सके हैं उनके लिये स्थिति इस तरह की हो नहीं सकती कि सारे के सारे माननीय सदस्य बोलें ही। आपने देखा होगा कि हमेशा बजट डिस्कशन के लिये हम ४ दिन का समय देते हैं, मगर हमने चार दिन के बजाय ५ दिन कर दिये, डिमान्ड्स के लिए ६ दिन के बजाय १० दिन कर दिये; एप्रोप्रिएशन पर एक दिन देते थे उसको बढा कर दो दिन कर दिये। हमेशा यही कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बहस में हिस्सा ले सकें। अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि समय को बढ़ाने के लिए जोर नहीं दें। इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई भी मुद्दे आप उठाना चाहते हैं उसके लिए अन्य दिन वहां ज्यादा समय बैठ कर भी करते है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह कार्य-सलाहकार समिति ने यह सम्भवतया किया है और कार्य-सलाहकार समिति में सभी पार्टीज़ के नुमाइन्दे होते हैं और वह सदन के सामने आया था और सदन ने उसे स्वीकार किया। सदन सर्वोपरि है। उसको बदल कर सदन का समय आधा घन्टा या ४० मिनट बढ़ाना उचित नहीं होगा क्योंकि इस समय के बढ़ाने के बाद भी सदस्य रह सकते हैं।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार कार्य करें। अब आज की बहस इसी वक्त समाप्त हो जाती है। अब मुख्य मंत्री सरकार की ओर से उत्तर देंगे और मैं आशा करता हूं कि आप उसे शांति से सुनेंगे। आपकी शंकाओं का समाधान हो सकेगा। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण शुरू करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी जो आज्ञा है वह शिरोधार्य है। लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर से यह आशा करता था कि वे इतने अहम मसले पर सदन के माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे, जहां हमारे सैनिकों की पत्नियों के साथ बलात्कार होते हैं, जिन सैनिकों ने इतनी शहादत की है उन मामलों में हमारी बात सुन कर कार्यवाही करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किया इसके विरोध में और विरोधी पक्ष के ५ आदमियों को कांग्रेस पार्टी में प्रलोभन देकर मिलाया है, इस कार्यवाही के विरोध में हम उनका जवाब नहीं सुनना चाहते और इसके प्रोटेस्ट में हम वाक-आउट करते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी व्यवस्था स्वीकार है और मुख्य मंत्रीजी का व्यवहार भी सुन्दर है पर मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम कुछ मामलों को राजनैतिक नहीं बनाना चाहते। हम जानते हैं कि मुख्य मंत्रीजी के दिल में भी सैनिकों के प्रति कितनी जगह है, पर सैनिकों की स्त्रियों के साथ जो गलत काम हुए हैं उनके सम्बन्ध में बोलने का अगर समय नहीं देते हैं तो हम भी आपको सुनने को तैयार नहीं हैं, हम भी जाते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हमें शिरोधार्य है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, हमारी शिकायत सरकार से है। जिस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार रखती है और यहां तक कि सैनिकों के प्रति इस प्रकार का रवैया रखती है, सैनिकों को ही क्या हमारी पार्टी के सदस्यों को दबाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किये जाते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी में मिलाने के हथकंडे मुख्य मंत्री अपनाते हैं, उन हथकंडों को विचार में रखते हुए मैं और मेरी पार्टी के माननीय सदस्य ऐसा विचार रखते हैं कि मुख्य मंत्रीजी का उत्तर होगा उसको सुनना उचित नहीं होगा। बिना किसी प्रकार का चेअर का अपमान करते हुए, क्योंकि हम मुख्य मंत्रीजी का भाषण सुनने में असमर्थ हैं, इसलिये हम इस सदन को छोड़ते हैं।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष, मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन के ५ माननीय सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में मिलाया है उसके बारे में श्री सांवलियारामजी ने अपना एक्स्प्लेनेशन दिया है पर इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी और मुख्य मंत्रीजी यह मानते हैं कि इसमें किसी प्रकार का ब्लेक मेलिंग और इकोनोमिक प्रेशर नहीं है तो सदन की एक हाईपॉवर कमेटी मुकर्रर की जाय जिसमें कांग्रेस पार्टी के दो सदस्य हों और दो सदस्य अपोज़िशन के हों। चार सदस्यों का दल इस अफेयर की जांच करके सदन को रिपोर्ट पेश करे, मुख्य मंत्रीजी इसे स्वीकार करें, यदि इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें। चूंकि वे मौन हैं इसलिये मैं समझता हूं कि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते इसलिये मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं मुझे अपनी बात कहने का तो मौका देते, माननीय सदस्य मेरी बात तो सुनते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (कनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, सदन में जो इस प्रकार का रवैया अख्त्यार किया जा रहा है वह गलत परम्परा है। ऐसे वक्तव्यों के साथ इस प्रकार जाने की प्रथा कहीं नहीं है। जाना है तो आप जा सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है और अगर आवें तो कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में एक के बाद एक आदमी वक्तव्य देते हैं और जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : इतनी देर में तो सारे लोग चले जाते, आप खामोख्वाह समय ले रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, आज अपोजिशन के ५ सदस्यों को कांग्रेस में मिलाया गया है....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आप भी आजावें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लोगों को इस प्रकार की करप्ट प्रेक्टिस से अपोजीशन से छीना जा रहा है, क्या यह पतन नहीं है ? जमीन के लिये दर्ख्वास्त दी गई उस पर डिप्टी मिनिस्टर के दस्तखत हैं कि जमीन दी जाय। इस प्रकार की करप्शन की कार्यवाहियां प्रजातन्त्र के लिये बहुत घातक हैं। इसलिये इसके विरोध में मैं और हमारा दल इस सदन से आज वाक आउट करते हैं।

(संयुक्त प्रजातंत्र दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मथुरादास माथुर : आपका दल कहां है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आज विरोधी दल के ५ सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में मिलाये जाने की घोषणा की गई। मैं उन माननीय सदस्यों को कॉन्स्टीट्यूशन के नाते कोई अधिकार हो सकता है इस विषय में चर्चा नहीं करते हुए यह मानता हूं कि कॉन्स्टीट्यूशन में वर्ड्स जरूर लिये हैं, उन वर्ड्स का लिटरेरी मतलब रख सकते हैं पर कॉन्स्टीट्यूशन में हर बात निश्चित रूप से लिखी हुई होती है।

मैं समझता हूं हमारी डेमोक्रेसी जिस स्थिति में से गुजर रही है उस स्थिति में अच्छे कन्वेशन्स डालेंगे, वे हमारी डेमोक्रेसी को एक तरह से प्रगति पथ पर ले जायेंगे। ५ सदस्य जीतकर अपोजीशन में आये, उन्हें कांग्रेस पार्टी में लिया जाता है तो यह गलत परम्परा है, इसलिये इसके विरोध स्वरूप मैं अपनी पार्टी के साथ आज सदन से वाक आउट करता हूं।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : किवाड़ बन्द किये जाने चाहिये, वे बाहर से सुनेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि आज इस सदन में जिन पांच सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी जो इनकी, उनके संबंध में इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयत्न किया गया कि जैसे किसी प्रलोभन के कारण या किसी दबाव के कारण हमारी पार्टी के अन्दर शरीक होने की स्थिति पैदा हुई हो। मैं समझता हूं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह सारा सदन जानता है कि इनमें से अधिकांश सदस्य विधान सभा के पहले के अधिवेशनों में व समय समय पर कांग्रेस के साथ वोट करते रहे हैं और अगर वोटिंग के तथ्य पहले के देखे जायें तो जितने भी विरोधी पक्ष में हैं, उन्होंने कभी इतने वोट नहीं पाए हैं।

आज दूसरी पार्टियों की इस बारे में निश्चित नीति नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस बारे में यह नीति है कि जिन्होंने पार्टी की तरफ से टिकट मांगा हो और दूसरी तरफ से खड़े हुए हों तो उनको ६-६ साल तक डिसिप्लिन के लिहाज से कांग्रेस पार्टी में नहीं लेते हैं। आज जहां तक विचारधाराओं का और दूसरों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस का यह अनुशासन के बारे में रिज़ोल्यूशन न हो तो विरोधी पक्ष के शायद २०–२५ यहां नजर आते क्योंकि उनमें से बहुत से व्यक्ति आज के दिन भी इस बात को मानते हैं कि देश के अन्दर जो सारी परिस्थितियां हैं, जो कांग्रेस की नीति है, उस नीति के अनुसार ही देश को समझा जा सकता है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री सांवलियाराम के बारे में जिस जमीन के सवाल को लेकर वातावरण बनाया गया, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि शुरुआत इस बात से की गई कि ४०० बीघा जमीन श्री सांवलियाराम को दे दी गई। जब इस बात के ऊपर हमने ओपन चैलेंज दिया कि ऐसा नहीं है तब उसके साथ यह जोड़ा गया कि श्री सांवलियाराम के परिवार वालों को श्री सांवलियाराम के नाम पर जमीन दी गई और आखिर जाकर तथ्य यह निकला कि जो श्री सांवलियाराम ने आप सामने रखा और वास्तविकता भी है, वह यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वहां पर बनी हुई है, दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वहां पर बनी हुई हैं, उन दो सोसाइटीज़ ने, भरतपुर में जमीन का काफी प्रेशर है, वहां पर एप्लाई किया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने लिखा कि इनको रजिस्टर किया जाय और इनको जमीन अलॉट की जाय। इसके बाद असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ को यह रेफर किया कि आया इनको जमीन अलॉट की जा सकती है या नहीं, उसके बाद उनको रजिस्टर किया जाय। जब रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ ने लिखकर भेजा कि इनको इन जगहों पर अलॉट की जाती है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ।

मैं समझता हूँ कि इस सदन के अन्दर कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि हम अलॉटमेंट्स के मामले में जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, हरिजन, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कोऑपरेटिव्ज़ को हम तरजीह देकर चलना चाहते हैं और यह सोसाइटीज़ हरिजनों की हैं और कोऑपरेटिव हैं, दोनों चीजें इसके साथ जुड़ती हैं। मैं नहीं समझता कि इसके अन्दर किसी प्रकार का कोई लाभ और हानि की बात आती है। हां, इसमें अगर यह होता कि यह कोऑपरेटिव श्री सांवलियाराम के रिश्तेदारों ने मिलकर बनाई होती तब प्रश्न उठ सकता था कि श्री सांवलियाराम ने अपने रिश्तेदारों का कोऑपरेटिव बना कर जमीन उपलब्ध करने का प्रयत्न किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस सीधी-सादी बात से उन्होंने जिसे शिड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि कह सकते हैं, काफी मजबूती के साथ इस बात को यहां पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहा कि अगर साबित हो जाय कि उनके रिश्तेदार हैं तो इसके लिए जो प्रायश्चित हो, वह करने को तैयार हैं। उतनी बात कहने के बाद इस प्रकार से उन्हें जलील करने की कोशिश की जाय, सिवा इस बात के कि मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष को डर है कि हमारे कई सदस्य छोड़कर या इन्डिपेन्डेन्ट्स छोड़कर कांग्रेस पार्टी को जोइन न कर लें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दूसरों को ह्यूमीलियेट करके प्रेशर डालने का यह सारे का सारा सिलसिला है। तथ्य के आधार पर इससे बढ़कर जो श्री सांवलियाराम ने अपने आप यहां पर, इस सदन के सम्मुख, उपस्थित किया, मैं समझता हूं दूसरी बात नहीं हो सकती।

आज यहां यह कहा गया कि हरिजनों को जमीनें नहीं मिल पाती हैं। मैं स्वतन्त्र पार्टी के रुख को समझ सकता हूं, दूसरों के रुख को भी समझता हूं कि वे लोग हरिजनों के बारे में क्या नीति रखते हैं और क्या नहीं। क्योंकि महुआ में खास तौर से हरिजनों ने उनका साथ नहीं दिया.......

(विराम)

खास तौर से इसके बाद मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि प्रीप्लान्ड तरीके से जो इन सदस्यों ने वाक आऊट किया। मैंने जैसे पहले निवेदन किया यह बात कोई तत्काल उठी हो या कल परसों हुई हो या पहले जो पार्टियों के लीडर्स बोले हैं उनकी जानकारी में न हो तब तो मैं समझ सकता था कि अचानक यह प्रश्न खड़ा हुआ है। वह एडजोर्नमेंट मोशन्स के जरिए आ सकता था, और तरीकों से आ सकता था लेकिन उसके बजाय सदन से वाक आउट करना मैं इस चीज को गलत समझता हूं। हम इस तरफ बैठने वाले आज जो फौजी भाई वहां गए हुए हैं उनकी कहीं भी कोई शिकायत हो उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख कर कार्यवाही करने में तत्पर रहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि किसी को भ्रम न हो जाय कि जो कॉम्युनिस्ट सदस्य ने श्री शैतानसिंह का नाम लिया उसका संबंध मेजर शैतानसिंह से नहीं है। दूसरा उन्होंने एक और रूप देने का प्रयत्न किया। देवली में एक शिकायत सामने आई, जो वहां का सब–इन्स्पेक्टर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और एन्क्वायरी जारी है।

अलवर के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि क्या तथ्य हैं, मालूम होने पर वहां भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री घासीराम यादव (बहरोड़) : He has been challaned.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं मानता हूं कि जो फौजी भाई सीमा पर गए हुए हैं उनके परिवारों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। लेकिन उससे इस प्रकार पोलिटिकल एडवांटेज उठाना देश के साथ खिलवाड़ करना है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो भी इस बारे में कहें, वे चाहे किसी भी पक्ष के हों, उन लोगों को काफी गम्भीरता के साथ, देश पर इन चीजों का क्या असर पड़ता है ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस बारे में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। हम जब यहां पर मिल रहे हैं एक गम्भीर परिस्थिति में मिल रहे हैं। गम्भीर परिस्थिति इस माने में कि राजस्थान के अन्दर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक तरफ अकाल की परिस्थिति है, काफी बड़े क्षेत्र में है। कुछ क्षेत्र में ठंडी हवा चलने की वजह से कुछ फसलों का नुकसान हुआ, वह भी एक गम्भीर परिस्थिति है और उसके साथ साथ देश में जितना उत्पादन खाद्य पदार्थों का होना चाहिए था उसमें कुछ कमी हुई जिसकी वजह से भावों में वृद्धि है, अकाल की परिस्थिति है। सीमा पर पाकिस्तान का प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। इन परिस्थितियों के बीच में जब सदन मिलता है तो इन प्रश्नों को गंभीरता से विचारना होगा। आज फूड सिचुएशन के बारे में हम एक्सप्लोइट करने की बात करें, मैं समझता हूं यह नेशनल प्रोब्लम है। इसके सिवा हम इस बात को ध्यान में रख कर चलें कि आज जो भी सदस्य इस तरफ बैठे हुए हैं और जिनके हाथ में सरकार है, आज के दिन तक यही कोशिश रही है कि लोगों को आसानी से धान मिले और तकलीफ न हो। मुझे अच्छी तरह याद है और शायद बहुत से सदस्यों को याद होगा कि एक वक्त था इसी राजस्थान में और हिन्दुस्तान में आया था जब पूरा कन्ट्रोल था सारी चीजों का। वह कांग्रेस सरकार का वक्त नहीं था, जब ब्रिटिश सरकार थी, राजाओं का राज्य था, उस वक्त कम्पलीट कन्ट्रोल था सारी चीजों पर; शक्कर का वितरण कैसे होता था, अनाज पर कन्ट्रोल था। हम लोगों को मालूम है कि उस वक्त क्या परिस्थिति थी लेकिन उस जमाने में जो भी हालत थी, उसके बाद बंगाल में जो दृश्य उपस्थित हुए, दूसरे दृश्य उपस्थित हुए, आज यह लक्ष्य लेकर हम चलते हैं कि राजस्थान में कैसी भी परिस्थिति आ जाय किसी भी व्यक्ति को भूख से न मरने दिया जाय।

(विराम)

(१.०० म० प०)

हम व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। एक लाख टन अनाज के बारे में निर्णय करके डिस्पेचेज़ शुरू हो गये हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने विश्वास दिलाया है कि जो भी गेहूं चाहिये वह हमें उपलब्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि दो-तीन दिन पहले फूड मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी। जो निर्णय लिये गये उनके फलस्वरूप गवर्नमेंट शोप्स सैकड़ों की तादाद में खोली जाने लगी हैं। इसका परिणाम यह होने लगा है कि दो-तीन रोज पहले जो गेहूँ के भाव थे उनमें एक क्विन्टल पर पांच-पांच, सात-सात रुपया गिरावट आई है। परिस्थितियों में अन्तर होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिये कि आज जो परिस्थितियां हैं, हमें जो खाने के लिए गेहूं चाहिये, हम जिस क्वालिटी का चाहते हैं, जिस क्वालिटी के गेहूँ की हमारी खाने की आदत है, वह नहीं मिल पाता है क्योंकि जो शोर्टेजेज़ हैं वे वास्तविक हैं और उनको उसी रूप में देखना चाहिये, जो इम्पोर्टेड व्हीट हैं, हमारे टेस्ट के अनुसार नहीं हैं, जो हमारे टेस्ट का गेहूँ है उसमें और इसमें फर्क है। यह जो एक ट्रान्ज़ीश्नल पीरियड है उसको बर्दाश्त करके चलने की बात आती है।

जो नुकसान हुआ है इस कोल्ड वेव से, राजस्थान की खुश किस्मती है कि कोल्ड वेव

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से सरसों और चने पर जितना नुकसान हुआ है गेहूं पर उतना नहीं हुआ है। लोग-बागों को यह ख्याल हो रहा था और चिन्ता हो रही थी गेहूँ की क्रोप कम्पलीट डेमेज हो जायगी वह अब नहीं होने वाली है। बहुत कुछ मात्रा में बच गयी है। जो गेहूं उपलब्ध हो सकेगा उससे गेहूँ वाली हालत में अवश्य परिवर्तन होगा।

जहां तक शक्कर का मामला है, हमारे माननीय मंत्री हैं, उन्होंने काफी प्रकाश डाला है। कई महीनों से प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शक्कर का कोटा पहले के मुताबिक बढ़ना चाहिये। १९६१ में कैसी परिस्थिति रही उनके आधार पर फीगर्स तय किये गये। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, गुड़ जिसका फ्री मूवमेंट नहीं है, पहले फ्री मूवमेंट होने से गुड़ और शक्कर दोनों को मिला कर काम चलता था, उनमें भी रुकावटें आयी हैं; दूसरे प्रदेशों में और राजस्थान में जहां गुड़ बाहर से इम्पोर्ट करके चलना पड़ता है उसको देखते हुए अब जो प्रयत्न किये गये हैं इसका कोटा बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।

यह प्रश्न भी उठाया गया, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि [illegible] उनके एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिये। यह अखिल भारतीय नीति का प्रश्न है। राजस्थान सरकार स्वयं उसको रोक नहीं सकती। हमने अपनी तरफ से भारत सरकार पर जोर दिया है कि एक्सपोर्ट जो राजस्थान से होता है वह रुक जाना चाहिये। क्यों? एक तरह से हमारे यहां का गेहूं बम्बई और दूर दूर जाता है और वहां का इम्पोर्टेड व्हीट वापिस हमारे यहां आता है। ट्रान्सपोर्ट का भी वेस्टेज है और साथ साथ लोकल कन्डीशन्स पर भी असर पड़ता है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बात हुई है। हमने सारी बातों को उनके सामने रखा है और यह अब उनके निर्णय करने का काम है। हमारी तरफ से जितना हो सकता था कहा है और मैं मानता हूं कि भारत सरकार सारी परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए फैसला करेगी। भारत सरकार ने फैसला किया है कि किसी वजह से कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए वह हमें सहयोग देने के लिए तैयार है, मदद देने के लिए तैयार है इसलिए अखिल भारतीय नीति से हम अलग नीति बना लें तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। वे स्वयं इसको सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस सदन में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और तथा और ने कहा कि राजस्थान में डॉक्टर लोकनाथन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि राजस्थान में प्रति एकड़ उत्पादन कम है। डॉ. लोकनाथन ने जो रिपोर्ट दी है उसी के एक्स्ट्रेक्ट के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

"The average yields of principal cereals in Rajasthan are higher, while those of secondary cereals and pulses are lower, as compared to those in India. But since the later category of crops accounts for a major portion of the total cropped area in the State and they also give low value per acre the overall land productivity in Rajasthan is low, as has been stated earlier."

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माननीय सदस्य ने इस लास्ट लाइन को लेकर अपनी बात कही। उसके साथ डॉ० लोकनाथन ने फिर कहा है :

"As compared to the proportion of Rajasthan in the country population, its share in the production of food-grains, sesamum, rape and mustard and linseed was higher. This indicates the production of surplus in these commodities."

अध्यक्ष महोदय, हमारी पोपुलेशन कन्ट्री की है उसकी ४.४ पर्सेन्ट है जब कि हमारा प्रोडक्शन है ६ परसेन्ट। हमारे यहां पर एकड़ टोटल प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि डेज़र्ट एरिया है, दूसरे एरिया में जो सीरियल्स हैं, ग्वार है, बाजरा है, उसकी पर एकड़ प्रोडक्शन कम है, टोटल अगर लगाया जायगा तो प्रोडक्शन कम आयगा which is natural लैंड टू लैंड देखा जाय तो राजस्थान में प्रोडक्शन कम है, यह बात डॉ० लोकनाथन ने कही है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, हम निरन्तर इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि प्रोडक्शन बढ़े। राजस्थान में प्रोडक्शन बढ़ा है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने एन. डी. सी. में यह कहा कि हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है और गिरा है। यह बात गलत है। मैंने यह कभी नहीं कहा एन. डी. सी. में कि राजस्थान में प्रोडक्शन गिर गया है। टोटल प्रोडक्शन के फीगर्स वेराई करते हैं राजस्थान के हिस्सों की क्लाइमेटिक कन्डीशन्स के हिसाब से, राजस्थान में क्लाइ–मेटिक कन्डीशन्स का काफी असर पड़ा करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक तरफ यह कहा जाता है कि फूड की प्राइसेज़ और दूसरी चीजों को गवर्नमेंट कन्ट्रोल करे। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं होना चाहिये। एक तरफ यह कहा जाता है कि अनएम्पलॉयमेंट के फीगर्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि प्लान्ड इकोनोमी की तरफ नहीं चलना चाहिये। कुछ पार्टीज़ यह कहती हैं कि कैसे भी एम्प्लॉयमेंट के साधन आगे की जेनरेशन के लिए किये जायं। विपरीत तरीके के भाषण यहां दिये जाते हैं।

मैं गम्भीरतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए जो पोलिटिकल पार्टीज़ का सेट-अप है उसमें वे इस बात को गहराई के साथ विचार करके नहीं चलेंगे कि आखिर इस राजस्थान को कहां ले जाना है, उसका फैसला नहीं करेंगे और केवल राज–नैतिक आधार पर फूड की डिफिकल्टी है तो उसको एक्स्प्लोयट करें, शक्कर की कमी है तो जयपुर म्युनिसिपेलिटी के चुनाव के वक्त भाषण देते हैं कि भाइयों, शक्कर कम मिलती है, महुआ में जाकर कहें कि भाइयों शक्कर कम मिलती है, इस प्रकार के विरोधाभास की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं उनको देखते हुए जन-मानस तैयार करना होगा। साथ साथ यह भी तय करना होगा कि पॉवर, इरिगेशन और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करके राजस्थान में अन-एम्प्लॉयमेंट की प्रोब्लम दूर करना चाहते हैं या राजस्थान को उस पुराने जमाने में लेजाकर रख देना चाहते हैं जहां एक्सपेन्डेड इकोनोमी न हो और राजस्थान का डेवलपमेंट न हो और एक स्टेगनेन्ट सोसाइटी हो जाय। हम निश्चित तौर से इस तरफ बढ़ने वाले

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं। हम स्टेग्नेन्ट सोसाइटी नहीं चाहते। प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहते हैं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जैसा बताया कि पहले जहां शिक्षा पर ६२ लाख रुपया ही खर्च करते थे वहां आज वह खर्चा १२ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अगर स्वतंत्र पार्टी की थ्योरी को मानकर चला जाय जो कि राजाशाही से विरासत आयी है, इल्लिट्रेसी फैली हुई है वह वैसी की वैसी बनी रहने दें। हम उन चीजों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इन प्रोब्लम्स को फेस करना होगा। और भी पार्टीज़ को इस समय में एग्ज़िस्ट करना है तो उनको समझना होगा कि आया राजस्थान को दूसरे प्रान्तों के मुकाबले, हिन्दुस्तान के मुकाबले आगे बढ़ाना चाहते हैं या जो पहले राजाओं के राज में पिछड़ापन था, उसी पिछड़ेपन को कायम रखना चाहते हैं।

कहा यह जाता है कि हम पर टैक्स नहीं डालना चाहिये। कहने की बात और हो सकती है। एक तरफ तो यह कहा जाता है स्टेट ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिये फ्री एन्टर-प्राइज़ होनी चाहिये, पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन न देकर प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहिये। एक तरफ तो आप चाहते हैं गांव गांव में स्कूल खुलें, सड़कें और तालाबों का निर्माण हो, गांव गांव में बिजली पहुंचे; इन सब के लिये कहा तो जाता है, लेकिन जब उसके लिये टैक्स के प्रोपोज़ल होते हैं तो कहा जाता है कि नहीं लगने चाहिये। अगर आप ये चीजें नहीं चाहते तो आपको बोल्डली कहना चाहिये, इलेक्टोरेट के बीच में जाकर कहना चाहिये तो फिर आपको मालूम पड़े। लेकिन आप यह नहीं कर सकते। आप स्कूल खुलवाने की बातें रखते हैं, सड़कों की मांग करते हैं, साथ साथ इसके लिये रिसोर्सेज़ का सवाल आता है तो आप इस प्रकार की बातें करते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए कहा गया कि एग्रीकल्चरिस्ट पर बहुत करों का भार बढ़ा दिया है। आपको पता होना चाहिये कि किसानों की हालत उस समय क्या थी जब राजाओं का राज्य था। संविधान में संशोधन करके जो सबसे बड़ा काम किया गया किसानों के लिये, जो किसानों के जमीन के हक को छीन रहे थे उसके लिये सरकार ने सब से पहला कदम उठाया है तो वह यह कि लाखों किसान जो जागीर-दारों के समय, राजाओं के समय जमीन के मालिक नहीं समझे जाते थे उन सबको जमीन का मालिक बनाया गया है। इस पर यह कहा जाता है कि हम किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, हम किसानों के विकास के लिये सदा प्रयत्नशील रहे हैं। हो सकता है आपकी विकास की कल्पनायें अलग अलग हों। आप यह भी चाहते हैं कि अन्न हमारे यहां से बाहर न जाय यहीं पर दो रुपया मन मक्का बिके, बाजरा बिके। हमारा यह इकोनोमिक एप्रोच नहीं है। हम चाहते हैं कि किसानों को अपनी उपज का पूरा पूरा फायदा मिले और यहां के उपभोक्ता को भी ठीक कीमत पर अनाज मिल सके, मिडल मेन का प्रोफिट कम होना चाहिये। इस लक्ष्य पर चलने पर एक तरफ एक बात कही जाती है, दूसरी तरफ दूसरी बात कही जाती है। हमारा नेशनल डेवलपमेन्ट किस प्रकार का होना चाहिये, इस संबन्ध में हमारा माइन्ड क्लिअर होना चाहिये।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आज कॉम्युनिस्ट पार्टी इन स्लोगन्स को लगाती है लेकिन जिन देशों में कॉम्युनिस्ट शासन है वहां जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं वह चाहे टैक्सेशन का स्ट्रक्चर न हो, लेकिन वहां पर मजबूरी के साथ काम करना पड़ता है, वहां इस तरह से विकास किया जा रहा है। वह भी एक रास्ता है। हम यहां पर कुछ देकर के काम करवाते हैं। मर्जी के अनुसार जितना वजन उठा सकता है उतना ही भार उस पर डालते हैं। हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है और डेमोक्रेसी के साथ साथ हम सोश्यलिज़्म को भी लाना चाहते हैं। इस सोश्यलिज़्म के कई कन्टेन्ट्स हैं, सब को समान अधिकार मिले। इस देश के अन्दर इसके कन्टेन्ट्स बहुत हद तक पूरे किये जा रहे हैं और कर रहे हैं।

हमने स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था की है, इसके बारे में बातचीत की जाती है, हरिजन आदिवासी छात्र हैं उनको होस्टल की सुविधायें दी जाती हैं तथा और और प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं, यह हम चाहते हैं कि हर वर्ग को ऊंचा उठने का अवसर मिले। यह जो हमारे दिमाग में ढांचा है हम इसको दिमाग में रखकर चलते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन जब से भुवनेश्वर के अन्दर कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है उससे देश में बहुत ही उथल-पुथल हुई है। जो पोलिटिकल पार्टीज़ इस राय को नहीं मानती थीं कि डेमोक्रेटिक सोश्यलिज़्म नहीं होना चाहिये लेकिन आज के दिन लैन्ड के मामले में सोश्यलिस्ट पॉलिसी का बहुत हद तक राजस्थान में पालन किया गया है।

सीलिंग के बारे में भी कहा गया कि हम सीलिंग को पोस्टपोन करना चाहते हैं राजाओं से मिल करके। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारी यह नीति होती राजाओं से मिलने की तो आज जो स्वतंत्र पार्टी आपको दिखाई देती है उसका जन्म ही नहीं होता। लेकिन हम समाजवादी नीति पर दृढ़ हैं, हमारा पैर जो आगे बढ़ गया है हम उससे कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने सीलिंग में पहले १५० बीघा तक को लिया है, वह इसलिये कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स को ख्याल में रखते हुए कि जो जमीन इसमें आती है उसको वापिस अलॉट भी तो होना चाहिये, अगर वह अलॉट नहीं होती है और खाली पड़ी रहती है तो यह नेशनल लॉस है।

जिन राजाओं की बात करते हैं उनके पास तो इस सीमा से कहीं अधिक भूमि है वे तो कभी के आ गये। उनके साथ मिल कर करने का सवाल ही नहीं। इस पहले दौर में और भी कोई पॉइन्ट हो सकते हैं इसलिये पहले इस प्रोसेस को पूरा कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस तरह से जो हमने नीति निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार निश्चित तौर से आगे बढ़ना चाहते हैं।

अकाल के बारे में काफी चर्चा हुई है। राजस्थान पर अकाल की छाया है। इस परिस्थिति में इस वक्त हमने जगह जगह रिलीफ वर्क्स खोले हैं, कुछ जगहों पर मार्च में भी वर्क्स शुरू करने वाले हैं। मैं इस समय एक एक रिलीफ वर्क्स की चर्चा में पड़ना नहीं चाहता। रिलीफ के बारे में कोई

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी माननीय सदस्य कहीं से भी जानकारी देता है कि यहां काम-काज नहीं मिल रहा है तो राजस्थान की सरकार को चाहे कितना ही खर्च करना पड़े रिलीफ के लिये, तो उसको काम दिया जायगा, उसके रोजगार का पुख्ता इन्तजाम किया जायगा। खाने-पीने की चीजों का पूरी तरह से इन्तजाम हो, उसके लिये हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं।

हमारे राजस्थान में पीने के पानी की कई इलाकों में कमी है, फोडर की शोर्टेज है, हमने फोडर डिपोज़ खोले हैं और भी खोलने वाले हैं। बाहर से भी लाखों मन फोडर राजस्थान में ला रहे हैं–गुजरात से, उत्तर प्रदेश से। उसके लिये ऑफिसर्स को डेप्यूट कर दिया है ताकि वहां से फोडर लाया जाय और जितनी जगह डिपोज़ हो सकते हैं वे खोले जायं।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जितना घास हम मंगा रहे हैं वह दो दिन के लिये भी काफी नहीं होगा। सन् १९५१–५२ के अन्दर भी जब अकाल था उस समय भी फोडर लाया गया था वह उस समय भी कई जगह से उठा नहीं था। इस तरह से पिछले अकाल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए जितनी आवश्यकता है, इन सारी चीजों को लक्ष्य में रखते हुए फोडर डिपोज़ की जहां आवश्यकता है उनको खोला जाकर इसको डिस्ट्रिब्यूट करने की बात आती है। साथ ही साथ जो स्थानीय तौर पर प्राप्त होता है उसको भी काम में लिया जाता है। इसलिये इस फोडर पर कैलकुलेशन करना ठीक नहीं है। फोडर आज के समय में लोग पड़ौस से भी लेकर काम चलाते हैं, इसको भी कन्सीडरेशन में लेने की बात आती है। गांव गांव में फोडर पहुँचा सकें, यह मुश्किल बात है क्योंकि वहां पानी नहीं है।

बहुत सी जगहों पर पानी की विकट समस्या सामने आती है। इस सम्बन्ध में हमने भारत सरकार से बातचीत की है कि राजस्थान में फेमीन एक प्रकार से परमानेन्ट फीचर सा बनता जा रहा है। एक साल कहीं ठीक है दूसरी साल अकाल है। इस तरह से अकाल से पीड़ित हमारा इलाका रहता ही है। हर साल कहीं न कहीं अकाल की परिस्थिति बन ही जाती है। इस समस्या का हल करने के लिये यदि कोई ठीक मार्ग हो सकता है तो वह है पानी का इन्तजाम। पानी का इन्तजाम न होने की वजह से किसान को स्वयं को माइग्रेट होना पड़ता है। पानी का इन्तजाम हो, इस बात को लक्ष्य में रखते हुए यहां २५० ट्यूब वेल गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के अन्डर ग्राउन्ड वाटर ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा खोद कर दिये जायेंगे, इससे आने वाले वर्षों में बहुत लाभ होने वाला है। इस पर काफी काम शुरू हो चुका है। जहां पर जितनी जरूरत होगी भारत सरकार हमें इससे अतिरिक्त धन भी उपलब्ध करायेगी ताकि इस काम को ज्यादा से ज्यादा हाथ में लेना चाहते हैं। अल्टीमेटली राजस्थान केनाल और ट्यूब वेल्स द्वारा जो पानी निकलेगा तो हमारे दिमाग में एक नक्शा लेकर हम चलते हैं कि यहां एनीमल हस्बेन्ड्री को भी डेवलप किया जाय, पाइप डाल कर पानी उपलब्ध कराया जाय जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में दूर दूर तक पाइप लाइन डालकर पानी पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार हम भी प्रबन्ध करके एनीमल हस्बेन्ड्री को बढ़ाना चाहते हैं। यह कोई आज की बात नहीं, दो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तीन साल की बात नहीं। इस समस्या का हल निकालने में पूर्णतया ध्यान रख करके हम प्रयत्नशील हैं। पहले तो इन इलाकों के अन्दर पानी का अन्दाज भी नहीं था। बाड़मेर और जैसलमेर के लिये हम कह सकते हैं कि हजारों और सैकड़ों वर्षों के बाद यह मौका आया है जिससे परमानेन्टली ट्यूब वैल्स द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर को पानी से जोड़ दिया जायगा नल की योजना से। उसको और जगहों तक भी बढ़ाने में कामयाब होंगे जिससे आसानी से पानी उपलब्ध हो सके।

माननीय अध्यक्षजी, जो प्रयत्न हमसे किया जा सकता है वह कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डिफीकल्टीज़ सामने आती हैं जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है जो हमारी गलतियां हुई हैं उनको भी हमने स्वीकार किया है।

जहां हमारे प्रोडक्शन में फाल होने का अन्देशा है, एम्प्लॉयमेन्ट की पोटेन्शियेलिटी में फर्क होने का अन्देशा है, वहां हमने सदन में साफ साफ ऐसा कहा है। हमने छिपाने की कुछ भी कोशिश नहीं की है। जब हमने प्लान में २३६ करोड़ का सोचा था खर्च करने का तो अब उसमें कमी करने से एम्प्लॉयमेन्ट की पोटेन्शियेलिटी में फर्क पड़ेगा। हमने इन बातों को साफ-साफ कहने में कभी हिचक नहीं किया है।

यहां यह सवाल भी उठाया गया था कि जो १)रु० वेजेज़ के तौर पर दिया जाता है एक व्यक्ति को वह कम है और आज के उपभोक्ता वस्तुओं के भाव और दूसरी बातों को देखते हुए इसमें बढ़ोत्तरी करनी चाहिये। राजस्थान सरकार ने इस बारे में भी फैसला किया है कि जो १)रु० देते हैं उसके बजाय १ रुपया २ आना कर दिया जावेगा जिससे इन लोगों को भी राहत पहुंच सके और इसी प्रोपोर्शन से दूसरों में भी परिवर्तन किया जावेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां गंग-केनाल के बारे में और राजस्थान केनाल के बारे में चर्चा की गई। आज गंगानहर के अन्दर जो पानी आता है उस पानी में कमी हुई है, यह मानता हूँ और इसका कोर्स पर असर पड़ा है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अब जहां तक पंजाब ने हमारा पूरा शेयर हमें दिया या नहीं, इस वाद-विवाद को खींचते रहें तो इससे भी फायदा होता दिखता नहीं। इसलिये हमने अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार से भी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी यह लिख कर भेजा है कि उन जगहों के लिये जो कि जहां से वाटर हमें डिस्चार्ज किया जाता है वहां रेगुलेटर लगाकर राजस्थान के रिप्रेज़ेन्टेटिव इन्जीनियर को चैक करने के लिये मौका दिया जाना चाहिये और हमारा शेयर हमें बराबर मिलता रहे, इसकी इस तरह से देखभाल करने का मौका हमें बराबर मिले, ऐसा एग्रीमेंन्ट होना चाहिये। तो यह भी हमने इस दिशा में किया है।

साथ साथ हमने इस बात को भी तय किया है तीन वर्ष पहले, बल्कि और भी ज्यादा वक्त पहले, भाखरा के निर्माण के वक्त कि वहां भी ऑटोमेटिक रेगुलेटर्स लगने चाहिये जिससे हमारा शेयर हमें मिल रहा है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

या नहीं, इसको चैक कर सकें और बाद में जाकर किसी को किसी तरह की भ्रान्ति न हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर और भारत सरकार के सामने हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे वाजिब हैं और इनमें ऐतराज नहीं होगा और इसको वे स्वीकार करेंगे। माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान कैनाल के बारे में यह बिल्कुल सही बात है कि इसको पूरी तरह से डेवलप करने के लिये अभी जो हमने तीसरी योजना के लिये जितनी रकम रखी है, चौथी योजना में हमें उससे कहीं ज्यादा रखनी होगी और पांचवीं में उससे भी ज्यादा रखनी होगी। क्यों ?

क्योंकि कोलोनाइज़ेशन का सवाल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि जब हमने सोश्यलिस्टिक पॉलिसी को स्वीकार किया है, जब हम उस आधार पर चलते हैं तो हमने जब प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चैयरमैन यहां पर थे, उस मौके पर और जब भारत सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर भी थे तो उस मौके पर उनसे इस बात के लिये जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि इस एरिया को इस राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आप एक सोशियो–इकोनोमिक डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट के पोइन्ट ऑफ व्यू से देखें और अगर आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं कि फण्डस की शोर्टेज़ की वजह से कोलोनाइजेशन सफर हुआ तो इससे देश का नुकसान होगा। इसलिये या तो इसे सोशियो-इकोनोमी प्रोजेक्ट की तरह से लें, या नेशनल प्रोजेक्ट की तरह से ट्रीट करें। इसे इस दृष्टि से देखा जावे। पर राजस्थान के रिसोर्सेज़ को देखते हुए इसे प्लान के साथ ही रिलेट किया जाता है तो सारे राजस्थान की ऑल राउन्ड बैकवर्डनैस को देखते हुए इसमें गैप पड़ जावेगा। तो इन सारे प्रश्नों को और दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाय।

इस बात की सम्भावना है कि राजस्थान कैनाल के लिये एक कॉर्पोरेशन जैसा कुछ बने जो ऐसा वर्क करे कि खर्चा भी हो और साथ साथ आमदनी भी कुछ आती हो और उससे इसका सारा कन्ट्रोल चले और कन्ट्रोल करने में यहां यह भी प्रश्न उठाया गया कि जमीन के अलॉटमेंट के मामले में राजस्थान सरकार को देख कर चलना चाहिये। इस अलॉटमेन्ट की पॉलिसी हमारे हाथ में रहे। तो मैं समझता हूँ कि जहां तक अलॉटमेन्ट का सवाल है बेसिक प्रिन्सिपल भी यही रहा है कि जिस स्टेट के अन्दर वह पड़ता है उसकी उसमें साफ वोइस रहती है और रहनी चाहिये, जिससे अलॉटमेन्ट में जो लैंडलैस हमारे यहां के लोग हैं उनको बसाया जा सके और इन सारे प्रश्नों को भी साथ में जोड़ कर चल सकें। पर जब हम यह चाहते हैं कोर्पोरेशन की बात तो यह भी तात्पर्य इसका नहीं है कि अलॉटमेन्ट में हम पूरी तरह से अपनी ही बात देखें और देश के और लोग वहां नहीं बसाये जा सकते। आज मान लीजिये ईस्ट पाकिस्तान में ट्रबल हैं और उसकी वजह से कल वहां के आदमी इस देश में आते हैं तो अगर उनको भी वहां बसाने का सवाल आता तो हम उनको भी कन्सीडर कर सकते हैं। हम नैरो आउट लुक (narrow out look) इस मामले में रखकर नहीं चल सकते और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

न चलना चाहते हैं । पर एक अच्छा प्रोजेक्ट जो हमारे यहां है राजस्थान की बहबूदी के लिये उसके विकास के लिये इसका अधिकाधिक उपयोग हो यह मूल रूप में कल्पना करके हम चलते हैं ।

बोर्डर जिलों के लिये कहा गया कि वहां के विकास के लिये राजस्थान सरकार को स्पेशल ध्यान देना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल, डेढ़ साल में वहां पर काफी स्कूलें खुली हैं, जबकि दूसरी जगह उतनी प्राइमरी स्कूलें नहीं खोल सकते । होस्टल खुले । रोड्स बनाने के बारे में भी हमने काफी किया है । क्योंकि बोर्डर पर है यह एरिया, इसलिये हमने डिफेन्स मिनिस्ट्री और भारत सरकार को भी अपनी तरफ से इसके लिये प्रोपोज़ल्स दिये हैं कि किस प्रकार से एक दूसरी जगहों से इसको जोड़ा जाय जिससे बोर्डर एरिया में ज्यादा सुविधा हो । इसी के साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर के लिये फैसीलिटी हमने दी है ।

मुझे खुशी है कि खादी कमीशन ने खास तौर से उस एरिया में ऊन के उद्योग को चलाने के लिये इस प्रश्न पर विचार किया है । हम खादी कमीशन के साथ इस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि जो विभिन्न पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके पास मवेशी वैसे नही हैं, जैसे दूसरों के पास हैं, तो इसको भी मदद के तौर पर कर सके और उनको भी कैटल मिल सकें जिससे उनको अपनी आजीविका का आधार मिल सके । जमीन का महत्व वहां इतना नहीं है जितना कैटल का है । इसके लिये लोन्स का भी प्रयत्न करना चाहते है जिससे उनको लाभ हो ।

अध्यक्ष महोदय, हमने करप्शन के बारे में भी काफी सोचा है । अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हम विजिलेन्स कमीशन यहां पर भी कायम करना चाहते हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसका मतलब यह है कि करप्शन है हमारे यहां, इसको हम अब स्वीकार करने लगे है । मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है । हमने पहले भी सदन में हमेशा इस बात को कहा है कि करप्शन नहीं हैं, यह नहीं कह कर चलते । पर करप्शन की चर्चा जो बहुत बढ़ा-चढ़ाकर की जाती है, वह गलत है । पर जो है उसको दूर करने के लिये हम भरसक प्रयत्न करना चाहते हैं । एक विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति भारत सरकार ने की । लोगों में इस बात की चर्चा या शक पैदा न हो इस लिहाज से जैसा अभी यहां कहा गया कि एन्टी–करप्शन डिपार्टमेन्ट वाले अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेजते हैं तो सरकार उन पर रोक लगा देती है, मैं अव्वल तो निवेदन करना चाहता हूं क एन्टी–करप्शन विभाग ने कई केसों के लिये प्रोसीक्यूशन के लिये या डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिये अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं, तो राजस्थान में इतने रोज से यह डिपार्टमेन्ट काम कर रहा है, तब से पांच केस भी ऐसे नहीं मिल सकेंगे कि हमने उनके अगेन्स्ट में निर्णय लिया हो, हम आम तौर से उनकी राय मानकर चलते हैं, फिर भी यह भ्रान्ति दूर होनी चाहिये, हमने यह प्रबन्ध किया है कि ऐसा हरेक केस उसके पास जाना चाहिये और जिस तरह पी. एस .सी. की राय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को आदर के साथ सरकार मानती है उसी तरह उसकी राय का आदर करते हुए सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक कि आज का एजेण्डा डिस्पोज़-ऑफ न हो जाये तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या इसके लिए सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय अध्यक्षजी, हमें करप्शन के कारणों के अन्दर भी जाना पड़ेगा करप्शन को दूर करने के लिए हम लोग निरन्तर इस बारे में विचार करते रहते हैं। इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर आपने सबने इस बात को देखा होगा कि हमने 'अर्ली डिस्पोज़ल' और पब्लिक ग्रिवान्सेज़ के मामले में इस बात को कहा है कि एक सीनियर ऑफिसर इसके लिए अपोइन्ट किया जायेगा। उसका मतलब यह है कि हम एक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवान्सेज़ का अपॉइन्टमेन्ट करना चाहते हैं कि जिनके पास जो आम लोगों को यह कम्पलेन्ट है कि उनके कामकाज का डिस्पोज़ल वक्त पर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सा करप्शन, मेरा ऐसा मानना है कि डिलेज़ की वजह से होता है। अगर हम डिलेज़ को एलीमिनेट कर देते हैं तो करप्शन को दूर कर देते हैं। इस दिशा में हम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रिवान्सेज़ के नाम पर एक ऑर्गेनाइज़ेशन बना रहे हैं। इसको हम पहले तो स्टेट लेवल पर चलाना चाहते हैं और उसके एक्सपीयरेन्स के बाद डिस्ट्रिक्ट्स में भी उसका न्युक्लियस क्रियेट करना चाहते हैं। ताकि जो गलतियां करते हैं उसके मामले में कार्यवाही की जा सके, जिससे इस प्रकार की स्थितियां पैदा ही न हों।

माननीय अध्यक्षजी, यहां इस बात पर जोर दिया गया और कहा गया कि डी. आई. आर. के अन्दर कुछ आदमियों को जो पहले बहुतसों की लिस्ट बनी थीं लेकिन उसके बाद कुछ कारणों की वजह से जिनका संकेत करप्शन से था कुछ नहीं पकड़े गये, कुछ पकड़े भी गये। मैंने उस समय भी कहा था और अब भी कहना चाहता हूँ, इस सदन में, कि उनके पास इसके बारे में कुछ प्रमाण हों, वे हमारे सामने रखें और निश्चित रूप से जिसने गड़बड़ी की होगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसके अन्दर कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों के अन्दर हो सकता है जो वहां से सिफारिश की गयी है, नीचे के लेवल से, पूरी बातें नहीं हैं। नीचे के केसेज़ पर कार्यवाही नहीं है, लेकिन डिटेल्स की बात पर मैं ज्यादा कह सकता हूं। इस समय इसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कह सकता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, यहां सर्विसेज़ के बारे में कई बार चर्चायें होती हैं और जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है वह इस सदन के अन्दर स्वयं अपनी बातों का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। मैं ऐसा समझता हूं, इसके संबंध में इस सदन में इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बात को लक्ष्य में रख कर चलना होगा कि जो कुछ हम बातें कहें वे काफी नपी-तुली हों। यह नहीं कि उनके पीछे भी प्रशेर्स काम करने वाली बात आये, डीमोरेलाइज़ करने वाली बातें आयें। अगर इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी कि जहां हम चाहते हैं कि सर्विसेज़ इम्पार्शियल वे में काम कर सकें, उसमें रुकावट आयेगी। मैं यह मानता हूं कि सर्विसेज़ में करप्शन भी हो सकता है, हैरेसमेंट की बातें भी आ सकती हैं, लेकिन सारी सर्विसेज़ को एक ही लेवल पर ट्रीट करके जो बातें कही जाती हैं वह गलत हैं। राजस्थान की सर्विसेज़ कोई हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स से इन्फीरियर हों, ऐसा मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

आज एक चेन्ज्ड सिचुएशन से हम निकल रहे हैं। नये नये कानून और रूल्स हम बनाते हैं उनके साथ कीप-विद् करने के लिए उनमें सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। मैं स्वयं मानता हूं कि कई लोगों के तरीकों में रीओरियेन्टेशन की जरूरत है, जो उनमें आना चाहिए। उसके लिए अखिल भारतीय आधार पर भी चिन्तन हो रहा है और हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको किया जाये। ज्यों ज्यों पब्लिक सेक्टर डेवलप होता है निश्चित बात है उसकी आज की परिस्थितयों के अनुरूप व्यवस्था हेतु ट्रेनिंग की आवश्कता है, अनुभव की आवश्यकता है; क्योंकि एक नये काम को हम हाथ में लेकर चलना चाहते हैं और उसी प्रकार और चीजें होती हैं जिनसे जो आवश्यक परिवर्तन है वह किया जाय। मैं, माननीय अध्यक्षजी, साथ ही साथ यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने लैण्ड रेवेन्यू कमीशन मुकर्रर किया, पंचायती राज्य पर सरकार ने सादिकअली कमेटी अपॉइन्ट की हम निरन्तर इस बात पर जोर देकर चलना चाहते हैं कि जो काम चल रहे हैं, उससे जो प्रोबलम्स थ्रो हो रही हैं उनको मीट करने के लिए कैसे कैसे रास्ते निकाले जायें उन पर कमेटी बैठती है, सदस्य विचार करते हैं, अपनी बातें सामने रखते हैं और हल निकालने का प्रयत्न किया जाता है। हमने जो कुछ कर दिया उसको न मानकर एक डाइनेमिक तरीके से रात-दिन उनके ऊपर विचार करते रहते हैं और उनको हल करने के मामले में विचार करते हैं।

मैं बहुत सी बातों का जवाब अगर माननीय सदस्य उपस्थित होते तो उनको देता। इसलिए उन चर्चाओं में मैं नहीं पड़ता। महुवा पर बातचीत हुई, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य और दूसरी बातों का नहीं हुआ जितना इस बात से कि विरोधी पक्ष के नेता ने वहां की बात को लेकर कहा कि "चुल्लू भर पानी" और दूसरी बातें कहीं-मैं निवेदन करूं कि मैं उनसे ज्यादा गंभीरता की आशा करके चलता था ! इसलिए कि वे दो दो बार पराजित हुए तब भी हमने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया। क्योंकि यहां राजनीति में यही होता है कि कोई कहीं जीत जाता है तो कोई कहीं हार जाता है। इसके पीछे इन शब्दों के प्रयोग की बात नहीं होनी चाहिए। महुवा के अन्दर सब जानते हैं-मैं मौजूदा और दूसरे कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, उन सारी बातों के अन्दर कांग्रेस ने पहले जहां ६००० वोट लिए थे आज कांग्रेस ने १८ हजार वोट्स उसी कॉन्सटीट्यून्सी से लिये हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसके अलावा कहा गया कि करौली ट्रक एसोसियेशन से गाड़ियां आई और लाखों रुपया खर्च कर दिया, मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात नहीं है। अब एक शिवचरणजी करौली ट्रॉन्सपोर्ट एसोसियेशन के हैं यदि वे किसी की मदद के लिए आते हैं तो इसमें क्या है। इन चीजों को, एक जगह की बात को इतना समझकर चलना कि जबरदस्त परिवर्तन हो गया है, मैं समझता हूं कि अगर कोई बात नोट करने की है तो इस बात की है कि जहां जनरल इलेक्शन में १९६२ में १०–१५ हजार वोटर्स ने एक बार कहा था कि हम जीते हैं वहां इस मौके पर २५०० वोट्स जिसका मतलब १३०० वोट इधर उधर होने में परिवर्तन हो सकता था उन हालात में कि जो कई बातें सामने आईं उन बातों को देखते हुए इतने वोट हमें मिल पाये हैं, यह एक प्रकार से उनको चेतावनी है। मैं कहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। एक वक्त था कि राजघराने वाले कहीं जाते तो कोई विरोध में नहीं जाता वहां आज १८ हजार वोटर्स इस महुवा कॉन्सटीटयून्सी में विरोधी हो गये। यह आगे के लिए चेतावनी है। मेरा तो निश्चित विश्वास है कि वे इस बात को सोचकर चल रहे हैं कि हम अगली सरकार बनाने वाले हैं लेकिन जहां वे जीतते जाते हैं दूसरी ओर वे कमजोर भी होते जा रहे हैं।

म्युनिसिपैलिटीज़ की बात कही गयी। जिस मालपुरा कॉन्स्टीट्यून्सी में जीतने की बात करते थे–मालपुरा और टोडा–ये दोनों म्युनिसिपैलिटीज़ उनके हाथ से निकल गयीं। हमने तो वहां अपने कोई उम्मीदवार भी खड़े नहीं किये थे, हम गये भी नहीं थे, लेकिन एक बार आपके जीतने पर लोगों का विश्वास हो जाता है कि हमने गलती की। मैं तो कहता हूं कि आप उस खतरे को समझ कर चलें। एक जीत पर कहीं ज्यादा भ्रम में न रह जायें, ऐसा मैं समझता हूं। इस मौके पर मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि यह जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां पर रखा गया, मैं उम्मीद करता हूं, कि उसे यह सदन स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्षजी, एक बात और निवेदन कर दूं कि जो राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स को यहां जमीन दी गयी है उसके बारे में एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि उनको जमीन नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान चेम्बर के लिए जो जमीन दी गयी है वह किसी इन्डीविजुअल इन्डस्ट्रियलिस्ट को नहीं दी गयी। वह जमीन दी गयी है यहां पर एक इन्स्टीट्यूशन को कि जो इन्स्टीट्यूशन यहां पर अच्छी जगह पर अच्छा चेम्बर का ऑफिस बनाये और हॉल बनाये और जो दूसरे कामों में भी आ सकें। उन चीजों को लक्ष्य में रखते हुए उसका फैसला किया गया है। मैं समझता हूं कि उससे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ होने वाला नहीं है बल्कि यह जयपुर शहर के लिए एक अच्छी चीज तैयार होगी जिसके लिए वे आपस में चन्दा कर रहे हैं। हो सकता है उसमें काफी रुपया लगे। मैं समझता हूं कि किसी अच्छे डेवलपमेन्ट के लिए और यदि किसी इन्सटीट्यूशन का डेवलपमेन्ट होता है, इन्डीविजुअल का नहीं, तो उसके विकास के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information, मैं यह जानना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक ने मांगा उनको जमीन मुफ्त नहीं दी गई। वे भी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, लेकिन राजस्थान चेम्बर ऑफ कोमर्स को जिसमें लखपति लोग हैं और करोड़पति लोग हैं या जितने भी हैं उनकी एक इन्स्टीट्यूशन है उनको मुफ्त जमीन किस जगह दी जा रही है। सवाल यह है कि किस कन्टेक्स्ट के अन्दर किस जगह यह किया जा रहा है। बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे तो बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले और भी तैयार हो सकते हैं, तो क्या उनके किये से ही डेवलपमेंट होगा ? आप कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। उनको मफ्त वहां पर नहीं देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि कोऑपरेटिव्ज़ को भी कन्सेशनल रेट पर जमीन दी जाती है वह उनके एसेट्स होते हैं। यहां इन्स्टीट्यूशनल एसेट्स हो सकते हैं, परन्तु जो मेम्बर हैं चेम्बर के उनका उस जमीन की वैल्यू से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किसी भी इन्स्टीट्यूशन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Order please!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने कही है वह स्पष्ट तौर से कही है। वह बात साफ हो जाती है।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कि रायसिंहनगर से आये हैं उन्होंने बड़े जोरों पर यहां कहा था कि इतने हजार गायें मर चुकी हैं और गंगानगर जिला परिषद् के मेमोरेन्डम में सारी बातों का जिक्र किया गया है। मैंने जो गंगानगर जिला परिषद् ने मेमोरेन्डम भेजा है उसको देखा है और देखने पर ५ लाइनें भी कहीं इस बात की नहीं हैं जिनमें अकाल की कमी के बारे में शिकायतें आई हों या दो गायें मरने का भी उसमें जिक्र हो। माननीय सदस्य काफी तेजी से कहते हैं। उन्होंने कहा कल कि ६४ हजार के फायदे की माइन लीज़ दे दी गई है। मैं उनकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष में ही जो सीमेंट कम्पनी को सीमेंट का पत्थर देते हैं उससे ९ लाख रुपये की गवर्नमेंट को इन्कम होने वाली है। उनको ६४,००० का कहीं से भ्रामक फीगर मिल गया था उन आंकड़ों का उन्होंने जिक्र किया।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष जो प्रस्ताव है वह यह है कि—

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है अत्यन्त कृतज्ञ है।"

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार को प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १ बजकर ४४ मिनट पर, सोमवार, दिनांक २ मार्च, १९६४ को प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६४)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

अल्ट्रामैरीन ब्लू का कोटा-भरतपुर।

बीकानेर प्रेस के कर्मचारियों को सुविधायें।

कोटा जिले में भूमिबन्धक बैंक।

पंचायत समिति, सुल्तानपुर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति।

चित्तौड़गढ़-बूंदी सड़क।

पुराने उद्योगों को बढ़ावा।

सड़क व पुलिया निर्माण कार्य-खानपुर।

बिजली का सर्वे-पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय।

आयुर्वेदिक औषधालय, पचेरी बड़ी।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में शोध एवं संदर्भ शाखा।

खेड़ली–हिन्डौन सड़क।

पंचायत समिति, धौलपुर के सदस्य पर कर्ज की बकाया रकम।

नादौती गुढाचन्द्र तक बिजली की लाइन।

खानपुर, चांदखेड़ी कस्बे को बिजली।

जीरा व तिलहन पर सेल्स टैक्स।

महुआ व मंडावर में बिजली।

ग्राम कसार के लिए आयुर्वेदिक औषधालय।

कनेरा को बिजली।

चित्तौड़–बूंदी सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा।

चरनोट हेतु हस्तांतरित भूमि।

२. अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४८

न्यूज़ एजेन्सीज़।

चित्तौड़गढ़ जिले को चम्बल से बिजली।

भूमि का मुआवजा, नगर-पहाड़ी सड़क।

अनुसूचित जातियों के लिए कालोनी बनाने हेतु धन-राशि।

पाली जिले की पंचायतों के विरुद्ध गबन की शिकायतें।

सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी एवं पंचों के विरुद्ध चल रहे केसेज़।

कृषि फार्म, पंचायत समिति, मालपुरा।

अपूर्ण कार्य-पंचायत समिति सांगोद तथा चेचट।

३. प्रवर समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति ५६

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री एवं श्री भीमसिंह, उप गृह मंत्री ने राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरणा) विधेयक, १९६३ से संबंधित प्रवर समिति के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है तथा उनके स्थान पर श्री निरंजननाथ आचार्य व श्री मोतीलाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा को नियुक्त किया गया है। श्री निरंजननाथ आचार्य समिति के सभापति होंगे।

४. मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ५७

(क) उदयपुर के बापू बाजार में स्थित गेलार्ड होटल में श्री मोहन उर्फ मकड़ी की मृत्यु से संबंधित श्री निरंजननाथ आचार्य, उप गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया।

(ख) राणा प्रतापसागर डेम के मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में श्री भीखा भाई, श्रम मंत्री ने एक वक्तव्य दिया।

५. सदन की मेज पर रखे गये पत्र ७६

निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे गये:—

(क) प्रशासनिक सुधार समिति का प्रतिवेदन।

(ख) पीने के पानी की समस्या को हल करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन।

६. विधायी कार्य

(१) राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९६४ ७८

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किया गया।

अध्यादेश संख्या २ सन् १६६४ को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखा गया।

(२) श्री जुझारसिंह, सदस्य प्रवर समिति, के प्रस्ताव पर, राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, १६६३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।

७. अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा ७६

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि प्रतिपक्ष के निम्नांकित सदस्य कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गये हैं:—

(१) श्री हजारीलाल शर्मा (वि० सं० ७०)

(२) श्री जुगलाल (वि० सं० ८२)

(३) श्री नत्थीलाल (वि० सं० १२४)

(४) श्री रूपाराम पंवार (वि० सं० १५१)

(५) श्री सांवलियाराम (वि० सं० १५७)

८. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ११३

२२ फरवरी, १६६४ को श्री बृजसुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी अग्रेत्तर विचार किया गया तथा मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, के उत्तर के पश्चात् धन्यवाद-प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत हुआ।

सोमवार, दिनाक २ मार्च, १६६४ की कार्य-सूची

राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १६६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)।

परिशिष्ट "१"

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७७ का उत्तर देखिए)

श्री गोपीचन्द, सदस्य, पंचायत समिति, धौलपुर में बकाया राशि का विवरण

क्रमांक	ऋण देने की तारीख	ऋण की रकम	कार्य जिसके लिये ऋण दिया गया	समय जिसके लिये ऋण दिया गया है
१	२	३	४	५
१—	१८-२-६० १८-३-६०	१,०००) रु०	कुआ बनाने के लिए	१० वर्ष

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर देखिए)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD.

LIST OF THE VILLAGES ELECTRIFIED HAVING POPULATION LESS THAN 5000

1. Ajmer District.
    1. Makhupura
    2. Hatundi
2. Alwar District.
    1. Chikani.
    2. Bhadurpur
    3. Raibka
    4. Karaul
    5. Kaithur
    6. Baldeobas
    7. Sirmoli
    8. Jindoli
    9. Khairthal
    10. Dantla
    11. Lison
    12. Noor Nagar
    13. Baskripalnapur
    14. Gunj
    15. Kishangarh
    16. Umrain
    17. Tuleda
    18. Dholi Gatta

19. Dandpur
20. Bassijasta
21. Ranta Khurd
22. Ranta Kalna
23. Tehnoli
24. Ismilepur
25. Jhiwana
26. Tappokra
27. Shymka
28. Khera Jahar
29. Naiy Josi
30. Raisis
31. Nimbahera
32. Siwana
33. Jilata
34. Burja
35. Kot putli

3. Bharatpur District.

1. Salimbad

4. Bhilwara District.

1. Sanganer
2. Suwana

5. Bikaner District.

1. Shivbari
2. Sri Ramsar
3. Udramsar
4. Palana

5. Surpura
6. Himmatsar
7. Nalberi
8. Kodamdesa r
9. Gajner
10. Sri Kolayat
11. Bidmalsar
12. Dulchasar
13. Sinthal
14. Airfiled
15. Karmisar
16. Rasisar
17. Rora
18. Soodsar
19. Mukum
20. Chandasar
21. Udasar

6. Chittorgarh District.

7. Churu District.

1. Sudsar
2. Parasneu
3. Menasar
4. Ratannagar
5. Sandwa
6. Parihara
7. Charwas
8 Depalsar
9. Thelsar

10. Khasoli
11. Galiakot

8. Jaipur District.

1. Lalwas. Kishanpura
2. Dausa
3. Durgapura
4. Jamva Ramgarh
5. Jhotwara
6. Kanakpura
7. Khatipura
8. Goplapura
9. Rampura
10. Govindgarh
11. Kaladera
12. Jobner
13. Samod

9. Jalore District.

1. Banswara.

10. Jhalawar District.

1. Singhania
2. Bhilwara
3. Bhilwari
4. Kaliakheri
5. Pachapahar
6. Chattarpura
7. Rajpura
8. Pipalia
9. Deoli (Kota Distt.)

10. Arolia
11. Pirolia
12. Saguria
13. Kota
14. Sulia Chowki
15. Motipura
16. Garnawal

11. Jhunjhunu District.

1. Surajgarh

12. Jodhpur District.

1. Chopasani
2. Jhalamand
3. Bhavi
4. Kaparda
5. Barna
6. Khejarala
7. Borunda
8. Falasani
9. Buckala

13. Kotah District.

1. Khirabad
2. Sukat
3. Chechat
4. Harwantkhera

14. Nagaur District.

1. Jaswantgarh
2. Malasar

3, N:mod

4. Ladaria

5. Daolatpura

15. Pali District.

1. Pali

2. Rani

3. Sojat Road

4. Atlara

5. Varkana

6. Vidyavihar

7. Khimel

16. Sawai-Madhopur District.

1. Allanpura (Station)

2. Mandwari

17. Sikar District.

1. Maharauli

2. Balaran

18. Sirohi District.

1. Kalandri

19. Sri Ganganagar District.

1. Gajsinghpura

2. Dholipal

3. Roranwali

4. Talwara Jheel

5. Dabliwas

20. Tonk District.

1. Banasthali
2. Diggi

21. Udaipur District.

1. Rajanagar
2. Sanwara
3. Mahi

Total 143 Villages.

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिए)

सूची तहसील—नगर

क्रम सं०	नाम ग्राम	तादाद खाता	नं० खसरा	क्षेत्रफल	मुआवजा दिया गया
१	२	३	४	५	६
१.	खन्डेला छाजू	७	७	५।२	४२६–२५ न० पै०
२.	फातली	२१	३२	१६।३	१५७०–२५ न० पै०
३.	सोलपुर पटी	४१	५२	२३।३	२१८६–२५ न० पै०
४.	सीकरी पठी	१६	१६	६॥२	१२४०–२५ न० पै०
	मीजान	८५	११०	५८ बीघा	५४२३–०० न० पै०

सूची तहसील कांमा

१.	पहाड़ी	५	८	६।१	७६८–६० न० पै०
२.	बुराना	११	२०	११॥३	१४३३–८५ न० पै०

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	
३.	बुरानी	१४	२२	१७॥।४	२३४६-६० न० पै०	
४.	बरखेड़ा	१६	२६	१८,४	२५२५-६० न० पै०	इसके अतिरिक्त कस्टोडियन
५.	गोपालगढ़	६८	८८	६२,४	६६१२-४० न० पै०	रकबे की कीमत के मद : २३७८-
६.	माधोगढ़	११	१३	७॥२	६४१-८५ न० पै०	२५ न० पै० रिज़र्व प्राइस रीज-
७.	नकटपुर	२५	४०	२५॥।३	३४६३-२५ न० पै०	नल कमिश्नर को भेजी जा
८.	खण्डेला मोजाबाद	१७	३०	१३॥।२	११६६-३० न० पै०	चुकी है।
	मीजान	१७०	२४७	१६३॥।३	१६,२६३-४५	
	कुल मीजान	२५५	३५७	२२१॥।३	२४,७१६-४५	

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति, रायसिंहनगर द्वारा सन् १९६० में अनुसूचित जातियों के लिये कालोनी बनाने हेतु दी गई धनराशि की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	धन-राशि जो दी गई पहली किश्त	दूसरी किश्त	धन-राशि देने की तारीख
१	२	३	४	५
१.	विजयनगर	५०००	—	१६-२-६०
२.	६० जी. बी,	४३७५	—	१२-२-६०
३.	भोमपुरा	५०००	४०००	१२-२-६० व १६-६-६०

ऑडिट रिपोर्ट

१७. अनुसूचित जातियों के लिए कॉलोनी बनाने के लिए अनुदान

बजट के मद १२ समाज कल्याण में २८,७५० रु० की राशि अनुसूचित जातियों के लिए कॉलोनी बनाने के कार्य के लिए स्वीकृत थी यह राशि प्रस्ताव संख्या १४ दिनांक ७-१-६३ द्वारा निम्नलिखित पंचायतों की कॉलोनी बसाने हेतु बांटी गई थी:—

पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि	पहली किश्त	भुगतान की तिथि
१. ग्राम पंचायत विजयनगर	१००००	५००० रु०	१६–२–६०
२. ग्राम पंचायत ६० जी. बी.	८७५०	४३७५ रु०	१२–२–६०
३. ग्राम पंचायत भीमपुर	१००००	५००० रु०	१२–२–६०

इस संबंध में निम्नलिखित आक्षेपों का स्पष्टीकरण किया जावे।

१. विभागीय योजना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। किन्तु ज्ञात हुआ कि यह राशि एक कॉलोनी जिसमें ३३ गांव और दो पानी के कुए होंगे बनाने के लिए खर्च किये जावेंगे। किन्तु समिति ने यह राशि तीन पंचायतों को बांट दी और इसके लिए संबंधित अधिकारियों से मन्त्रणा प्राप्त नहीं की।

२. स्वीकृति देते समय पंचायत समिति के पास किसी पंचायत अथवा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे और न ही समिति के प्रस्ताव या कार्यालय से दी गई आज्ञा में मकानों की संख्या प्रति मकान अनुमानित व्यय और दूसरी शर्तों के बारे में कोई उल्लेख था।

३. समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एक मकान के लिए ७५०) रुपये की राशि का अनुदान उस समय दिया जाना था जब प्रार्थी भूमि खंड प्राप्त करलें नींव खोद लें और ३५०) रुपये का सामान मौके पर उपलब्ध करके ओवरसियर या समाज कल्याण प्रसार अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करलें किन्तु इन आदेशों में से किसी की पूर्ति किये बिना हो सरपंचों को बांट दिया गया, यह नियमों के विरुद्ध है।

४. ओवरसियर से जानकारी हुई कि पंचायत ६० जी. बी. ने अभी इस संबंध में कोई खर्च नहीं किया है और बाकी दोनों पंचायत द्वारा निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है सरपंच ६० जी.बी. द्वारा पिछले ८ महीने से यह रुपये बिना खर्च किये रखना अनियमित है अतः ६ प्रतिशत यह राशि ब्याज सहित वसूली कर ली जावें।

५. किसी भी पंचायत ने अभी खर्च का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है अतः अनुदान की उपयोगिता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर देखिए)

सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी तथा पंचों के विरुद्ध चल रही जांच या केस की सूची

क्रम सं०	पद	संख्या जांच या केस	निलम्बित	संख्या हटाये गये
१	२	३	४	५
१.	सरपंच	८२३	३७	५४
२.	प्रधान	७०	२	—
३.	विकास अधिकारी	८	३	—
४.	पंच	५७	४	—

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर देखिए)

सन् १९६२–६३ में पंचायत समिति, मालपुरा के फार्म में बोई गई फसलों व उपज की सूची

सीजन	एकड़ भूमि	बोई गई फसल की किस्म	उपज क्विन्टल	किलो	ग्राम
१	२	३	४	५	६
खरीफ	३३$\frac{6}{32}$	१. मक्का देसी	५४	४५	०
		२. मक्का अमरिकन	३	१५	०
		३. मूंग आर. एस. ४	४	५६	०
		४. काऊपीज़ आर. ६	१	६४	०
		५. ज्वार लोकल	६	३५	०
		६. तिल लोकल	०	७७	०
रबी	४२ $\frac{3}{32}$	७. चणा आर. एस. १०	८	३८	०
		८. चणा काबुली	१०	४६	०
		९. गेहूं मालवी	१२	५४	०
		१०. गेहूं सी. ५९१	१२	६५	०
		११. गेहूं ३१–१	५	११	०
		१२. गेहूं ३१–१	४	१४	०

१	२	३	४	५	६
		१३. बैजड़	३	११	०
		१४. जौ आर. एस. १७	६	१५	०
		१५. अलसी	—	१६	०
		१६. सरसों	—	११	०
		१७. गेहूं बतौर जांच	१	१०	०
		१८. जौ बतौर जांच	—	५३	०

❀ शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २६ फरवरी, १६६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	छुवा	छुटा
२	६	उद्योग मत्री	उद्योग मंत्री
३	शीर्ष	(श्री हरिश्चन्द्र)	—
७	अन्तिम	श्री हरिप्रदास शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
११	१३	श्रीमती लमीकुमारी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
१५	३	श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
१६	१५	श्री मजलीस खां	श्री मजलिसखां
२४	११	कर्जे क	कर्जे की
२६	२०	(अलबर)	(अलवर)
४१	शीर्षक	२६ फरयरी	२६ फरवरी,
,,	१	श्री विद्युत् मंत्री	विद्युत् मंत्री
,,	अन्तिम से २	सार्वजनिक निमांण मंत्री	सार्वजनिक निर्माण मंत्री
४४	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
४४	१८	श्री जुझारसिंह डिस्पूटेड	श्री जुझारसिंह : डिस्प्यूटेड
४८	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	६	श्प्रन	प्रश्न
४६	शीर्ष	(जन-सम्पर्क मत्री)	(जन-सम्पर्क मंत्री)
,,	५	चित्तडगढ जिले	चित्तौड़गढ़ जिले
५५	शीर्षक	२६ फरवरी, ६३	२६ फरवरी, ६४
५६	१०	(८.४४ म० पू०)	—
५७	१५	श्री जोधसिह	श्री जोधसिंह
५६	१३	श्री हरिग्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
७६	शीर्षक	कांग्रेस दल में सम्मिलित—२६ फरवरी, ६४—हुए पांच सदस्यों विषयक	राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक-२६ फरवरी, ६४-कांग्रेस दल में सम्मिलित
६६	३	श्री मैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०८	१८	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
११०	शीर्षक	सदस्य	सदस्यों
,,	१२	(पचभद्रा)	(पचपद्रा)
११५	शीर्षक	अभिभाषरा	अभिभाषरा
१२३	शीर्ष	(श्री अगरसिंह)	(श्री अमरसिंह)
१२५	शीर्षक	अभिभापरा	अभिभाषरा
१२६	७	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
१३५	शीर्षक	ज्यपाल ममहृदय के अभिमाषरा	१३५] राज्यपाल महोदय के अभिभाषरा—
१७२	शीर्षक	वांद-विवाद	वाद-विवाद
१७५	शीर्षक	२७ फरवरी, ६४	२६ फरवरी, ६४
१७७	शीर्षक	पुलिस सम्बन्ध के	पुलिस अत्याचार के
१८२	अन्तिम २	(बागीडोरा)	(चाकसू)
१८८	७	श्री उपाध्यत्र	श्री उपाध्यक्ष
२३६	शीर्षक	संद्यप्ति विवरग	संक्षिप्त-विवरण
२५५	शीर्षक	परिशिप्ट	परिशिष्ट

*नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।